CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.IV, Second Session, 2009/1931 (Saka) No.21, Thursday, July 30, 2009/ Sravana 8, 1931 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	PAGES	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
*Starred Question Nos.381 to 386	2-42	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
Starred Question Nos.387 to 400	43-71	
Unstarred Question Nos.3614 to 3830 and 3832 to 3843	72-372	

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE

373-375

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the 205th Report of Standing Committee on industry on action taken on the 202nd Report on Demands for Grants(2007-08), pertaining to the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

Shri Vilasrao Deshmukh

376

(ii) Status of implementation of recommendations contained in the 39th Report of Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants(2008-09), pertaining to the Ministry of Minority Affairs.

Shri Salman Khursheed

377

(iii) (a)Status of implementation of recommendations contained in 35th Report of Standing Committee on Labour on "General condition of weavers in the country- A case study of concentration zone of weavers", pertaining to the Ministry of Textiles

378

(iv) (b) Status of implementation of recommendations contained in 33rd Report of Standing Committee on Labour on "Development Schemes for Handicrafts Sector", pertaining to the Ministry of Textiles.

Shrimati Panabaka Lakshmi

379

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising due to export of non-Basmati Rice to certain countries in violation of Government Guidelines and steps taken by the Government in regard thereto.

MATT	415-422	
(i)	Need to undertake repair works of N.H. 47 from Aroor to Haripad in Kerala	
	Shri K.C. Venugopal	415
(ii)	Need to re-start the construction of railway line linking Udhampur, Katra & Banihal in Jammu & Kashmir	
	Chaudhary Lal Singh	416
(iii)	Need to restart excavation of coal in closed collieries in Giridih Parliamentary Constituency of Jharkhand	
	Shri Ravindra Kumar Pandey	417
(iv)	Need to undertake development works in Varanasi under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission	
	Dr. Murli Manohar Joshi	418
(v)	Need to provide stoppage to all the Goa-bound trains at Karmali Railway Station in Goa	
	Shri Shripad Yesso Naik	419
(vi)	Need to start production of oil from Ratna R Series oil fields	
	Shri Nishikant Dubey	420
(vii)	Need to set up a Commando & Police Training School in Himachal Pradesh	
	Shri Virendra Kashyap	421
(viii)	Need to provide Instrument Landing System at Srinagar Airport in Jammu & Kashmir	
	Dr. Mirza Mehboob Beg	422
Issue	es arising out of Prime Minister's recent visit to	422.460
torei	gn countries	423-469

Sl	hri Basu Deb Acharia	423-426
Sl	hri B. Mahtab	427-431
Sl	hri Anant Gangaram Geete	432-436
D	r. M. Thambidurai	437-439
Sl	hri Gurudas Dasgupta	440-442
Sl	hri Pranab Mukherjee	443-451 453-454
Sl	hri Digvijay Singh	455-458
Sl	hri Asaduddin Owaisi	459-461
Sl	hri S.M. Krishna	462-469
	ESS ADVISORY COMMITTEE th Report	470
AVAIL	UTION RE: STEPS TO ENSURE ABILITY OF DRINKING WATER IN DUNTRY	471-540
Sl	hri Satpal Maharaj	471-492
Sl	hri Hukumdeo Narayan Yadav	493-498
Sl	hri Shailendra Kumar	499-502
C	haudhary Lal Singh	503-506
Sl	hri Jagdish Sharma	507-508
Sl	hri Pradeep Tamta	509-512
Sl	hri B. Mahtab	513-517
Sl	hri Adhir Chowdhury	518-520
Sl	hri S. Semmalai	521-522
Sl	hri Gorakhnath Pandey	523-525
Sl	hri Rajendra Agrawal	526-527
Sl	hri Kamal alias Commando Kishor	528-529
D	r. Raghuvansh Prasad Singh	530-532
Sl	hri Ravindra Kumar Pandey	533

Shri J.M. Aaron Rashid	534-535		
Shri Bishnu Pada Ray	536-537		
Shri Jagdambika Pal	538-540		
ANNEXURE – I			
Member-wise Index to Starred Questions	545		
Member-wise Index to Unstarred Questions	546-548		
ANNEXURE – II			
Ministry-wise Index to Starred Questions	549		
Ministry-wise Index to Unstarred Questions			

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

I	OK	SA	BHA	DER	AΊ	TES

LOK SABHA

Thursday, July 30, 2009/ Sravana 8, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

(Q.381)

SHRI PRADEEP MAJHI: Madam, the public sector undertaking, BHEL is reportedly tieing up with private sector L&T and LTD to set up nuclear reactor component business in future. As it is a nuclear based programme, what measures the Government of India are planning to take to regulate and to maintain secrecy and confidentiality of this matter?

SHRI VILASRAO DESHMUKH: Madam Speaker, the hon. Member has rightly asked this very important question. The BHEL has already signed an agreement with GE-Hitachi (USA) and is also in the process of having some understanding with different foreign companies like Areva, Westinghouse and Atomstroyexport (Russia).

As regards the matter regarding maintaining secrecy, we will follow all the instructions given by the Department.

SHRI PRADEEP MAJHI: In a sensitive matter like nuclear power, what measures are the Government planning for not allowing private players to hold majority stake and management control in nuclear related production?

SHRI VILASRAO DESHMUKH: As per the Government guidelines, I think all those measures will be properly taken by the Company because we are bound by the decision and the instructions issued by the concerned Department. This being a very sensitive matter whatever secrecy and whatever important steps are to be taken, those will be taken by the Company.

श्री किसनभाई वी.पटेल: अध्यक्ष महोदया, आज देश में ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरत को हम न्यूक्लियर ऊर्जा से प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2008-09 में भेल के न्यूक्लियर प्रौजेक्ट के कितने आर्डर बुक किए और इन आर्डर्स का क्या स्टेटस है? भेल वर्ष 2009 के अंत तक अपनी मौजूदा ईकाई क्षमता में कितनी न्युक्लियर ऊर्जा क्षमता के विस्तार का टारगेट रखती है?

श्री विलासराव देशमुख: अध्यक्ष महोदया, जहां तक न्यूक्लियर ऊर्जा के निर्माण करने की बात है, हमारा जो न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनके साथ भेल का एग्रीमेंट हुआ है। उनकी तरफ से जितने भी प्लांट आज तक बनाए गए हैं, उसमें भेल की तरफ से हमने वहां कई मशीनें सप्लाई की हैं और

आने वाले दिनों में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन में है, उसमें 3107 एमडब्ल्यूई केपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। हमारा एनपीसीआईएल के साथ ज्वाइंट वेंचर हो गया है, उसके मुताबिक उन्होंने जो भी प्रोग्राम बनाया है, उसके हिसाब से मशीन बना कर उन्हें सप्लाई करने का काम भेल की तरफ से होगा और वह सही वक्त पर होगा।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam, BHEL is a very powerful Navratna CPSU of the country. They are over-loaded with so many Central and State Government orders for supplying equipment to repair the units of different States..

BHEL has signed agreements with, USA, Russia and other countries. I would like to know if these agreements with other countries will hamper the progress and delay the execution and implementation of Government orders. Now, they have an agreement for a nuclear power project also. Would it affect and delay the implementation of Government orders?

SHRI VILASRAO DESHMUKH: Madam, Speaker, I would like to clarify one position here. First of all, BHEL will remain committed to all Government orders. Our first duty is to ensure an assured supply to all Government projects. All these companies that are now in the process of coming here, all those are in the initial stages and no company has yet started their manufacturing unit in India. It is at a very early stage to say anything on that. But our commitment is first the Government projects and then if there is any scope we will take care of the private players.

(Q. No.382)

श्री जगदीश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तेल या प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए खोज करने पर वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक, प्रति वर्ष कितना इन्वैस्टमेंट किया गया और उसकी तुलना में कितना उत्पादन बढ़ा और उसका मूल्य कितना था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): स्पीकर महोदया, जहां तक वर्ष 2004 और वर्ष 2009 का सवाल है, जो कच्चे तेल का उत्पादन खासतौर से पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में किया गया है, उसमें देखा गया है कि थोड़ी गिरावट आई है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स के पास जो वैल हैं, जो प्रॉपर्टी और ब्लॉक्स हैं, वे काफी पुराने हो गए हैं। एक वैल की लाइफ करीब-करीब 15 साल होती है। हमारे देश में तेल का सबसे बड़ा उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। वह 30 वर्ष पुराना वैल है। धीरे-धीरे कर के हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा कोई बड़ा कमर्श्यल प्रोडक्शन किया गया हो, ऐसे किसी नए वैल की खोज नहीं हो पाई है। बात सिर्फ इतनी है कि पैसा खर्च किया जा रहा है।

महोदया, जहां तक ऑयल प्रोडक्शन का सवाल है, उसमें यह देखा जाता है कि जो आयल वैल है, जब उसकी क्षमता कम होती चली जाती है, तो उससे उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ज्यादा खर्च इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसमें नई टैक्नौलोजी इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा तेल निकालने की कोशिश करते हैं। जहां तक पेट्रोलियम मंत्रालय, ओ.एन.जी.सी. और अन्य पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स का सवाल है, हमने प्रयास किया है कि प्रोडक्शन में जो गिरावट आ रही है, वह कम से कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा तेल निकालें, तािक प्रोडक्शन बढ़ सके।

श्री जगदीश शर्मा: अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने जबाव देने का प्रयास किया है, लेकिन मेरा जो स्पेसीफिक सवाल था कि कितना इन्वैस्टमेंट हुआ, वह नहीं बताया है। माननीय मंत्री जी ने यह तो बताया कि पब्लिक सैक्टर से तेल और गैस का जो उत्पादन हुआ, उसमें कमी हुई, यानी गिरावट आई है। मेरा पहला सवाल था कि इन्वैस्टमेंट कितना हुआ, उसका जबाव मंत्री महोदय ने नहीं दिया। मंत्री महोदय ने गिरावट तो स्वीकार की है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक कितना इन्वैस्टमेंट हुआ? महोदया, यह जनता का पैसा है। जनता जानना चाहती है कि कितना इन्वैस्ट किया गया? यह मेरा पहला ही सवाल है। महोदया, अभी मेरा दूसरा सवाल बाकी है।

अध्यक्ष महोदया : ऐसा है कि आप दूसरा सवाल भी पूछ लीजिए। इस तरह से तो नहीं होगा। यह तो नियम है। आप कृपया दूसरा सवाल भी पूछ लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले एक सवाल पूछें, फिर दूसरा और तीसरा पूछें। आप कृपया दूसरा सवाल भी पूछ लीजिए।

श्री जगदीश शर्मा : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो गिरावट आई है, उसे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग ओ.एन.जी.सी. है।

ओ.एन.जी.सी. को जो काम मिला था, जो नीति देश में तय हुई थी, उसमें था कि यह तेल भंडारों की खोज देश में करेगा। जैसे इनको गोदावरी बेसिन का काम मिला तो इन्होंने हाथ उठा दिये और कहा कि यहां तेल नहीं है। जबिक उसी गोदावरी बेसिन में जो प्राइवेट कम्पनी आई, उसने प्रचुर मात्रा में तेल की खोज कर दी, पर्याप्त मात्रा में कर दी। इनको देश के बदले विदेश में ओ.एन.जी.सी. विदेश के नाम से काम दिया गया। इसने इस देश में काम नहीं किया, लेकिन यह ओ.एन.जी.सी. अब विदेश में काम कर रही हैं यह जो सरकार की नीति थी, उस नीति के विपरीत काम करके यहां गोदावरी बेसिन में फेल कर दिया, सर्वे में कह दिया कि यहां तेल नहीं है। जब ये चले गये और प्राइवेट कम्पनी आई तो उसने प्रचुर मात्रा में तेल की खोज कर ली। इससे जो सरकार को लॉस हुआ, इसके लिए कौन जवाबदेह है? इससे देश के पैसे का अपव्यय हुआ, इसके लिए कौन जवाबदेह है, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं? श्री जितिन प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, जहां तक पहले सवाल का जो मैं जवाब दे रहा था, इन्होंने 2004 से 2009 तक खर्चे पूछ लिए थे, जबिक खर्चे सिर्फ 2004 से नहीं हैं। जब से गिरावट आई है, हमारे यहां दो स्कीम्स होती हैं, इम्पूब्ड ऑयल रिकवरी और एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, उसके लिए 14,550 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। हम लोगों ने 18 स्कीम्स उन वैल्स के लिए लागू की हैं, तािक वहां पर और उत्पादन हो सके।

जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि ओ.एन.जी.सी. ने किसी प्राइवेट कम्पनी को दे दिया...(व्यवधान) आप हमारी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री जितिन प्रसाद: मैं यह बताना चाहता हूं कि नई एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत जो काफी वर्षों से लागू हो गई है, उसमें बिल्कुल पारदर्शिता लाई गई है। उस योजना का यही उद्देश्य है कि बढ़िया से बढ़िया लोग विदेश से और देश से हमारे भारत में आयें और ...(व्यवधान) आप हमारी बात सुन तो लें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनको उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उत्तर तो देने दीजिए। आप कृपया शान्त होकर उत्तर सुनिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हां, स्पष्ट ही उत्तर देंगे। उनको कम्पलीट करने दीजिए। आप बैठ जाइये और उत्तर सुनिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप व्यवधान मत डालिए।

श्री जितिन प्रसाद: आप सुन लीजिए। जहां तक जो नई एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आई है, उसका यही उद्देश्य है कि हम अपने भारत में ज्यादा से ज्यादा तेल का उत्पादन करें और ढूंढें। इस नई एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत विदेश से भी लोग आते हैं और देश में पी.एस.यूज़. को भी मौका दिया जाता है और यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिडिंग के तहत होता है। इसका रेट और उत्पादन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है और जैसे गोदावरी बेसिन की ये बात कर रहे हैं, वहां पर भी जो ब्लॉक्स दिये गये, वे बिडिंग के आधार पर सभी के सामने न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ट्रांसपेरेंट बनाकर दिये गये।...(व्यवधान) आप एक मिनट बात सुनें तो सही। अब सुन लीजिए।

वहां पर ओ.एन.जी.सी. को भी एक ब्लाक मिला है, वह बहुत डीप वाटर में है। वहां पर तेल हो सकता है, लेकिन अभी वह टैक्नोलोजी ओ.एन.जी.सी. के पास नहीं है कि उस जगह इतने गहरे में जाकर उत्पादन करे, मगर आने वाले वर्षों में वहां हो सकता है। जो भी पॉलिसी लागू की गई है, वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है।

श्री जगदीश शर्मा: महोदया, यह जवाब तो उसका नहीं हुआ। अगर आप हमको संरक्षण नहीं देंगी तो कौन देगा। मंत्री जी को जवाब बढिया देना चाहिए, यह हम आग्रह करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े: अध्यक्षा जी, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट नहीं कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इन्होंने प्रोवीज़नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया है। जब भी तेल की हो, गैस की हो, खोज होती है, अभी मंत्री जी ने कहा कि बिडिंग के आधार पर हम करते हैं। एक ओर बिडिंग के आधार पर तय किया जाता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर मन चाहे, जब चाहे उसका प्राइस फिक्स करते हैं, उसका कोई तर्क नहीं है, वैचारिक मानदण्ड नहीं है।

उसमें पारदर्शिता नहीं है, आम-जनता का हो या देश के विकास का हो, उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा कभी नहीं किया गया। कुछ दिन पहले एविएशन फ्यूल प्राइस फिक्स करने के समय सरकार ने यहीं फ्लोर पर वक्तव्य दिया था कि जहां तक एविएशन फ्यूल प्राइस का सवाल है, आयल मार्केटिंग कंपनियां इसे तय करती हैं और डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस को सरकार आम-जनता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मानव संवेदना से तय करती है। मैं मंत्री जी से स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गैस का हो या आयल का हो, जो भाव आप फिक्स करते हैं, क्या कॉस्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए करते हैं?

दूसरा ऐसे कौन से मानदंड के आधार पर इसका भाव ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महादेया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन प्रश्न का दूसरा भाग भी होता है।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न का भाग कहकर आप कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप एक प्रश्न पूछिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : गैस का जो भाव आप फिक्स करते हैं, कॉस्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर करते हैं या दूसरे किसी मानदंड के आधार पर करते हैं?

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न हो चुका है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े: क्या इन विचारों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में कॉस्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए, क्या पुनर्विमर्श आप करेंगे, यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? यदि नहीं है, तो क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदया : आप एक ही प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री जितिन प्रसाद: महोदया, जहां तक इन्होंने कॉस्ट आफ प्रोडक्शन की बात कही कि उत्तर में इसे प्रोवीजनल दिया है। प्रोवीजनल इसलिए दिया है, क्योंकि आडिट के बाद ही सही फीगर हम देंगे। इसी कारण हमने प्रोवीजनल दिया है। जहां तक, कास्टिंग का सवाल है, जैसा कि मैंने बताया, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी जब से आयी है, तब से प्राइसिंग अलग कर दी गयी है। मार्केट रेट पर प्राफिट शेयरिंग कांट्रैक्ट के तहत यह होती है। उससे पहले जो प्राइसिंग थी, जो ब्लॉक्स भारत सरकार ओएनजीसी या

अपनी आयल कंपनी को देती थी, वह नामिनेशन बेसिस पर देती थी और उसको तय करती थी क्योंकि उनको कोई बिडिंग नहीं करनी थी, उनको कोई खर्च नहीं करना होता था। सरकार उन्हें देती थी, इसलिए सरकार तय करती थी कि यही प्राइस रहेगी और देशहित में, लोगों के ऊपर ज्यादा भार न पड़े, उसके दाम कम से कम तय किए जाते थे। ...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े : महोदया, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। ऐसे ही सदन में प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा तो ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप एक प्रश्न पूछिए। आपने लगातार बहुत से प्रश्न पूछ लिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करिए।

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह: महोदया, अगर क्वैश्चन का जवाब नहीं दिया जाएगा, ...(<u>व्यवधान</u>) क्वैश्चन का उत्तर तो आना ही चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए। मैं उनसे रिक्वैस्ट करती हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांति रहिए, मुझे मंत्री महोदय से बात करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा: महोदया, यह तैयारी करके आएं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहेंगे, तभी तो हम कुछ बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) ...*

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए। तभी तो हम मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करेंगे।

...(व्यवधान)

^{*} Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहेंगे, तभी तो हम कुछ कहेंगे। आप पहले शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए, तभी तो हम उनसे कुछ कहेंगे। इतना उत्तेजित मत होइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, would you like to respond because they are asking something? Would you like to elaborate?

SHRI JITIN PRASADA: What point does he want me to elaborate? I will elaborate on that point. He has asked four questions in one go.

अध्यक्ष महोदया : आप कोई एक प्रश्न पूछिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : मैंने टू दि प्वाइंट प्रश्न पूछा था, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया गया। ...(व्यवधान) कॉस्ट आफ प्रोडक्शन के आधार पर प्राइस तय किया जाता है या किसी दूसरे मानदंडों के आधार पर किया जाता है?

श्री जितिन प्रसाद: मैंडम स्पीकर, मैंने इनको अभी बताया कि जब तक न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी नहीं आयी थी, उसके पहले ब्लॉक्स नामिनेशन बेसिस पर दिया जाता था, जिसमें कोई बिडिंग नहीं होती थी।

उसमें कॉस्ट प्लस मैथड होता था। जो खर्च आता था, उसे लेकर जनता के हित को ध्यान में रखकर सरकार दाम तय कर देती थी। जब से बिडिंग आई है और न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसैंसिंग पॉलिसी आई है, उसमें इंटरनैशनल रेट्स, कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, सर्वेज़, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आम प्राइज़ लागू कर दी गई। मैं समझता हूं कि अब माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए होंगे।

SHRI PAN SINGH GHATOWAR: It is our national concern that the major expenditure of our country is on account of import of crude oil. The hon. Minister in his reply has given that the expected reserve of gas and crude oil in our country is 1840.07 Million Metric Tonnes of Oil Equivalent. If we see the achievement part of the year, it is below the level, it is only 29 million. The Government has rightly taken the decision of giving the blocks under their New Licensing Policy. But I think the gap between the achievement and the reserve is very much. I would like to know whether the Government is thinking of expediting the process because we are draining out our foreign exchange by importing a large quantity of

crude oil. I would also like to know whether the Government will review, see and give more thrust to exploration of crude oil in our country so that we can save our foreign exchange.... (*Interruptions*)

SHRI JITIN PRASADA: From what the hon. Member asked, if I understand his question rightly, he is primarily going to the point of increase in production. For increase in production, the Ministry and our PSUs have taken a lot of steps like, as I said, the New Exploration Licensing Policy. Since it has come into force, 203 new blocks have been given for exploration after bidding. In the next month, 70 more blocks will come up for bidding so that people from across the world, the best people can come, explore the sedimentary basin in India, try and get the best reserves which are in our country. We have already found oil in Rajasthan, in Barmar which will be producing 25 per cent of the existing production. There is also gas that has come in the KG Basin. That is also going to double the existing production of gas of what is now produced today. We are very much concerned about the import costs that are involved. All efforts are being made to see that we get maximum reserves within the country so that the burden of cost of importing these products becomes less.

DR. RAM CHANDRA DOME: The hon. Minister, in the concluding part of his Statement, has stated about boosting up production of oil and natural gas. Here, he has stated that faster development of discovered areas are going on. So, my supplementary to the hon. Minsiter, through you, Madam, is this. What are the discovered areas? What are the areas under exploration in the Bengal Basin of West Bengal? If any positive result has so accrued by the efforts of the explorer, would the Government be in a position to produce crude oil in the Bengal Basin in this Plan Period?

SHRI JITIN PRASADA: The topic is for production of crude oil and gas. The hon. Member is very much concerned about exploration. I can get back to him in detail – whether in the West Bengal Basin or wherever he is interested in - to say what the PSUs are doing in regard to that and what steps have been taken.

MADAM SPEAKER: Yes, you do that.

SHRI JITIN PRASADA: I will give him a detailed answer to that.

MADAM SPEAKER: All right. Thank you.

MADAM SPEAKER: Q. 383 – Dr. Murli Manohar Joshi.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Dr. Murli Manohar Joshi, please ask your question.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त हो जाइए।



(Q. No.383)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदया, प्रश्न के उत्तर से कई चीजें ऐसी पता चलती हैं, जिस पर मैं रेल मंत्रालय की थोड़ी नीतिगत बात जानना चाहूंगा। प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 1,12,937 एकड़ क्षेत्र खाली पड़ा है, जो रेलवे के पास है। रेल मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इसके लिए वह लैंड बैंक बनाना चाहती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस लैंड बैंक में किसानों के लिए भी कुछ स्थान होगा या नहीं, क्योंकि रेल मंत्री महोदया ने इस भूमि के लिए, जो किसानों से छीनकर औद्योगिक विकास के लिए दी जा रही थी, लड़ाई लड़ी थी। हमने उसमें इनका समर्थन किया था। लेकिन अब इसमें क्या आप किसानों का कुछ हिस्सा रखेंगी, क्योंकि यह 1,12,937 एकड़ का क्षेत्रफल है। कहीं-कहीं तो 14,352, 11,718, 17,970 एकड़ भूमि मौजूद है। इसमें अनेक ऐसे स्थान हैं, जहां बड़े बिल्डर्स आंख लगाये बैठे हैं कि रेलवे की भूमि मिले और वे बिल्डिंग में काम्पलेक्स बनायें। यह भूमि आपने किसानों से अधिगृहित की थी। अगर आप उसमें अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक नियम से यह जमीन किसानों को वापस जानी चाहिए।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर, खाली इंडस्ट्रियल हाउसेज के लिए लैंड बैंक बनाया है या इसमें किसानों का भी कुछ हाथ रहेगा? अगर उनका हाथ रहेगा, तो किन शर्तों पर रहेगा और यदि आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप किसानों को यह जमीन वापस कर सकेंगे? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वर्षों से यह जमीन खाली पड़ी है।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मुरली मनोहर जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा क्वश्चैन पूछा है। हमने लैंड बैंक के बारे में बजट में कहा था। We said that we would set up a Land Bank. As of now आपरेशनल एंगल छोड़कर, हमारे पास ट्रैक्स बनाने और सेफ्टी सिक्योरिटी एंगल से जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसे छोड़कर हमारे पास लैंड है जिसे हमने लैंड बैंक के मुताबिक लिया है। 1,12,937 एकड़ जो इन्क्रोचमैंट नहीं है और फ्री ऑफ दी इन्क्रोचमैंट रेलवे की लैंड है। It is not that we have taken this land from anyone right now. No. रेलवे के पास 1.12 लाख एकड़ लैंड खाली है, जो लैंड इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इसका मतलब यह है कि it is part of about 10 lakh acres total land and includes land for creating infrastructure and for works like new tracks, gauge conversion, doubling etc. Now we have decided to have Dedicated Freight Corridors. You will be happy to know that after the Western and Eastern Dedicated Freight Corridors, there will be such a corridor for

the South also. These corridors will create some employment, infrastructure, industrial hubs etc. For this purpose we need it. There is no doubt about it and we announced it in the Budget. But we have the policy in place where even the Group 'C' and Group 'D' staff of the Railways are sometimes allowed to cultivate or grow plantations. We already have this policy. There are some places where we give licences for growing plantations. Now that you have raised this question, I will certainly take care of that. It is not that we capture land from the farmers. It is not our policy.

We want to utilise the Railway land for commercial purposes through the Land Bank. If we are not to increase the fare and if we do not want to put burden on the people, then there should be some option for raising alternative income. Through this we can generate more revenue. Instead of raising the tariff, we can go in for commercial utilisation of land and air space. We are not selling the land. Land will be the asset of the Railways. But we can utilise it from a commercial angle which will increase infrastructure, employment etc. As you mentioned about *kisans*, if you have any specific suggestions, you may please give it to us, we will try to accommodate them.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे पहले प्रश्न का एक हिस्सा छूट गया है। आपने यह जमीन किसानों से अधिगृहित की थी, खरीदी नहीं थी। This has been acquired from the farmers. एक्वायर्ड लैंड के नियम के अनुसार यह होना चाहिए। You cannot change the land use like this arbitrarily. आप अचानक लैंड यूज नहीं बदल सकते।

पहली बात यह बताइए कि जो अधिग्रहीत जमीन थी, उसका क्या करेंगे? वह किसानों को वापस होगी या नहीं होगी या उसमें किसानों का मैक्सिमम हाथ रहेगा या नहीं रहेगा? इसका जवाब अभी पहले प्रश्न में ही चाहिए। इसका जवाब आने पर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी: मैडम, अभी किसान से ऐसी कोई जमीन नहीं ली गयी है। हम केवल नई लाइन्स के लिए अधिग्रहण करते हैं। Only for new projects or new i and that too with compensation. But for this Land Bank, it is not from the Kisans. For this Land Bank, किसानों से अभी कोई जमीन नहीं ली गयी है। हमारे पास ऐसी कोई इनफार्मेशन नहीं है, अगर

आपके पास कोई जानकारी है तो हमें जरूर दीजिए। ...(<u>व्यवधान</u>) No land grabbing. This was there during the British period.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: पिछले सालों में कुछ जमीनें और भवन, जो पहले रेलवे के पास थे, लेकिन आपने दूसरों को दे दिए हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप उनके बारे में जांच कराएंगी कि वे जिस काम के लिए चाहिए थे उसी के लिए दिए गए हैं या जैसे रांची में और उड़ीसा में बीएनआर के भवन थे, जिनमें रेलवे जनहित में काम कर रही थी, वे कुछ निजी व्यक्तियों को दे दिए गए हैं या ऐसा ही कुछ स्थानों पर, रेलवे के भिन्न जोन्स में रेलवे की चीजें लोगों को बिना किसी बिडिंग या लाइसेंस के दे दी गयी हैं और उनके सार्वजनिक उपयोग के बजाय कोई व्यक्ति उनको चला रहा है, उससे पैसा कमा रहा है। वह आपको पैसा दे रहा है या नहीं, यह मैं नहीं जानता हूं, इससे पता नहीं चलता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2004 से 2009 तक आपने जितनी भूमि और भवन किसी भी एजेंसी को दिए हुए हैं, उनकी लिस्ट दें और क्या आप उनके बारे में यह जांच कराएंगी कि ठीक ढंग से उनका उपयोग हो रहा है और क्या किसी नीति के अन्तर्गत दिए गए थे?

KUMARI MAMATA BANERJEE: So far as my knowledge goes in about four Railway Zones, about 497 acre land at few sites have been licensed for different purposes, like commercial plots of land, etc. But if the hon. Member has any specific complaint against anybody कि उसने अगर रेल से लाइसेंस करके भी लिया है, उसके बाद अगर कोई इंडीविजुअल रेल का भवन लेकर कुछ इंडीविजुअल इंट्रेस्ट में कर रहा है, तो हमें दीजिए, हम उसको इनवेस्टीगेट करेंगे।

चौधरी लाल सिंह: महोदया, आपने वर्ष 2009-10 का जो बजट पढ़ा है, उसमें जमीन का बैंक बनाने की बात कही है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कटरा में किसानों द्वारा जमीन दी गयी थी। आपको वहां जितनी जमीन चाहिए थी, उसको बैरीकेड कर दिया, दीवार बना दी, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद आपके लोग उन किसानों के पास जा रहे हैं, अपनी जमीन पूरी ले ली है। लेकिन आप जानते हैं कि उस जमीन के नंबर होते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न पूछिए।

चौधरी लाल सिंह: महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यह बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, हमारे यहां लोगों की हालत इससे खराब हो गयी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए।

चौधरी लाल सिंह: मैडम, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उन लोगों के घर हैं, उनके मकान है, उन लोगों को अब धमकी दी जा रही है। जितनी जमीन आपको लेनी थी, आपने ले ली, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बाकी जमीन भी हमारी है। वे कहते हैं कि यह हमारी जमीन बची हुई है। रेल मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, कृपा करके वह जमीन वेव-ऑफ की जाए। लोग यह भी कहते हैं कि अगर उसके लिए आपने कोई कंपेनसेशन दिया है, तो वह भी वापस दे देंगे, लेकिन हमारे घर मत उजाड़िए। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप इसके लिए क्या करेंगी?

कुमारी ममता बनर्जी: वह जमीन किस परपज के लिए ली गयी थी?

चौधरी लाल सिंह: आपको जो जमीन लेनी थी, वह पूरी ले ली है, लेकिन उसमें जो घर उसमें आते हैं।...(व्यवधान) वहां स्टेशन बनना था, वह बन गया।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam, Railways are a vast organization. कभी स्टेशन बनाने के लिए रिक्वेस्ट आती है। वह जमीन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट से हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए।

चौधरी लाल सिंह: वह बन गया है।...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: ठीक है, वह बन गया है। इसी के परपज से जमीन ली गयी थी।...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: जो जमीन आपको इस्तेमाल करनी थी, वह आपने कर ली है। जो जमीन बची हुई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनको उत्तर देने दीजिए। आप बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी: मैडम, जब कोई स्टेशन बनता है, तो उसके आस-पास की कुछ जमीन ऑपरेशन के लिए अधिग्रहित की जाती है। ...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: वह बन गया है।

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त हो जाइए। उत्तर देने में व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: मैडम, जहां हमारी रेल लाइन होती है, उसको भी एक सिक्योरिटी एंगिल से देखा जाता है।



अगर रेलवे स्टेशन बना है तो कटड़ा को डवलप करने के लिए हमारे और भी प्लान हैं, मल्टी फंक्शनल काँम्प्लेक्स बनाने के लिए, उस एरिया में और भी विकास करने के लिए जो विकास होगा, उसमें हम किसानों को भी इंवॉल्व करेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीया अध्यक्ष जी, मैं पूरे देश के रेलवे की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एनसीआर की बात करना चाहता हूं। उत्तर-मध्य रेलवे के पास कुल 1079 एकड़ खाली जमीन है। उस जमीन को आप वाणिज्यिक क्षेत्र को देना चाहती हैं। मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें बीपीएल, विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों को कोटा देने के लिए प्राथमिकता तय करेंगी?

KUMARI MAMATA BANERJEE: This land bank is being set up for different purposes to utilize the land and the air space commercially for earning revenue. रेल चलेगा कैसे, so many projects are pending? रुपया नहीं है। 10,20,30,40 साल से ऐसे ही पड़ी है। कैसे करेंगे? Of course, there is some policy to give it to the physically handicapped people or the ex-servicemen. जो छोटे-छोटे वैंडर्स हैं, उन्हें स्टाल आदि देने के लिए जो रेलवे की पालिसी है, उसके अनुसार जो तय किया जाता है, वह हम करेंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं सवाल पूछने से पहले एक मंत्री जी से कहना चाहता हूं। जिस समय रेल मंत्री जी ने रेल बजट पेश किया था, उस दौरन मैंने इस सवाल को उटाया था कि पिछले पांच वर्षों में रेलवे की बहुत सारी जमीन प्राइवेट ऑपरेटर्स को कमर्शियल यूज़ के लिए दी गई है। उस वक्त मंत्री महोदया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरी जानकारी में लाएं, मैं जांच कराऊंगी। आज लिखित सवाल के उत्तर में पार्ट 'सी' में कहा गया है कि 4575 एकड़ जमीन कमर्शियल यूज़ के लिए दी गई है। डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने एक उदाहरण आपको दिया था कि रेलवे की दो हैरिटेज बिल्डिंग थीं, एक रांची का बीएनआर होटल और दूसरा पुरी में बीएनआर होटल जो रेलवे की हैरिटेज बिल्डिंग थीं, उसे भी प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिया गया। उसका क्या हुआ, क्या नहीं, यह तो जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछें।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: लेकिन मैं रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपके लिखित उत्तर के पार्ट 'सी' के पैराग्राफ दो में 3568 एकड़ जमीन के बारे में बताया है कि : 'The land entrusted to Rail Land Development Authority for commercial development of land which is not required immediately for Railways operational needs.' क्या आप

जांच कराएंगी कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी बरती गई है या नहीं? आप जब कोई पालिसी बनाते हैं, तो ट्रांसपेरेंट वे में बनाते हैं। आप पूरी ट्रांसपेरेंसी की जांच कराएंगी या नहीं?

कुमारी ममता बनर्जी: जिस हैरिटेज बिल्डिंग के बारे में कहा गया है, वर्ष 2004 में वह लैंड दी गई थी। Railways is a vast organization. There are so many small pieces of land, and there are different categories of land also. इसमें जो आपने शिकायत की, when you have some grievances, and you have raised some vital issues, we will investigate the matter and we will send you the details.

(Q. 384)

SHRI JOSE K. MANI: Madam Speaker, we observe in India that a large number of Indian pilots trained abroad, especially in places like Philippines, are unemployed or under-employed. I would like to know whether the Directorate General of Civil Aviation recognizes the eligibility of commercial pilots trained overseas, especially in Philippines or in the less developed nations which offer courses that are not up to the international standards. What steps is the Government taking to encourage employment among Indian pilots trained in India?

SHRI PRAFUL PATEL: Madam, as far as pilots are concerned, the DGCA will only grant an Indian licence subject to, as long as the training, wherever he or she would have got, maybe, in Philippines or in any other country, meets the stipulated guidelines as set by our own DGCA. These guidelines are broadly in line with the International Civil Aviation Organisation's requirements. So, unless and until they have a parallel training programme available in that country, then only a CPL would be granted by the DGCA in India.

SHRI JOSE K. MANI: We all know that the aviation industry is facing a big financial crisis. Most of the leading newspapers today reported that a leading Indian private airline has informed their employees that their salaries may be delayed, and also the future of this Airline is in question. So, there is every likelihood that these employees will be retrenched. In case of such an event, does the Government have any step to protect these employees?

SHRI PRAFUL PATEL: This question would not arise out of the current Question. The only thing I can say is that so far we have no other details except what you have read in the newspapers. So, I would not like to comment on that.

MADAM SPEAKER: All right.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत तरह से कमर्शियल पायलट्स हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Will you please sit down? कृपया बैठ जाइये, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में पायलट्स की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे देश में जो अलग-अलग नाम से कंपनियां हैं, उनमें विदेशी पायलट्स काम कर रहे हैं। हमारे जिन नये पायलट्स ने विदेशों में शिक्षण पाया है, उनके पास कमर्शियल लाइसेंस भी है। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम "वायरलेस मॉनिटरिंग ऑरगेनाइजेशन" लेती है जो वे दो साल में पांच-छह बार के एटैम्प्ट के बाद भी पास नहीं कर पाते हैं। इसमें मुझे कुछ दाल में काला दिखाई देता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतना खर्चा करके उन्होंने कमर्शियल लाइसेंस लिया है और उनके शिक्षण का, इस छोटे से एग्जाम को पास न कर पाने के कारण, कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यह एग्जाम कोलकाता, चैनेई, मुम्बई और दिल्ली में होता है, लेकिन दो-दो राउड होने के बाद भी वे पास नहीं होता हैं। इस बारे में आप कुछ कर सकते हैं?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, हमारे पायलट्स जो हमें उड़ान भराते हैं, उनकी कम से कम क्षमता के बारे में हम निश्चिन्त रहें, इसलिए अगर परीक्षा ली जाती है और वे बार-बार पास नहीं होते हैं तो इसमें तकनीकी मामला होने की वजह से मैं विश्वास रखता हूं कि माननीय सदस्य मुझसे भी ज्यादा चिंतित रहेंगे। इसलिए डीजीसीए या उनकी अथॉरिटी अपना काम कर रही है तो हम उन्हें उनका काम करने दें।

SHRI NAVEEN JINDAL: Madam, there is a severe shortage of trained pilots in the country and as a result, all these companies have employed foreign pilots even sometimes paying them double the salaries of Indian pilots. I appreciate the concern that various Members would have and we must make all out efforts to have more and more Indian pilots to take up jobs as commanders and to further get training. But at the same time, I do feel that we must allow foreign pilots also because sometimes we do find them they are very, very professional and very, very experienced. In fact, that does help the Indian youngsters, Indian young pilots get more training.

Madam, my question to the hon. Minister, through you, is this. It is because I heard that after 2010 we are not going to allow foreign pilots to fly in the country. What repercussion would that have for thousands of Indians who are flying internationally?

SHRI PRAFUL PATEL: Madam, I think the hon. Member is right that we need to have experienced pilots and, therefore, initially when there was a shortage, yes, we did allow foreign pilots to come and operate in India with the various airlines. But, Madam, also there is equally an important fact that we need to have our own pilots also getting opportunities in our country. Therefore, the DGCA has amended the Civil Aviation Requirements, which we call as CAR, in November, 2006 which require the airlines of India to adopt effective training programmes for their Indian pilots for endorsement on the type of aircraft operated by the airlines so that they can replace foreign pilots after completion of training. So, the objective is – yes, we need experienced pilots; there was shortage in the last two-three years because of the growth of the aviation in 2004, 2005, 2006 and 2007 which resulted in shortage of Commanders not so much of pilots. The second pilot is usually an Indian. But, many times, you could find a foreigner as main Commander. But that is sought to be replaced progressively and that is why the DGCA is fully aware and has already amended and as a result of which now the number of foreign pilots in the last four years has already coming down by almost 300. Some 260 pilots have already been reduced. Over a period of time we wish to have all our Indian young pilots to be able to fly our airlines.

(Q.385)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Madam, through you, I would like to ask the hon. Minister one thing. In an extremely comprehensive reply he said he would like to minimize the slippages in the BHEL. But, MAHAGENCO, which is a part of the Maharashtra Government has ordered equipment for 2,000 megawatt production of power. Would he please tell us the status and if there is a delay when would he address all these? Maharashtra is going through an extremely serious power crisis. SHRI VILASRAO DESHMUKH: Madam, I can understand the concern of the hon. Member. I had a meeting with the hon. Minister of Energy of Government and the BHEL officers and we reviewed the whole situation. I also know personally as to what crisis we are facing in the State of Maharashtra. Keeping that in view, I had a meeting with the concerned officers of MAHAGENCO and with top officers of BHEL. We agreed on certain terms so that whatever commitment BHEL has made to MAHAGENCO will be fulfilled within a specified period of time and there will not be any delay on our part. But, at the same time, the MAHAGENCO also has to take some effective steps so that they should also cope up with the requirements which are agreed in the agreement.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Madam, my second question is regarding Paras and Worli. These deliveries, though delayed, have been done. But there are technical snags in it. I would like the hon. Minister, who has also been the hon. Chief Minister and has been very closely watching these delays, what would he do for the boiler turbine generations which are having technical snags. What intervention would he make?

SHRI VILASRAO DESHMUKH: We have already taken up this matter very seriously and the officers of BHEL are on the job. I think that will be rectified within, I think, a fortnight or one month.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, खास कर जब नया पॉवर प्लांट बनता है, तो उसका काम भेल को मिलता है। हमारे झारखंड राज्य में दो प्लांट्स चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का काम भेल को मिला।

महोदया, एक समय सीमा के अंतर्गत चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन का काम पूरा किया जाना था, लेकिन भेल ने तीन स्टेज में वर्क को टेंडर करके दूसरे लोगों को काम दिया, जिससे काम की क्वालिटी भी खराब हुई है। वर्तमान में भी भेल को बोकारो थर्मल स्टेशन का काम दिया गया है तथा वहां भी ऐसी ही स्थिति है। इससे भारत सरकार को नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बारे में जांच कराएंगे?

श्री विलासराव देशमुख: अध्यक्ष महोदया, जो हमारे माननीय सदस्य ने यहां बात उठाई है, अगर उनके पास इस बारे में और विस्तृत जानकारी है और अगर आप मेरे पास उसे भेजते हैं तो उसकी सरकार अवश्य जांच करेगी और जिससे भी यह गलती हुई है, उसे सजा भी होगी।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसके उपकर में भी निर्माण 'भेल' द्वारा किया जाता है और देश के अंचलों में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में जो ट्रांसफॉर्मर की मांग है और जो उसकी आपूर्ति है, उसमें काफी विषमता है। विशेष रूप से हम लोग ग्रामीण अंचल से, पूर्वांचल से आते हैं और वहां हम लोग यह अनुभव करते हैं कि जब कोई ट्रांसफॉर्मर खराब होता है तो वह इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। यह स्थिति केवल उत्तरांचल और भदोई की नहीं है। पूरे देश की है और उसका भी निर्माण 'भेल' द्वारा कंपनियों के द्वारा कराया जाता है। क्या मांग और आपूर्ति की जो कमी है, उसे पूरा कराने के लिए माननीय मंत्री जी कोई योजना बना रहे हैं? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो ग्रामीण अंचलों में ट्रांसफॉर्मर की वजह से बिजली रहते भी बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती, गांवों में किसानों को और छोटे काश्तकारों को बिजली नहीं मिल पाती, क्या उसकी आपूर्ति के लिए कोई योजना बना रहे हैं?

श्री विलासराव देशमुख: मैडम, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह 'भेल' से संबंधित नहीं है क्योंकि भेल बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर बनाने का काम करती है, ट्रासफॉर्मर बनाने का काम 'भेल' नहीं करती है। लेकिन जो भी प्रश्न उन्होंने उठाया, वह बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर समय पर नहीं मिलने से बिजली होते हुए भी किसानों को बिजली नहीं मिलती लेकिन वह विषय इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, out of 78,000 mv of power generation during 11th Five Year Plan, the target that has been fixed by the Ministry of Power, generation of 43,173 mv has been entrusted to the BHEL. That constitutes 55 per cent of the total target of power generation. There had been slippages in the 10th

Five Year Plan and the way the delay in supply of critical equipment, like boiler and turbine takes place, there will be slippages in the 11th Five Year Plan also. So, there is a need to increase the capacity of BHEL.

A large number of units are coming up in the eastern part of the country. May I know from the hon. Minister whether the Government will consider a proposal to set up a unit of BHEL in eastern part of India - maybe in Bihar, West Bengal, Orissa or Jharkhand?

SHRI VILASRAO DESHMUKH: Madam, the question asked by the hon. Member is an important question as there are already orders pending with MAHAGENCO for more than 43,000 mv. We have already started augmenting our capacities in the existing plants and by 2011-12 we will be reaching 20,000 mv of capacity. It was only 6,000 mv in 2007. Slowly, we are increasing our capacity and we are augmenting the existing plants.

I think, the hon. Member's suggestion to have a new plant in the eastern region is a matter that has to be examined.

MADAM SPEAKER: Thank you.

(Q. No.386)

श्री चंद्रकांत खेरे: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अब जो आर एंड डी का प्रकल्प विश्वविद्यालयों के माध्यम से आप करना चाह रहे हैं, कई आई.आई.टी. से करना चाहते हैं लेकिन जो ऐसे प्रपोजल्स आते हैं, वे प्रपोजल्स सिर्फ 2006-07, 2008-09 में सिर्फ 35 प्रपोजल्स आए और उनको हम लोगों ने 9 करोड़ 42 लाख रुपये अनुदान दिये।

वर्ष 2009-21 में फूड एंड प्रॉसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कितने प्रपोजल आने की आशंका है या आ गए हैं? आप इसे कितना बढ़ावा और अनुदान देने की कोशिश करेंगे ताकि फूड प्रॉसेसिंग इंडस्ट्री बढ़े और फूड पार्क भी बनें?

श्री सुबोध कांत सहाय: माननीय अध्यक्ष महोदया, बेसिकली जो भी प्रपोजल हमारे पास आते हैं हम उसे एन्टरटेन करते हैं। 1 किंचांचवर्षीय योजना में 41 प्रपोजल क्लियर किए थे और 11वीं पंचवर्षीय योजना में, पिछले दो साल में 25 प्रपोजल किए हैं, 14 प्रपोजल पेंडिंग हैं जो अंडर एग्जामिन हैं। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं इसे बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा बधाई वित्त मंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में 150 परसेंट इनकम टैक्स रिबेट दी है, आर एंड डी में जो कंपनियां अपने पैसे का निवेश करेंगी। पहले यह कुछ कंपनियों और कुछ सैक्टरों के लिए लिमिटेड था। अब इन्कलूडिंग फूड प्रॉसेस सैक्टर पूरे मैन्यूफेक्चरिंग सैक्टर को भी 150 परसेंट इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से यह कोशिश की जा रही है कि जो मैन्यूफेक्चरिंग कंपनियां अपने आप इसमें निवेश करें और नया इन्वेंशन करें, नया प्रोडक्ट बनाएं, नई कैपेबिलटी डेवलप करें। मैं समझता हूं कि इस बजट में जो बेनिफिट दिया गया है इसके कारण लोग स्वतः पैसे का निवेश करेंगे।

महोदया, जहां तक मेरे मंत्रालय का सवाल है हम 100 परसेंट सरकारी संस्थाओं को देते हैं, 50 परसेंट प्राइवेट लोग, जो यह काम करना चाहते हैं उन्हें ग्रांट इन एक्ट देते हैं, डिफिकल्ट एरिया में जैसे नार्थ-ईस्ट से लेकर पहाड़ी इलाकों को करीब 70 परसेंट देते हैं। इसमें पहले सिर्फ छोटा-मोटा कम्पोनेंट दिया जाता था। जैसा आपने कहा कि जो डॉक्टरी, एमएस या ग्रेजुएशन कर रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम उसे भी स्टाइपेंड दे रहे हैं। इस तरह से हमने काफी ब्रॉडली कोशिश की है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को बढावा दें।

श्री चंद्रकांत खेरे: महोदया, मेरा अगला प्रश्न है कि क्या आपके विभाग की ओर से महाराष्ट्र में फूड पार्क के लिए अनुदान मिलेगा? आपके पास महाराष्ट्र के लिए ऐसे कितने प्रपोजल आए हैं? आजकल महाराष्ट्र में

फूड प्रॉसेसिंग यूनिट बंद होते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन्हें बढ़ावा देने के लिए या चालू करवाने के लिए कोई मदद देंगे?

श्री सुबोध कांत सहाय: महोदया, माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के बारे में कहा है। हमने महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में, कन्ज्यूमर्स, डेयरी, वाइल्ड मीलिंग, मीट, राइस मीलिंग, पल्स और फ्लोर में काफी ग्रांट दी है। हमने महाराष्ट्र में मेगा फूड पार्क दिया है। अभी 10 मेगा फूड पार्क का प्रपोजल मंत्रालय को मिला था और एक-एक मेगा फूड पार्क विभिन्न राज्यों को दिया है। भविष्य में अगर हमारे पास और मेगा फूड पार्क बनाने का प्रपोजल आता है और सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से एप्रूवल होता है तो हम कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र हॉर्टीकल्चर स्टेट है, हम जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं, हम करेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदया, गांव में महिलाएं हैं, जो परंपरागत तरीके से खाद्य प्रसंस्करण के काम में दक्ष हैं, उन्हें परंपरागत अनुभव है। क्या सरकार ग्रामीण महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण के काम में प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान देगी जिससे उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में काम मिल सके? बहुतायत ग्रामीण महिलाएं इस पेशे में लगी हुई हैं उन्हें परंपरागत अनुभव है, वे किसी वैज्ञानिक या आर एंड सी से ज्यादा अनुभव रखती हैं। क्या सरकार के पास ऐसी महिलाओं को अवसर देने के लिए कोई योजना है?

श्री सुबोध कांत सहाय: महोदया, हमने अभी खासकर 100 डेज, एक साल और पांच साल का जो अपना रोडमैप बनाया है, उसमें माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि पांच लाख महिलाओं को कैसे उद्यमी बनाया जाए, आप सही कह रहे हैं कि गांवों में माइक्रो लैवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे उद्यमी बनाया जाए। इसमें आई.टी.आई. और इस तरह की संस्था जिनके पास फूड प्रोसैसिंग सैक्टर का किरेकुलम नहीं हैं, उन्हें यूज करके और मंत्रालय के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से तथा प्राइवेट पिंचित्र पार्टनरिशप के माध्यम से हमारी कोशिश है कि पांच लाख महिला उद्यमियों को हम ट्रेन करने का काम करेंगे।

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be Laid, Shri Dayanidhi Maran.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI DAYANIDHI MARAN): Madam Speaker, on behalf of Shri M. Veerappa Moily, Minister of Law and Justice, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT 575/15/09)

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SUBODH KANT SAHAY): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, New Delhi, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, New Delhi, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT 576/15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Crop Processing Technology, Thanjavur, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Crop Processing Technology, Thanjavur, for the year 2007-2008.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No.LT 577/15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Office of the Director General of Investigation and Registration, (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 91 in Gazette of India dated the 20th June, 2009 issued under Article 309 of the Constitution.

 (Placed in Library, See No.LT 578/15/09)
- (2) A copy of the 37th Annual Report (Hindi and English versions) pertaining to the execution of the provisions of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 for the period from 1st January, 2007 to 31st December, 2007 under the Monopolies Restrictive Trade and Practices Act, 1969.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No.LT 579/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Madam Speaker, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions)

between the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 580/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam Speaker, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 581/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI JITIN PRASADA): Madam Speaker, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the GAIL (India) Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 582/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARUN YADAV): Madam Speaker, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Andrew Yule and Company Limited and the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT 583/15/09)

12.01 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the 205th Report of Standing Committee on industry on action taken on the 202nd Report on Demands for Grants(2007-08), pertaining to the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.*

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI VILASRAO DESHMUKH): Madam Speaker, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the 205th Report of the Standing Committee on Industry on action taken on the 202nd Report on Demands for Grants (2007-08), pertaining to the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 584/15/09.

12.02 hrs.

(ii) Status of implementation of recommendations contained in 39th Report of Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants(2008-09), pertaining to the Ministry of Minority Affairs*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Madam Speaker, I beg to lay on the Table a statement on the status of the implementation of recommendations contained in the Thirty-Ninth Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (Fourteenth Lok Sabha) on Demands for Grants for the year 2008-09 of the Ministry of Minority Affairs, in pursuance of the direction 73A of the Directions by the hon. Speaker, Lok Sabha under rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

The Standing Committee on Social Justice and Empowerment (Fourteenth Lok Sabha) presented its Thirty-ninth Report on the Demands for Grants for the year 2008-09, relating to the Ministry of Minority Affairs, to the Lok Sabha on 19th December, 2008. The recommendations were considered and the action taken by the government on the recommendations were submitted to the Committee on 4thh June, 2009.

Report contained five recommendations. The present status of implementation of all these five recommendations is indicated in the Annexure, which is laid on the Table of the House.

 $[\]ast$ Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 585/15/09.

12.02 ½ hrs.

(iii) (a)Status of implementation of recommendations contained in 35th Report of Standing Committee on Labour on "General condition of weavers in the country- A case study of concentration zone of weavers", pertaining to the Ministry of Textiles*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam Speaker, in pursuance of direction 73 (A) of the hon. Speaker, Lok Samba published in Lok Sabha Parliamentary Bulletin Part-II, dated September 01, 2004, I beg to lay a statement on the Table of the House on the status of implementation of recommendations contained in the Thirty-fifth Report of the Standing Committee on Labour on "General condition of weavers in the country – A case study of concentration zone of weavers."

The Standing Committee on Labour examined and presented its Thirty-fifth Report in the Lok Samba on 12th December, 2008. The Report contains 15 recommendations. The recommendations of the Committee focus mainly on the general condition of weavers in the country. The recommendations contained in the report have been examined in the Ministry of Textiles, and a statement on the action taken/proposed to be taken on these recommendations was submitted to the Standing Committee on Labour on 31st March, 2009. The Ministry of Textiles is committed to implement the recommendations of the Committee in their true spirit.

I also lay herewith the status of implementation of these recommendations on the Table of the House.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 586/15/09.

(iv) (b)Status of implementation of recommendations contained in 33rd Report of Standing Committee on Labour on "Development Schemes for Handicrafts Sector", pertaining to the Ministry of Textiles*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam Speaker, in pursuance of direction 73 (A) of the hon. Speaker, Lok Sabha published in Lok Sabha Parliamentary Bulletin Part-II, dated September 01, 2004, I beg to lay on the Table of the House a statement on the status of implementation of recommendations contained in the Thirty-third Report of the Standing Committee on Labour on "Development Schemes for Handicrafts Sector" of the Ministry of Textiles.

The Standing Committee on Labour examined and presented its Thirty-third Report in the Lok Samba on 24th October, 2008. The Report contains 11 recommendations. The recommendations of the Committee focus mainly on the Development Schemes for Handicrafts of the Ministry of Textiles. The recommendations contained in the report have been examined in the Ministry of Textiles, and a statement on the action taken/proposed to be taken on these recommendations was submitted to the Standing Committee on Labour in February, 2009. The Ministry of Textiles is committed to implement the recommendations of the Committee in their true spirit.

I also lay herewith the status of implementation of these recommendations on the Table of the House.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 587/15/09.

12.03 hrs.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising due to export of non-Basmati Rice to certain countries in violation of Government Guidelines and steps taken by the Government in regard thereto.

MADAM SPEAKER: Shri Arjun Charan Sethi.

... (*Interruptions*)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, इसके बारे में शुक्रवार को सबसे पहले हमने आपको नोटिस सबिमट किया था। इसमें चार पार्टीज के लोग हैं, जिनमें श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री गुरुदास दासगुप्त और श्री रेवती रमन सिंह जी हैं। हम सबकी तरफ से सबसे पहले नोटिस दिया गया था। लेकिन जो लाटरी की प्रक्रिया है, उसमें आपको कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस मामले को 21 तारीख को जीरो ऑवर में मैंने उठाया था। लेकिन जो लाटरी निकली है, उसमें हमें छोड़कर सबके नाम हैं। यानी छः सदस्य थे, उनमें से अकेले हम छंट गये हैं।

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव जी, मैं देखती हूं कि इसमें क्या हुआ। लेकिन श्री अर्जुन चरण सेठी जी के बाद आप बोलियेगा।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam Speaker, I call the attention of the Minister of Commerce and Industry to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Situation arising due to export of non-Basmati rice to certain countries in violation of Government guidelines and steps taken by the Government in regard thereto."

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to speak. You may lay the statement.

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): Madam Speaker, I am grateful to the hon. Member for having raised this matter and drawing the Government's attention to this issue. Madam Speaker, I would like to inform, through you, the hember and the House that the non-basmati rice is one of our important agricultural exports. India had exported 3.7

million tonnes of non-basmati rice in the year 2006-07 and 5.28 million tonnes in 2007-08.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you may lay it on the Table and in your reply you can elaborate on this.

SHRI ANAND SHARMA: I can do that.... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): On the Calling Attention Notices, Ministers always read fully and only on that basis questions are raised. ... (*Interruptions*) It is not merely laying on the Table.

MADAM SPEAKER: It is being distributed.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): No, it has not been distributed.

SHRI L.K. ADVANI: It may be distributed to the Members who have raised it. That will be a new practice.

MADAM SPEAKER: All right. You read it, hon. Minister.

SHRI L.K. ADVANI: The practice is that the Minister reads out the whole statement.

MADAM SPEAKER: All right, he is reading it.

SHRI ANAND SHARMA: I will continue, Madam.

The Government does review the availability of food grains within the country on a continuing basis. There was a general rise in food grain prices in the latter half of the year 2007. On 15th October, 2007, the Government imposed a ban on the export of non-basmati rice. This decision was occasioned by the general rise in food grain prices and an overall assessment of the domestic supply position.

The global prices of all types of rice continued to rise steeply over the next few months peaking in April-May 2008. Prices of rice nearly doubled in the international market in a space of less than six months.

Escalating food prices created situations of extreme distress in many parts of the world especially in the Least Developed Countries (LDCs) and some poor African countries. The Governments of these African countries approached the Government of India with a request to sell them limited quantities of non-basmati

rice. And that was, I may add here, a hundred per cent broken rice. Keeping in view our close international ties with these countries and the delicate supply position they were facing, it was decided on diplomatic considerations to authorize the export of limited quantities of non-basmati rice in relaxation of the ban. This was a Government decision.

In pursuance of this decision, the Director-General of Foreign Trade (DGFT) had issued a notification on 24th January 2008 authorising the export of non-basmati rice of 50,000 Metric Tonnes (MT) to Madagascar through the State Trading Corporation of India (STC) and 25,000 MT to Comoros and 9,000 Metric tonnes to Mauritius through the MMTC Limited.

On 26th March 2008, another notification was issued by the DGFT to export 40,000 Metric tonnes of non-basmati rice to Sierra Leone through the PEC Limited. This decision was taken by the Government again on specific requests from that Government and diplomatic considerations.

On 26th of March 2008, another notification was issued by the DGFT to export 40,000 MT of non-basmati rice to Sierra Leone through the PEC Limited. This decision was taken by the Government again on specific request from that Government and diplomatic considerations.

All through the first half of 2008, international supplies of food grains remained very tight. The Government of India continued to receive requests for release of limited quantities of non-basmati rice from various African countries. On 5th August 2008, the Government decided to permit export of 2,25,000 MT of broken rice to various African countries. These exports were to be made through the Public Sector Undertakings (PSUs) under the administrative control of the Department of Commerce.

On 13th of October 2008, the DGFT issued a notification permitting the export of non-basmati rice of 15,000 MT each to Nigeria, Senegal and Ghana and 10,000 MT to Cameroon. This rice was to be exported through STC. STC was expected to procure the rice from mills which had surplus rice in their stocks and

also to ensure that STC's entry into the market did not affect the overall domestic prices of rice.

In its meeting of 5th March 2009, the Empowered Group of Ministers on Food grains & Edible Oils (EGoM) considered another proposal for permission to export non-basmati rice to various countries on diplomatic considerations. The EGoM approved the proposal to export no more than 20 lakh MT of non-basmati rice on a diplomatic basis to some African countries. The Ministry of External Affairs advised the Department of Food & Public Distribution (DFPD) on 20th April 2009 about the allocation to various countries. On the 6th of May 2009, DGFT issued a notification allocating the export of non-basmati rice across 20 countries totalling 10 lakh MT.

In respect of the country allocations covered by the notification of 6th May 2009, no transaction has been completed as yet. One contract for 25,000 MT to South Africa, allocated by DGFT through their notification dated 18th June 2009, has been signed but execution of the contract has not begun. In this instance, the domestic supplier has been recommended by the Consulate General of India, Durban, based on a certificate from the Department of Trade & Industry of the Government of South Africa.

The actual export of non-basmati rice has been completed only in respect of transactions with five countries, namely, Madagascar, Comoros, Mauritius, Sierra Leone and Ghana. The total quantity exported is 1,21,500 MTs. The rice was procured from domestically available stocks and the approximate procurement value of the non-basmati rice was about Rs. 170 crore.

This export was not out of the stocks procured by FCI/other Government agencies for the Public Distribution System (PDS).

No other non-basmati rice has been exported even though authorisation for the release of such rice in relaxation of the ban is available. In all, the Government had authorised the release of up to 13.49 lakh MT; of this amount only 9% has actually been exported.

In one transaction, MMTC concluded the transaction with Mauritius for the sale of 8000 MT of rice by nominating a domestic supplier. The counter-party was the State Trading Corporation of Mauritius. In the four other transactions that were concluded, the Minister/Ministries of the recipient African countries nominated suppliers based in India. They also nominated the importing agency in the recipient African country. The transactions were completed through the PSUs in the Department of Commerce with the nominated domestic supplier providing the non-basmati rice to be exported. In all cases, the exporter was one of the PSUs under the Department of Commerce. All export documents were executed by the said PSUs.

The transactions completed were always intended to be concluded on a commercial basis. The Governments of the African countries had not requested the Government of India for release of non-basmati rice as aid or grant; it was always a request for an outright sale. Since all were commercial transactions, the PSUs and the domestic suppliers booked profits.

While examining the transactions that have been concluded it has been noticed that in some cases PSUs have infringed certain conditions contained in the DGFT notifications for the export of non-basmati rice. This matter is being looked into. Enquiries will be held, responsibility will be fixed and remedial action shall be taken.

Reports in the print media suggested, as has been raised, that this was a "Rs. 2500 crore rice export scam". The press report alleged that "greedy exporters used needy African countries to circumvent the ban on rice exports". The factual position is at serious variance with these allegations. As brought out, the total procurement value of rice actually exported was about Rs. 170 crore only.

Moreover, the fact of the matter is that the export of non-basmati rice in relaxation of the ban was fully authorised by the Government keeping in view close ties with the African countries, their pressing needs, and diplomatic considerations. And, even though the Government had authorised the release of about 13.5 lakh MT, a mere 1.22 lakh MT has actually been exported.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: The hon. Minister in his statement now has mentioned that non-basmati broken rice has been exported to different countries as per their request. He has admitted that. We know that in our country, there are 360 million people under the BPL list, who need food, especially this kind of rice for their survival, for meeting their requirements.

Hon. Minister must know and also the House knows that many State Governments are providing this kind of non-basmati broken rice to the BPL families at subsidized rates. For example, in Orissa, it is being provided at Rs.1 a k.g. Similarly, it is being done in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and in other States also.

He has said that we have enough rice. Does he know that the subsidized rice is being provided to the people in different States of the country? If he knows, what is the need of exporting when a ban on this non-basmati broken rice at all? I suppose that when food situation or the stock position in our country is not good and that is why, they have put a ban.

But the hon. Minister has now said that we have enough rice and we generally export rice to different countries. But there must be certain guidelines for exports. He has also admitted towards the end of his statement that 'it has been noticed that in some cases PSUs have infringed certain conditions contained in the DGFT notification for the export of non-basmati rice'. He has admitted that.

I want to know specifically from the hon. Minister – he has given the details as to what are the exports that have been made to different countries – why much of this kind of rice has been exported through PSUs like MMTC, STC, etc. the government agencies.

I would also like to know how much rice is exported through private parties. The hon. Minister has admitted that there are infringements in the export which means that there is something wrong with the process involved in exporting rice to different countries. He may tell not only to me but also to the entire House as to the countries which have asked for such type of rice and how much rice has been exported to them through PSUs.

Is DGFT a Government agency which authorises the export of rice and other commodities to different countries? It is alleged in the newspapers that DGFT has authorised certain selected private parties to export rice. How far is it correct? At the same time, some of the foreign countries have named some private parties through which this type of rice should be exported. Is it correct; if so, can we consider their proposal violating our own guidelines and procedure? A number of such things are being widely published in different newspapers and magazines. If it is correct, how so much of publicity is being given to this particular issue? It has also been reported that these countries ask for the broken non-basmati rice at the concessional rates on humanitarian grounds. Is it also a fact and if so, how much have we lost by way of exporting rice at a concessional rate to these countries? How far is it correct, on the part of a recipient country, to name a private party through which it wants to import rice or for that matter any commodity? I would like to be clarified on these points. I would be glad to know all the facts of the matter and therefore, would request the hon. Minister to reply to my queries on this.

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव, आपका नोटिस आया था, लेकिन बैलेट पर आपका नाम नहीं आया था, इसकी आपको जानकारी है। मैं फिर भी अपने विशेषाधिकार के अंतर्गत आपको बोलने की अनुमित देती हूं। लेकिन भविष्य में इसका उल्लेख करके परम्परा न स्थापित की जाए, यही मैं कहना चाहती हूं।



श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अभी कॉमर्स मिनिस्टर का बयान सुन रहा था। यह जो राइस स्केम या राइस घोटाला है, इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सन् 2006-07 में 3.7 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया। आपके ही वक्तव्य में लिखा हुआ है कि आपने सन् 2007-08 में 5.28 मिलियन टन दिया। आपने शुरुआत में ही श्री अर्जुन चरण सेठी जी को जवाब दिया है कि सन् 2006-07 में 3.7 मिलियन मीट्रिक टन और सन् 2007-08 में 5.28 मिलियन टन दिया।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आप नये मंत्री बने हैं, दक्षिण अफ्रीका में जहां भूख एवं दिक्कत थी, देश की डिप्लोमेसी कहती है कि वहां मदद करनी चाहिए, लेकिन यह मदद भारत के कानून के अंतर्गत होगी। घाना की सरकार यहां यह निवेदन करती है कि फलां-फलां आदमी से, एक तरफ आपका डीजीएफटी कहता है कि ये एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी सरकार के जिए एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर घाना की सरकार की तरफ से यह आता है कि यहां दिल्ली या भारत में जो अमीराफूड कम्पनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यहां नहीं है, अमीराफूड और शिवनाथ हिरनारायण, सियारालिओन और घाना, इन दो कम्पनियों के नाम उन्होंने पहुंचाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया संक्षेप में अपनी बात रखिए।

श्री शरद यादव: आपने कहा कि यह सौदा हमने इसिलए किया, क्योंकि देश में, दुनिया के अंदर दक्षिण अफ्रीका में भुखमरी थी, उन भूखे लोगों की मदद करने के लिए, वहां के विदेश मंत्रालय, वहां की सरकारों से मांग आई। वहां उसना चावल खाया जाता है, अरबा चावल नहीं खाया जाता। फिर उनके निवेदन पर यदि आपने यह राइस भेजा तो इस देश के कानून के बाहर एसटीसी, एमएमटीसी और पीईसी से यह नहीं गया, यह अमीराफूड, शिवनाथ हरिनारायण कम्पनी से गया। आपका जो एलसी है, वह स्विटजरलैंड और अमेरिका से आया। भारत का जो कानून है, आपने पब्लिक सैक्टर से कहा था कि एक्सपोर्ट करेंगे और यह एक्सपोर्ट पब्लिक सैक्टर ने नहीं किया, प्राईवेट लोगों ने किया। यह कहां से किया और कितने दाम में लिया? 280 डालर में लिया और कितने में बेचा?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, कृपया अब आप समाप्त करिए।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत में घाना और सियारालिओन को दक्षिण अफ्रीका में जो आपके पास रिकवेस्ट, निवेदन आया है, वह वहां की राज्य सरकार के जिए आया है, सरकार के जिए नहीं आया। ...(व्यवधान) वहां उसना चावल खाया जाता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

श्री शरद यादव: आपने जो राइस पहुंचाया है, अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से तीन-चार बातें पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

How did the private companies come into the Government to Government transaction? Secondly, why was no tendering process followed? यदि यहां प्राइवेट लोगों को देना भी था, तो आपने टेंडर प्रौसेस क्यों नहीं किया, टेंडर क्यों नहीं निकाला? सी.पी.सी. की गाइड लाइन्स हैं, फिर आपने टेंडर नहीं निकाला? Thirdly, on what basis was an allocation of 1,70,000 tonnes of rice made to Nigeria? वह उन्होंने क्यों कैंसिल किया, आपने दिया, उनके यहां से क्या रिक्वेस्ट आई और वह नकली है, या फर्जी है। उन्होंने 1 लाख 70 हजार टन कैंसिल किया और आपने उसे दक्षिण अफ्रीका को दिया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: Fourthly, on what basis was an allocation of rice made to South Africa? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत का कानून सरकार ने नहीं माना। इस देश के भीतर इस देश का और उस देश के भीतर उस देश का कानून चलता है, लेकिन आपने अपने देश के भीतर अपना कानून नहीं माना। आपने सब तरह के नॉर्म्स फ्लोट किए हैं और छिपाने का प्रयास किया है। आपने जो कार्रवाई करने का काम किया है वह बहुत माइल्ड होकर किया है। इस तरह से काम मत किरए। आप तो मंत्री अभी बने हैं। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास बहुत मैटर है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप शान्त हो जाइए। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री बी. महताब।

श्री शरद यादव: आपकी डी.जी.एफ.सी. ने 11 नोटीफिकेशन किए। क्या सिर्फ प्राइवेट पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Madam, Speaker, the Statement of the Minister hides many things than reveals the actual facts. I would like to refer to two paragraphs, namely paragraphs 15 and 16, of the Minister's Statement. In paragraph 15, the hon. Minister has stated that 'transactions completed were always intended to be concluded on a commercial basis'. Sierra Leone and Ghana wrote to the Ministry of External Affairs. This was a separate letter. I think, it was the second letter. The first letter that was written by 21 African countries had come to the Ministry of External Affairs. The Minister can explain this... (*Interruptions*) They had asked for concessional and preferential rates.

In paragraph 16, the hon. Minister has agreed that in certain cases PSUs have infringed certain conditions contained in DGFT notification for the export of non-Basmati rice. Responsibility will be fixed; enquiries will be held -- these are all in future tense – and remedial actions shall be taken. The letter that had first come to the Ministry of External Affairs was forwarded to the Ministry of Food mentioning that Sierra Leone and Ghana had asked for concessional and preferential rates and clearance was given to DGFT for notification of quantity of rice. The rice was supposed to be purchased from amongst different States. I would like to ask if the Government will find out and let this House know whether this rice was purchased from only one State and that is Andhra Pradesh.

Madam, Speaker, this contravenes the guidelines of purchase of rice. I need not go into the details. It has already been mentioned. Earlier it was 3 lakh tonnes, then it was 5 lakh tonnes and this time it was 13 lakh tonnes.

MADAM SPEAKER: You may please conclude now.

SHRI B. MAHTAB: I would like to know if the Government is aware that the Ghana Government is conducting an enquiry and this enquiry is going on for the last three to six months. The Government of India has also been informed and the former Minister of External Affairs of Ghana has been summoned to appear before their investigating agency – as we have here the CBI – the Ghana Bureau of National Investigation.

MADAM SPEAKER: You have asked your question. You may conclude now.

SHRI B. MAHTAB: What is the response of the Government?... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The discussion has been going on for a very long time. Be brief now.

SHRI B. MAHTAB: Madam, this is a serious matter.... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI: Madam Speaker, there is a difference between a Calling Attention in this House and a Calling Attention in the other House. I have been the other House also. Very often, on important issues, a Calling Attention would become a discussion for the whole day. In this House, the limit is that only five Members whose names are balloted are alone entitled to ask questions and I think, the hon. Member just speaking was only asking questions. You cannot curb that. Otherwise, the Calling Attention would become meaningless. They were very relevant questions put by him. My submission would be that the practice that we have in this House should be followed strictly and that his questions should be allowed as they are very relevant.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, with utmost respect to the hon. Leader of Opposition, I would like to say that rule 197(2) is not to the effect of what he has said. It says that there shall be no debate on this and only clarificatory questions can be asked. It says "only clarificatory questions" which mean that the Member has to ask only pointed questions. But what we have felt from the hon. Member before him is that he has taken it to be a debate. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The rule says "ask a clarificatory question". The word 'a' is very important. In spite of that, I have allowed you to speak for a very long time. Shri Mahtab, you may now conclude so that the next Member gets a chance. It is one question that has to be put.

SHRI ANANT KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, it cannot be a single clarificatory question.

MADAM SPEAKER: Please be seated.... (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: With the permission of the Speaker, you can ask a clarificatory question.... (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB: Madam, I respect whatever decision you take. But as far as I understand, all these questions are related to the matter under discussion though you have allowed five Members and also allowed Shri Sharad Yadav to put questions.

MADAM SPEAKER: I have allowed him and that is all right. But that does not mean that we completely do away with the rule. Please do not argue with me.

... (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB: I do not challenge your decision. I am only seeking your permission.

I want to know whether the Government had also, in principle, agreed to provide 1.17 lakh metric tones of rice to Nigeria which ultimately Nigeria declined to take for whatever reason which I am not aware of. I would like to know from the Government on it. When Nigeria had sought 1.17 lakh metric tonnes of rice and the government had agreed to provide it, what happened then? It is not that suddenly the rice procurement in Nigeria had increased and hence they declined. What actually had happened? Is it true that they had asked for a private party to export, it did not occur or something else happened? We want to know the details of it.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): माननीय अध्यक्षा जी, इस सदन में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है, यह इस देश के लिए एक बहुत गम्भीर और बहुत बड़ा घोटाला है। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, अपने जवाब में जो बातें लिखी हैं, उसमें बहुत कुछ तथ्यों को छिपाया गया है, जैसा पढ़ने में आया है।

नॉन बासमती चावल हमारे देश के निर्यात का एक मद है, हम इसको मानते हैं, लेकिन जैसा कि अभी वक्तव्य हम लोगों ने पढ़ा कि विभिन्न वर्षों में अलग-अलग जो निर्यात किया गया है, अगर टोटल देखा जाये तो कम से कम मेरे ख्याल से 9.7 प्रतिशत, करीब 10 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया गया है और खासकर हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो यहां पर सवाल उठाया है कि एक व्यक्तिगत कम्पनी, चाहे विश्वनाथ-हिरनारायण हो, अमीरा फूड हो या एल.एन.जे. कम्पनी, कोलकाता की हो, इनको विशेष तौर से निर्यात करने के लिए दिया गया है।

यह सभी समाचार-पत्रों में प्रमुखता से छपा है। जैसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है, पूरे को अगर जोड़ा जाए तो करीब ढाई हजार करोड़ रूपए का घोटाला है। डीजीएफटी की यहां जो चर्चा की गयी कि इस शर्त के आधार पर हम निर्यात करते हैं, लेकिन उसका घोर उल्लंघन किया गया। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम जांच करा रहे हैं, इसकी पूछताछ की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी और बाकी चीजें की जाएंगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच आप तक पूरी कर लेंगे और उन लोगों को क्या पनिशमेंट देंगे? इसके लिए आप एक तिथि बताने का कष्ट करें और यह समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं।

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam Speaker, it is a very serious issue. It was raised here by Shri Sharad Yadav and we all associated with what he said in regard to the scam relating to export of rice to Ghana. Several questions have arisen out of this deal in the export of rice. When the deal or the export of rice was from one Government to another, how did the private companies come into the picture? Three private companies were involved in the export of rice. The hon. Minister has stated that the amount involved is Rs. 170 crore, and that it is not Rs. 2,500 crore. The procurement price is Rs. 170 crore. How was the procurement price fixed? The Minister has stated that all these have been done under the public sector trading companies, the MMTC, the STC and the PEC. ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: The hon. Member does not need prompting. Let him speak.

SHRI BASU DEB ACHARIA: They have also violated the guidelines. When it was done under their guidance and under their control, how were these three companies allowed to procure directly – I would like to know at what price – and then export it to Ghana? If the matter was so simple, why had the Government of Ghana decided to go for an inquiry into this? Six months back, an inquiry was conducted, or still being conducted, by their agency. If there was no irregularity, how was the procurement price fixed? Why was the public sector trading companies not entrusted with the task of procurement of rice as well as its export? Why was no tender floated? ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Ask the question and conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam Speaker, I am only asking questions.

I would like to know whether the Government will appoint an independent inquiry or a Joint Parliamentary Committee to inquire into this matter. The matter is so serious, involving crores of rupees. There is a need for a Joint Parliamentary Committee to inquire into this matter. Considering the seriousness of the matter, I would like to know from the Minister, whether the Government will constitute a JPC to inquire into the whole scam and the whole matter.

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, I would thank you so much. Shri Gopinath Munde.

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमैंट सदन के सामने रखा है, उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मंत्री समूह ने तीन कम्पनियों को गवर्नमैंट के...(व्यवधान)

SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, at the outset I would like to object to these words uttered by the hon. Member. ... (*Interruptions*)

श्री गोपीनाथ मुंडे: आप क्यों औब्जैक्ट करेंगे, मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let the hon. Minister say what he wants to say.

 $\underline{\underline{}}$... (Interruptions)

श्री आनन्द शर्मा: मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।...(<u>व्यवधान</u>) आप आरोप लगा रहे हैं, इस पर मुझे आपत्ति है।...(व्यवधान) आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा।...(व्यवधान) आप आरोप नहीं लगाएंगे।...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रूव करने के लिए तैयार हूं कि इसमें सच्चाई नहीं है। उस समय आप मंत्री नहीं थे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इसमें स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना है, वह आप पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे: एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी ने एक्सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने चार प्राइवेट कम्पनियों द्वारा एक्सपोर्ट किया है। चावल का एलसी इन कम्पनियों को नहीं, स्विटजरलैंड की नोबल कमोडिटीज को दिया गया है। आपने इसे क्यों छुपाया? नोबल कमोडिटीज को नॉन एलसी खोला है।...(व्यवधान) वह चावल ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर जिन देशों के लिए दिया गया था, वह वहां नहीं पहुंचा। वह बीच में कहां गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक पत्रिका है जो कभी सरकार के खिलाफ नहीं लिखती, उन्होंने पत्रिका के दो ईशूज निकालकर कहा है कि यह ढाई हजार करोड़ रुपये का घोटाला है। इसलिए मैं सदन में मांग करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। मंत्री जी इसका जवाब दें। उन्होंने कहा है कि इसमें एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी दोषी हैं। इसमें एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी दोषी नहीं हैं बल्कि मंत्री समूह दोषी है। चुनाव से समय मीटिंग लेकर एक्सपोर्ट करने का फैसला क्यों लिया गया? इससे संदेह उत्पन्न होता है। * ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is an allegation. This will not go on record.

(Interruptions) ...*

श्री गोपीनाथ मुंडे: मेरी मांग है कि सदन और देश की जनता में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए इसकी सीबीआई द्वारा जांच करायी जाये। ...(व्यवधान) आप क्यों डर रहे हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइये। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है इसलिए अब आप माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछ चुके हैं, इसलिए आप उसे मत दोहराइये।

...(व्यवधान)

^{*} Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, the hon. Minister has to reply.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What the hon. Member is saying will not go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये और मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, many questions have been asked by the hon. Members. I have taken note of all those questions and I will try to clarify some of the doubts which have been raised. At the same time, I would submit with all sincerity that the Statement which has been given, after the Calling Attention notice was received, has been an exhaustive one. We have tried to place on record the sequence and the facts.

One issue which has been raised by Shri Arjun Charan Sethi is about the availability of broken rice. Particularly, he was referring to the PDS.

In my answer itself I have clarified first that whatever procurement was there, being a commercial transaction, the procurement, it was clear, had to be from the mills which had surplus rice in their stocks and also to ensure that the STC's entry into the market or the PSU's entry did not affect the overall domestic price. ... (*Interruptions*)

Secondly, I have also clarified that non-Basmati rice is one of our important agricultural exports. India has been exporting non-Basmati rice and that is purely commercial export which has been going on. It was only in the year 2007-08 when there was a surge in the global prices, the availability was also tight. So, a decision was taken by the Government of India on the 15th of October, 2007 to impose a

^{*} Not recorded.

ban. Once the ban was imposed, naturally no private parties or State undertakings could have exported the non-Basmati rice.

Now, what has happened? As there was a ban, there was lack of availability in the global market. The Governments of these African countries, individually, had written to the Government of India and, to the best of my knowledge, every request was received at the level of the Head of State or Head of Government for India to relax the ban and permit them to purchase. This was not a humanitarian assistance given by India. Therefore, there was no Government procurement or Government tender. I have also mentioned clearly that the concerned countries had identified the suppliers. This is true and I have mentioned it in my statement. ... (Interruptions) I cannot speak for them. You have asked a question. I am going to give you the answer. ... (Interruptions) शरद यादव जी, आपने प्रश्न पूछा था। अब आप उत्तर सुन लीजिए। ... (व्यवधान) इसका उत्तर मैं दूंगा। ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Sharad Yadavji, please do not interrupt him.

... (Interruptions)

SHRI ANAND SHARMA: I am not yielding. ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you address the Chair.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप उनको उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, I would like to, once again, reaffirm that these were transactions which were purely commercial. Requests were to allow these countries to purchase and the export to take place. It was not in violation of the rules of the ban. It was a conscious decision taken by the Empowered Group of Ministers.

Without causing any offence, I would also like to clarify here to Shri Gopinath Munde because what he said was something very serious; whether it was bona fide, I leave it to the Members of this House to judge after I have completed. These requests have been received post-2007 and my statement clearly indicates the various dates when the notifications were issued. It did not happen, as he said, at the time of the election. That is not correct. It started from 2008 onwards to various countries and the EGoM decision was taken in 2009. My statement clearly states that not even one grain of rice had gone against that decision. None of the earlier transactions, but for the ones which I have named, have been completed. I have also mentioned that out of 14 lakh tonnes ... (Interruptions)

SHRI ANAND SHARMA: Please allow me to complete. I have come to the House to share the details, and I have come to this House to apprise the Members as to what the initial inquiries have revealed. It is on record that out of 13.5 lakh metric tonnes, which was sanctioned by the EGoM for relaxation of ban to be sent to these countries, it was only 1.22 lakh metric tonnes. Of the total sanctions if you see as I have mentioned in my reply, only nine per cent actually has been exported.

They are looking at the quantities which were authorised to be exported and based on that volume and value... (*Interruptions*) I know what I am saying... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please, let him complete.

SHRI ANAND SHARMA: First of all, this is not the Government of India procurement, I would like to submit. The hon. Member is very wise and intelligent. If there is Government procurement then the price is fixed. These were commercial transactions. The ban was relaxed not on humanitarian assistance or a grant. As I have clarified, it is borne out of the reply which I am giving.

Mr. Sethi was referring about the PDS. Let me tell him that for PDS the releases are close to 240 lakh tones. There is no question of that. The PDS must

not be mixed up with that. Neither, it was taken from that... (Interruptions) Let me reply please. शरद यादव जी, आपने जो बताया कि 37 लाख टन और 52 लाख टन पहले गया, वह इससे सम्बन्धित नहीं है। पाबन्दी लगाने से पहले भारत की तरफ से जो निर्यात होता था, मैंने वह आंकड़ा आपको दिया है। उसके बाद अक्टूबर, 2007 में पाबन्दी लगी थी, पाबन्दी से पहले निर्यात होता था। ...(व्यवधान) पाबन्दी के बाद यह नहीं है, उसकी संख्या मैंने आपको दी है। मुझे इतना कहा है कि आपके मन में कुछ शंकाएं हैं, समाचार पत्रों के छपा है, उस पर आपने सरकार का ध्यान आकर्षण आपने किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यह विषय उठाया, सरकार को अवसर दिया कि इसकी तरफ देखे, इसकी जांच करे, तथ्यों को सामने लाए। जैसा मैंने पहले कहा, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन्स की मैं जानकारी दे सकता हूं जो पूरी हुई हैं, बाकी जो नहीं हुईं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके बारे में कहना संभव नहीं है।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): इसमें घपला हुआ है या नहीं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग शान्त रहिए।

SHRI ANAND SHARMA: We are all hon. Members. I respect all the hon. Members. They may be eager to get all the information. I am equally eager and the Government is also equally eager to get to the bottom of it. We will have every transaction, those which have been complete, examined, enquired into and wherever the infringement has taken place, responsibility will be fixed and action will be taken. But I cannot give you... (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार: कब तक कराएंगे? यह टाइम-बाउण्ड होना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए। उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): कितने समय में जांच कराएंगे?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप शान्त रहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, मै आपके माध्यम से श्री मुलायम सिंह यादव जी से कहना चाहता हूं कि वह मुख्यमंत्री रहे हैं, केन्द्रीय मंत्री रहे हैं। इन्हें सरकार, शासन व प्रशासन का अनुभव और ज्ञान है। यह कॉलिंग अटेंशन आज उठा है। जो मालूमात हमें मिली है, 24 घण्टे के अंदर वह जानकारी हासिल करके मैं सदन के सामने लाया हूं।

13.00 hrs.

आपको यह आश्वासन देता हूं कि हम इसकी पूरी जांच कराकर जिम्मेदारी तय करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाएगा किसी कंडीशन को तोड़ने का, तो उसे सजा देंगे, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाः पूर्व): क्या इस पर जेपीसी बनाएंगे...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदया, हमने यह नहीं कि यह विभाग से सम्बन्धित है इसलिए इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया कि जो कम्पनीज थीं, उनके कौन-कौन लोग थे, किन-किन के साथ रिश्तेदारी थी, यह सवाल किसी ने नहीं उठाया और उचित भी है। मैं समझता हूं कि यह इतना गम्भीर मामला है कि या जैसे मैंने और शरद यादव जी ने जेपीसी गठित करने की मांग की है, वह नहीं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम इसकी सीबीआई द्वारा जांच जरूर हो।...(व्यवधान) It is not merely violation of certain guidelines or rules; there is suspicion of a scam behind the whole thing. Therefore, either a JPC, as suggested by Sharad Yadav or an inquiry by the CBI should be established. ... (Interruptions)

SHRI ANAND SHARMA: Madam Speaker, I would like to inform, through you, to the hon. Leader of the Opposition that this issue has come in the public domain. We must also remember that our responsibility both to our people and to the country demands that the facts are brought out. We must avoid the tendency to sensationalize and exaggerate. ... (*Interruptions*) I have clearly mentioned... (*Interruptions*) Please allow me to speak. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let the Minister speak.

... (Interruptions)

SHRI ANAND SHARMA: I am submitting with all humility; I do not mean any offence or disrespect. What I am saying is that the volume and the value which have come out in the media, in my statement I have said that the transaction is not

of Rs. 2500 crore, it is only of Rs. 170 crore as per the prices of the private procurement. I am not talking of the Government procurement prices. I have also said that only nine per cent of the authorized quantities were exported; allow us to examine each transaction. Then I have said that wherever there is infringement of the DGFT's Guidelines, when this ban was relaxed, nobody will be spared. If there is infringement proven, responsibility will be fixed. Whatever details come out after the inquiry, I will come back to the House and share it. Thank you.... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI: We are not satisfied with the statement. We do not want to sensationalize it. But, I would plead with the Government not to trivialize it also. Therefore, dissatisfied with your reply, we are walking out.

13.04 hrs

At this stage, Shri L.K. Advani, Shri Sharad Yadav, Shri Arjun Charan Sethi and some other hon. Members left the House.

MADAM SPEAKER: Before the hon. Parliamentary Affairs Minister gives the statement, I would bring it to the notice of the House that if the House agrees, we will skip the Lunch Hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: Okay.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam Speaker, I would like to make only one submission to you that in the List of Business we have fixed the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill for consideration and passing before the Discussion under Rule 193. Since that could not be concluded yesterday, I would request that the Discussion under Rule 193, which was started yesterday, we may begin with that immediately, and the Minister may reply to that latest by 3 p.m. As such, the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill may be taken up tomorrow.

MADAM SPEAKER: Does the House agree?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.



MADAM SPEAKER: Now the House will take up matters of urgent public importance in 'Zero Hour'.

Shri Ravindra Kumar Pandey—Not present.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विाय की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्ति कराना चाहता हूं। 28 तारीख को, नेपाल सरकार ने, नेपाल में बने हुए बाणगंगा नदी के बेराज पर, जो लक्ष्मणगंज में स्थित है, अत्यधिक बारिश होने के कारण, उस बेराज का पानी जब ओवर-फ्लो होने लगा तो उन्होंने उस बेराज के 17 गेट खोल दिये और हजारों क्यूसिक मीटर पानी, नेपाल से, भारत में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद में, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती में आ गया। जिस तरह से पिछली साल बिहार की कोसी में नेपाल का पानी आ गया था, आज वैसी ही परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस बार फिर, नेपाल से पानी जो उत्तर प्रदेश की सीमा में सिद्धार्थ नगर के माध्यम से प्रवेश कर गया है। दो दिन के अंदर सिद्धार्थ नगर की सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया है और जो गोरखपुर से महाराजगंज होते हुए, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती वह सड़क जाती है, वह सोहरतगढ से बरनी के बीच में बंद हो गयी है। बरनी से बस्ती, फैजाबाद और लखनऊ को जो सड़क जाती है, वह भी बंद हो गयी है और हजारों एकड़ जमीन बेकार हो गयी है। आज तमाम गांवों में नावें चल रही हैं। चाहे कुटिया-गणेशपुर हो, चाहे भटियार-तुलसीपुर हो, गुलोरा-हलोरा हो या झंडेनगर हो, वहां इस तरह की परिस्थिति हो गयी है। परसों पानी आने के बाद, तीन व्यक्तियों की डूबकर मृत्यू भी हो गयी। उनके घर के सामने जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, आप उस परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं। नेपाल पानी छोड़ने की फिर दुबारा योजना बना रहा है। अगर फिर उन बेराज से पानी छोड़ दिया गया तो निश्चित ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के तमाम गांव बह जाएंगे, तमाम जनजीवन को नुकसान होगा और उससे केवल जो बंद बने हुए हैं, हमारे यहां जो बारिश और बाढ़ आती है, उससे उन बंदों को भी खतरा पैदा हो गया है। जैसे नवेल है, कठेला है या इटवा साइड में जो बंद हैं, उनमें पानी का दबाव बढ गया है। बाराबंकी या लखीमपुर तक में ये परिस्थितियां हैं क्योंकि ये नेपाल की फुट-हिल्स हैं जो पडरौना-खुशीनगर से लखीमपुर तक शुरू होती हैं। इन सभी जनपदों में नेपाल के सिद्धार्थ नगर से लाखों क्यूसेक मीटर पानी आ चुका है। अगर एक वक्तव्य यहां से आ जाता कि राज्य सरकार उस पर क्या प्रयास करेगी और भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके, उस पानी को तत्काल रोकने की कृपा करे। धन्यवाद।

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): Madam, actually, the Coal India Limited has constituted a Committee comprising of three persons to raise the

production in all the subsidiaries. What I would like to mention here to the Union Coal Minister, through you, is that the Eastern Coalfields Limited is producing Grade-A coal for the power sector, which is the most valuable coal in the country and it has been supplied throughout the country for a long time. But now Rs.5,000 crore is required to revive the Eastern Coalfields Limited. Unfortunately, the senior officials of Coal India are now making the statement that coal is not available in West Bengal for power generation, which is very unfortunate. When Parliament Session is going on, no money is being sanctioned from the Government of India since 10 years for the revival of the Eastern Coalfields Limited. Now, the senior officials of Coal India are issuing the statement that the Government of West Bengal will not get coal from Coal India to produce power there.

There is crisis of power because of dearth of coal. As you know, small and medium enterprises in the State of West Bengal are also suffering for a long time.

That is why I demand from the Union Ministry, through you, to raise the coal production in the Eastern Coalfields Limited and sanction Rs. 5,000 crore to revive these subsidiaries. Thank you.

श्री कोशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। नालंदा प्राचीन काल में बौद्धिक धर्म चिंतन का केंद्र था। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय भी था। महात्मा बुद्ध के अनुयायी नालंदा में रह कर धर्म चिंतन एवं समाज सुधार का काम भें करते थे। प्राचीन नालंदा को बचाए रखने के लिए यहां एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम की आवश्यकता है। नालंदा में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना करने की भी जरूरत है। नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकित्तत करने के लिए आईटीडीसी का कोई होटल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को यहां ठहराने के लिए आईटीडीसी होटल बनाने की आवश्यकता है। नालंदा में देश और विदेशों से बहुत से लोग आते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नालंदा में राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय म्यूजियम और आईटीडीसी होटल बनवाया जाए। धन्यवाद।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ सरकार का और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाई जा

रही विभिन्न योजनाएं चाहे वह नरेगा हो, मिड डे मील हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो या अन्य विभिन्न योजनाएं, जो भारत सरकार चलाती है, वे प्रांत में जमीनी रूप लेते-लेते, जैसा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस समय स्वीकार किया था कि जब एक रुपया भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो जमीन तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचता है। इस बात से सरकार भी वाकिफ है और पूरा सदन भी वाकिफ है। हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जब किसान आत्महत्या करने लगे, तब युवा नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक रुपए में से केवल 5 पैसा जमीन पर आता है और 95 पैसे भ्रष्टाचारी बिचौलिए खा जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजाराम पाल: महोदया, पूरा सदन चिंतित है। भारत सरकार प्रदेश सरकार द्वारा देश की योजनाओं की जो बंदरबांट हो रही है, उस पर अंकुश लगाने में अक्षम है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को भ्रष्टाचार की बिल चढ़ाने का काम कर रही हैं। अध्यक्ष महोदया: आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताइए और अपनी बात समाप्त कीजिए?

श्री राजाराम पाल: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को प्रदेश की सरकारें अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानों का प्रयोग कर रही हैं। अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI TAPAS PAUL (KRISHNANAGAR): Thank you, Madam for giving me the chance to speak in this august House. ... (*Interruptions*)

श्री राजाराम पाल: महोदया, सदन के 110 सांसदों ने एक जनहित याचिका लोकसभा में डाली थी कि तमाम भ्रष्टाचारी योजनाएं बंद की जाएं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाएं। दूसरे सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री राजाराम पाल: महोदया, मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप बैठ जाएं। अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only what Shri Tapas Paul is saying will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI TAPAS PAUL: Madam, I am from the film industry. I want to say something for my fraternity. Madam, I would like to draw your kind attention and that of the House on a very relevant issue of the present times, the genre of the Indian cinema, especially the films on regional language as I belong to that sphere. I have noticed that the films that depict and encourage the rural folk and regional cultural heritage get shunned or curbed by the Censor Board. As I represent the 'Ma', that is mother, 'Mati' that is Mother Earth and 'Manush' that is the people who live in the cradle of 'Ma' and 'Mati', I would like to voice for the upliftment and more mileage for the regional films which actually reflect the image of the rural India.

I would also like to draw kind attention of the House to the need of a Censor Board which will monitor the content telecast on television and its productions. There is no such body to oversee the visual materials which are telecast on television. From my experience, I have noticed that the pictures that the viewers see on their screens have no connection with reality. They depict irrelevant matters and this tendency of depicting artificiality has become an acute problem because the TV has reached every home in the country.

I sincerely hope that the television is the medium which should depict the reality of the village life and show the means of improving it. Under the guidance of our able leader, Kumari Mamata Banerjee, and respected Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, I would like to strive forward, with your cooperation, to empower the rural people through media.

मैडम, हम आपके माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को प्रोपर इंडस्ट्री के रूप में रिकॉगनाइज किया जाए और सेंसर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ऐसी मैं मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं।

^{*} Not recorded.

खॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, सुखाड़ पर बहस हो गई, कृषि विभाग के अनुदान पर भी बहस हो गई लेकिन मुझे आश्चर्य और खेद है कि इस साल की खरीफ फसल धान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। पहले से परिपाटी है कि बुआई के सीजन से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान होता है। किसान उससे उत्साहित होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें अच्छी आमदनी होने वाली है तो बढ़िया खेती करते हैं, ज्यादा खेती करते हैं। लेकिन जुलाई माह बीत गया, जून में ही इसका ऐलान हो जाना चाहिए था। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार में भी सुखाड़ हो गया है जहां जन-जीवन और गांवों में तो सुखाड़ था ही लेकिन क्या कारण है कि अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एलान नहीं हुआ?

दूसरे, हम चाहते हैं कि बढ़िया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान हो जिससे करीब 60 लाख हेक्टेअर जमीन में जो अभी तक बुआई का काम नहीं हुआ है, किसान और मेहनत करके, सिंचाई की व्यवस्था करके उसका इंतजाम कर सके, इसिलए मेरे दो सवाल हैं। एक तो यह है कि बढ़िया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान हो और जल्दी ऐलान होना चाहिए, जून में ऐलान होना चाहिए था। दो महीने का विलम्ब हो गया। क्यों सरकार निश्चित है और किसानोन्मुखी नहीं है? यह मैं जानना चाहता हूं, इसिलए जल्दी से जल्दी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान और खरीफ की फसल का एलान करे जिससे किसान प्रसन्न होकर उसमें और बुआई उत्साह से करे क्योंकि सुखाड़ संकट है, इसमें तो और जल्दी ऐलान करना चाहिए और अभी तक एलान नहीं किया गया है। इसी मुद्दे की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam, I associate myself with what Dr. Raghuvansh Prasad Singh has said.

MADAM SPEAKER: Yes, you can send the slip.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Madam, I would like to draw the attention of the Government, through you, to the most important issue concerning our health.

Madam, I come from the most backward district of Dharmapuri of Tamil Nadu, which is my constituency also. In my district, there is a high concentration of endemic fluoride in drinking water sources and it ranks the highest in the State of Tamil Nadu. Around 40 per cent of the water sources in Dharmapuri and adjoining Krishnagiri districts were found fluoride-contaminated compared with

the State average of 6.9 per cent. According to health officials, dental fluorosis occurs mainly due to heavy ingestion of fluoride from the foetal stage up to 12 years. When pregnant women drink fluoride infected water, the foetus also gets affected. Hence, mother and inborn child both are badly affected. Skeletal and non-skeletal fluorosis is characterised by pain in bones and joints, stiff back, burning sensation, muscle weakness, chronic fatigue, gastrointestinal disorders and loss of appetite.

Madam, the Government of Tamil Nadu -- to address this burning issue -- has initiated the Hogenakkal Comprehensive Water Supply Scheme, which is in its preliminary stage. In the meanwhile, as an urgent interim arrangement, it is necessary to chalk out an alternative water supply scheme, through the Central Government, for the welfare of the district of Dharmapuri that is not only suffering from shortage of potable water, but its groundwater level has also depleted. Further, the existing water level was also contaminated with a high content of fluoride, which is causing various diseases. Therefore, there is an urgent need to address this endemic problem.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI R. THAMARAISELVAN: The supply of protected drinking water to all villages was incorporated in the Tenth Five-Year Plan, but people in many parts of Dharmapuri and Krishnagiri still depend upon the groundwater, which has high content of fluoride.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, just mention what you want from the Central Government and conclude.

SHRI R. THAMARAISELVAN: In these circumstances, I would urge upon the Government of India to extend a helping hand to the State Government of Tamil Nadu, which is doing its best to provide potable water to all the villages in entire Tamil Nadu so that together we can give relief to the people of Tamil Nadu -- including the people of Dharmapuri and Krishnagiri -- as far as their drinking water problem is concerned. Thank you.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मैटर आफ अर्जेंट इम्पार्टेंस के तहत मुद्दा उठाने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बह्त महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली में कॉमन वैल्थ गेम्स अक्टूबर, 2010 में होने वाले हैं। इसके लिए बहुत से इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कुछ हार्डवेयर इन्टरवेंशन है और कुछ सॉफ्टवेयर इन्टरवेंशन है। लेकिन टूरिस्ट गाईड से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब विदेशी मेहमान आएंगे तो उन्हें गाईड करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा आईटम कहां से खरीदना है तब यहां, जो लपके अवेलेबल हैं, वे विदेशी मेहमान को लपक लेंगे और विदेशी वापिस जाकर कहेंगे कि हमें इंडिया का टेस्ट ठीक नहीं आया। मान लीजिए कोई विदेशी मेहमान आता है और उसे हैंडीक्राफ्ट का कोई आइटम जैसे पचफेरा खरीदना है। पचफेरा 5000 रुपए का भी होता है और 50000 रुपए का भी होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ब्लू पॉटरी 500 रुपए की भी मिलती है और 5000 रुपए की भी मिलती है। इसी तरह से कॉर्पेट 5000 रुपए का भी मिलता है और अगर कोई हैंड निटिड बढिया कार्पेट हो तो वह 50000 रुपए तक का भी मिलता है। कॉमन वैल्थ गेम्स के लिए ट्रिस्ट गाईड की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जब विदेशी मेहमान आएं तो वे देख सकें कि उनको कहां ठहराएंगे, कहां खरीदारी कराएंगे, दिल्ली ढंग से कैसे दिखाएंगे। इन्हें इंडिया के टूरिस्ट प्लेस को दिखाने का मौका मिलेगा। मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी का और पर्यटन मंत्री जी का ध्यान टूरिस्ट गाईड के सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, वर्ष 2007 में एक परीक्षा भी ली गई थी और फीस भी ली गई थी लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। अगर ट्रेनिंग दे दी जाए तो हजारों बेरोजगार लोगों को काम मिल जाएगा।

श्री सज्जन वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि भारत के अलग प्रदेशों में कई जगह अवर्षा की स्थित बनती रही है। पूरे देश में इस तरह से धीरे-धीरे पेयजल का संकट अवर्षा की स्थित के कारण पैदा होता जा रहा है। जब हम ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं तब महिलाएं तीन या चार किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती हुई दिखती हैं। यह पानी की विभीषिका है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नरेगा योजना या स्पेशल फंडिंग के माध्यम से कोशिश की जाए ताकि भारत के प्रत्येक गांव में जीवित जल स्रोत, टंकी बने। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक पेयजल का स्रोत हर गांव में जीवित रहे ताकि पेयजल की विभीषिका से निपटने में हमारा देश सक्षम हो सके।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में बड़े पैमाने पर विदेशी वीज़ा लेकर आ रहे हैं, इनकी घुसपैठ लगातार जारी है। इस बात की सदन में बराबर चर्चा हुई है। भारतवर्ष में 403 पाक नागरिक आए हैं जिनका कोई अतापता नहीं है। और वे गुम हैं। उनके बारे में जांच एजेंसियों को भी पता नहीं है। लेकिन खुफिया एजेन्सी के पास इसकी पुख्ता और पूरी जानकारी है। केन्द्रीय खुफिया एजेन्सी ने ऐसे लोगों की जानकारी के लिए एक अभियान चलाया है। ए.टी.एस. को भी इसकी पूरी जानकारी है। इस मुद्दे पर सदन में बार-बार चर्चा हुई है कि बंग्लादेश से अवैध रुप से लोग हमारे देश में आ रहे हैं। प्रति वर्ष पांच लाख बंग्लादेशी हिंदुस्तान में आते हैं। लेकिन उनमें से 25 हजार बंग्लादेशी वापस नहीं जाते हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर बाहर से लोग यहां आ रहे हैं। स्तिक कारण हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले और जो विदेशी लोग यहां आकर वापस नहीं जा रहे हैं, कम से कम उन्हें तलाशा जाए। कहीं ये लोग उग्रवाद और आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त तो नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह ऐसे लोगों के बारे में पता करके उन्हें चिह्नित करे कि वे कैसे लोग हैं, यहां गुम क्यों हुए हैं और वे यहां से वापस क्यों नहीं जा रहे हैं?

श्री चंद्रकांत खेरे (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्व सामान्य नागरिकों का एक नियम के कारण जो तकलीफ होती है, उस नियम के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ट्रैफिक नियमों को आधार बनाकर हैलमेट पहनकर ही टू व्हीलर वाहन चलाने के नियम के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर, औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में और कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। सिटी में वाहनों की गित सीमा 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित होती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि कम्पलसरी हैलमेट पहनने का नियम हाईवे पर लागू होना चाहिए या शहर के बाहर होना चाहिए। परंतु जहां ट्रैफिक बढ़ जाता है और उसके कारण बहुत कंजेशन होता है, वहां पुलिस के द्वारा तथा अन्य तरीकों से वाहनधारकों को तकलीफ मिलती है। इसलिए इन परेशानियों को दूर करने के लिए हाईवे पर ही हैलमेट पहनने का कानून होना चाहिए।

इसलिए इस सदन के माध्यम से इस नियम में कुछ ऐसा अमैन्डमैन्ट होना चाहिए कि हैलमेट न पहनने वालों को चालान और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय सड़क परिवहन मंत्री इस कानून में ऐसा सुधार करें, ताकि किसी को तकलीफ न हो। टू व्हीलर वाहनों के लिए हाईवे पर हैलमेट

पहनना कंपलसरी किया जाए और सिटी में ऑप्शनल रखा जाए। ताकि हैलमेट न पहनने वालों को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो तकलीफ होती है, वह तकलीफ दूर हो जाए।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): It is very alarming to learn that only 54.1 per cent of India's children are fully immunized. It means 45.9 per cent children are not immunized. The other half runs the risk of disease as they have failed to complete even the basic immunization schedule. Out of this, 11.3 per cent children never received any form of vaccination. With a large number of children in our country, and a larger network of health services, I fail to understand why the basic immunization programme has been tardy. Every Panchayat and every village are covered by Anganwadi, ASHA and some other health workers. That too, parents are supposed to be made aware of the need of immunization of their children. Yet, the latest data depicts the dismal picture. Uttar Pradesh has the lowest, that is, 31.1 per cent fully immunized children which means around 69 per cent of the children are not immunized. Next comes, Meghalaya which has 34 per cent; Tripura and Madhya Pradesh 38 per cent; and Bihar, 41 per cent children who are immunized.

The States which have crossed 50 per cent immunization is of little solace either. As the immunization programme is for all, why an attempt not being made to have cent per cent immunization? Families are to be informed and educated by hordes of health workers, ASHA and Anganwadi workers to make this programme a success. Do not just leave this to the State Governments. The Centre should intervene and provide incentives to districts and panchayats through State Governments and to put in place a monitoring mechanism to oversee the immunization programme of children as it concerns the health of the nation.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, yesterday I was speaking...... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: It is about your 'Zero Hour' notice.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, the Government of India has rightly asserted that the country's natural gas reserves including the gas of the KG basin is a national asset. This asset and the interests of the economy cannot be held no stage

to the benevolence and mercy of some private players. This was stated by the Government Counselor in the court in the affidavit filed by the Government of India. We also believe that such firm assertions should be allowed and this should be followed up by the appropriate executive action on proper distribution mechanism to make gas available to priority sector in the country. The regional balance in gas distribution should also be ensured through a national gas grid as proposed in the Budget.

The pricing of gas should be based on rational and transparent formulation. As gas is being produced on our own soil, there is absolutely no justification in pricing it on the basis of linkage with international price of an altogether different product like crude oil, as has been done at present, making gas price at US dollar 4.32 per MMDTU. This price was fixed by the EGUM that was formed to decide on the price of gas that will be available from KG basin.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA: The present gas price determined by the EGUM must be revived. It must be revived and it should be the benchmark 2.34 dollar MMDTU as offered to the National Thermal Power Corporation.

Madam, I demand that the price which has been raised by the empowered Cabinet Committee should be revised and the distribution and marketing of gas of KG basin should be undertaken by the Government and it should not be exploited by the private company.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी परमीशन से मेरी कांस्टीटुयंसी और इस देश के बहुत ही इम्पार्टेंट फ्रीडम फाइटर श्री गिरधारी लाल डोगरा के बारे में सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। वह जम्मू कश्मीर की एक शान और सपूत थे जिन्होंने बहुत कुरबानी दी। वह जम्मू कश्मीर के 25 साल तक फाइनैंस मिनिस्टर रहे।

अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर में नेशनल हाईवे ए-1 बन रहा है। उस हाईवे पर हीरानगर मोड़ पर स्व. डोगरा जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। अभी तक कंस्ट्रक्शन वर्क शुरु नहीं किया गया है। वहां पर पहले मिट्टी की एमबैंकमेंट बनायेंगे। उस इलाके के लोगों की मांग है कि अगर पिलर लगाकर

फ्लाई ओवर बनाया जाये तो वहां पर प्रतिमा भी रहेगी और साथ में टोटल ऐरिया में जो मार्कीट है, वह भी उससे बच जायेगी अन्यथा कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो हमारी पार्टी का इतना बड़ा नेता रहा और देश के लिये भी रहा तो उसकी प्रतिमा वहां तबाह और बर्बाद होगी। मेरी सबिमशन है कि इसे एम्बैंकमेंट न माना जाए और इसे पिलर पर बनाया जाना चाहिए।



13.35 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. SPEAKER: Matters under Rule 377 will be treated as laid on the Table of the House.

(i) Need to undertake repair works of N.H. 47 from Aroor to Haripad in Kerala

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): The National Highway 47 from Aroor to Haripad, which is connected to Alappuzha Roads division, is not in a good condition for traveling. The maintenance of the said National Highway has been demanded by people's representatives and other public organizations, but it has not been done by concerned authorities so far. Due to increasing number of accidents and deaths on this Highway people dread to make journey through this way. The National Highway Authority of India (NHAI) have taken up the entire work of this area along with the four laning project of NH 47 from Cherthala to Kaliyikkavila. The NHAI have taken a specific stand that the surplus improvement works are not necessary here because the four-laning works have already started. But, in fact, the preliminary works for four-laning project is not completed yet, even its tender formalities and land acquisition works are not completed. The completion of four-laning work will take so many years. So it is not advisable to connect the surplus improvement works along with the four laning work. In order to resolve the issue, the Government of Kerala has submitted a detailed proposal for the surplus improvement works of this area. The Road Transport and Highways Ministry may give sanction to the works proposed by the Government of Kerala and complete necessary improvement works and ensure prompt intervention on the issue.

^{*} Treated as laid on the Table.

(ii) Need to re-start the construction of railway line linking Udhampur, Katra & Banihal in Jammu & Kashmir

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): The construction work of railway line from Udhampur to Katra and Katra to Banihal is closed due to unknown reasons. Rs. 1100/- crores have already been spent on this line. A large area of canal land was damaged, lakhs of trees uprooted for the construction of this railway line. Thousands of construction workers, labourers, and equipments are lying idle for the last eight months due to termination of construction work with the result that Jammu & Kashmir is still longing for railway link to other parts of the country. Hon'ble Speaker through you, I request the Government to re-start construction of the railway line.

(iii) Need to restart excavation of coal in closed collieries in Giridih Parliamentary Constituency of Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): 2008-09 के दौरान देश में आयातित कोयले पर निर्भरता करीब 16.00 मिलियन टन हो गया है और देश में करीब 74 प्रतिशत कोयला के उत्पादन का इस्तेमाल विद्युत क्षेत्र में होता है। हमारे संसदीय क्षेत्र के बीसीसीएल के अंतर्गत बरोरा क्षेत्र सं-1 में दो, गोविन्दपुर क्षेत्र सं. 03 में चार, डब्ल्यू जे, एरिया मुनीडीह में तीन, कतरास क्षेत्र सं. 4 में तीन, सिजुआ क्षेत्र सं-5 में चार कोयला खदानें बंद हैं। सीसीएल के जगेश्वर कोयला खदान भी 1986 से बंद है और केन्द्र सरकार ने इस खदान को झारखण्ड मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से चालू करने का विनिश्चय किया था, परन्तु अभी तक परिणाम शून्य है।

बंद कोयला खदानों में काफी मात्रा में कोयले का भंडार है, परन्तु कोल कम्पनियों के द्वारा विस्थापन, पर्यावरण, वैज्ञानिक एवं संबंधित समस्याओं का उचित ढंग से निष्पादन नहीं करने के कारण कोयला खदानों को चालू नहीं कराया जाता है जिससे देश को ऊर्जा समस्या, बेरोजगारी एवं राजस्व की हानि का दंश झेलना पड़ रहा है।

अतः सरकार से आग्रह है कि बंद पड़ी कोयला खदानों को पुनः चालू करने हेतु एक उच्चस्तरीय दल का गठन कर इसे चालू करने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाया जाये।

(iv) Need to undertake development works in Varanasi under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): वाराणसी नगर की निरंतर बढ़ती हुई यातायात कठिनाइयों का समाधान करने हेतु वाराणसी की प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण, वाराणसी में गंगा पर राजधाट के पुल की मरम्मत तत्काल कराते हुए उसे खोलना, बी.एच.यू के आई.टी संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित मेट्रो रेल के निर्माण के बारे में शीघ्र निर्णय करना एवम् वाराणसी नगर की सड़कों को सुधार कर यातायात को नियमित करना। इन सभी प्रस्तावों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के द्वारा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करते हुए क्रियान्वित कराना।

(v) Need to provide stoppage to all the Goa-bound trains at Karmali Railway Station in Goa

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): गोवा पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और यहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह भी प्रायः होते रहते हैं जिनमें काफी बड़ी मात्रा में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। जिसस रेलवे को करोड़ों रूपये की आमदनी प्रतिवर्ष होती है।

कर्मली गोवा का मुख्य रेलवे स्टेशन है। कर्मली रेलवे स्टेशन से पणजी मात्र 9 कि0मी0 है तथा गोवा के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं वह भी यहां से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हैं और इस रेलवे स्टेशन से वहां तक पहुंचने के लिए साधन भी उपलब्ध हैं। किंतु, कर्मली रेलवे स्टेशन पर मात्र 3-4 गाड़ियों का उहराव होने के कारण पर्यटकों को मडगांव रेलवे स्टेशन (जहां पर प्रत्येक गाड़ी का उहराव है) पर उतरना पड़ता है। यहां से पणजी 21 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां तक जाने में यात्रियों को परेशानी के साथ-साथ पैसे और समय की भी बर्बादी होती है। अतः यह आवश्यक है कि इस लाइन पर चलने वाली प्रत्येक यात्री गाड़ी का उहराव कर्मली रेलवे स्टेशन पर दिया जाये।

अतः मेरा रेल मंत्री महोदया से अनुरोध है कि पर्यटकों की असुविधा को देखते हुए गोवा आने-जाने वाली प्रत्येक यात्री गाड़ी का कर्मली रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि गोवा में पर्यटन को और बढ़ावा मिले तथा रेलवे की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी हो।

(vi) Need to start production of oil from Ratna R Series oil fields

श्री निशिकांत दुवे (गोड्डा): आपके माध्यम से रत्ना-आर-सीरीज के तेल क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति के कारण देश को हो रहे नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 1999 में रत्ना-आर-सीरीज की तेल क्षेत्र जो ओ०एन०जी०सी०, ब्रिटिश पेट्रोलियम व एस्सार ग्रुप को अवार्ड की गई थी। उसके ही साथ एन०ई०एल०पी० के राउंड के अवार्ड किये गये। सारे ब्लॉक्स से उत्पादन शुरू हो गया है। परन्तु, पिछले 10 वर्षों से दो बार क्लीयरेंस देने के बाद भी आज तक सरकार ने रत्ना-आर-सीरीज के तेल क्षेत्र में उत्पादन शुरू नहीं किया है। इसके कारण all cess and royality के आधार पर सरकार अरबों का घाटा उठा चुकी है तथा import Bill में करोड़ों Dollar बर्बाद कर चुकी है।

अतः केन्द्र सरकार से मांग है कि इसे अतिशीघ्र शुरू किया जाये।

(vii) Need to set up a Commando & Police Training School in Himachal Pradesh

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं सीमावर्ती प्रदेश है। इसका एक हिस्सा आतंकवाद से प्रभावित जम्मू-कश्मीर की सीमा से लगता है एवं दूसरा हिस्सा तिब्बत से लगता है। हिमाचल प्रदेश से देश की रक्षा सेनाओं में अपेक्षाकृत बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भर्ती होते हैं। यही कारण है कि अनुपातिक दृष्टि से बहुत छोटा प्रदेश होते हुए भी यहां के रण-बांकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की सबसे ज्यादा आहुतियां दी हैं, फिर चाहे वह चीन का युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ हुए दो युद्ध अथवा तीसरा कारिगल का संग्राम हो।

महोदय, गृह मंत्रालय देश भर में कमांडो एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के देश-प्रेम एवं बलिदानों को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि वे कम से कम एक कमांडो और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में अवश्य स्थापित करें।

(viii) Need to provide Instrument Landing System at Srinagar Airport in Jammu & Kashmir

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): After officially declaring Srinagar Airport (Kashmir) as an international Airport and to meet the growing rush of domestic and foreign tourists to Kashmir Valley, immediate attention should be given to upgrade the Airport. Amongst other things installing low visibility infra-structure and instrumental landing operative system needs to be put in place on priority.

13.36 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193 Issues arising out of Prime Minister's recent visit to foreign countries – Contd.

MADAM SPEAKER: The House shall now continue with the Discussion under Rule 193. Shri Basu Deb Acharia to continue.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, where is the Minister?

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, the External Affairs Minister is not here.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I am taking notes.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है। कम से कम विभाग के मंत्री जी को यहां होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप शांत होकर बैठिए। अभी लीडर ऑफ हाऊस बैठे हैं और उन्होंने बता दिया है कि वे नोट ले रहे हैं। आप शांत हो जाइए।

Please continue Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, yesterday while intervening in the debate the Prime Minister said with regard to availability of ENR technology, "As far as the G8 is concerned, the fact is that we have no civil nuclear cooperation agreement with G8 bloc *per se*. We have, however, signed bilateral agreements with France, Russia and the United States." We know that India first signed a bilateral agreement with the United States of America and subsequently signed bilateral agreements with France and Russia. But these are member countries of the G8 grouping. All the representatives in the meeting of G8 countries decided that they would not allow ENR technology to a country which has not signed the Non-Proliferation Treaty. When they have decided so jointly and collectively, how can one of those countries separately decide to supply this technology to our country? There are three countries with nuclear weapons - India, Pakistan and

North Korea – which have not signed the NPT and India is being isolated in the case of availability of enrichment and reprocessing technology.

13.37 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

Sir, you know that there is a consensus in our country that we will not be party to an agreement that is discriminatory. Non-Proliferation Treaty is a discriminatory agreement. We did not agree to sign the FMCT and CTBT because those are discriminatory agreements. We will not be party to such discriminatory agreements. From the very beginning the Government of India knew that the United States of America, even after signing the agreement, made it clear that they would not supply reprocessing technology to our country. We are proud of our indigenous technology. We have our technology but this has to be updated. The main interest of the United States of America is to supply reactor and nuclear fuel. Other than reactor and nuclear fuel, they agreed to supply no item to our country. Then, how can the Prime Minister say that the exemption is unconditional and the exemption is clear? Exemption that has been given in regard to nuclear fuel is unconditional, and no conditions have been imposed.

How has he said this: The USA has proposed or rather the G-8 countries have decided collectively that they would not supply the reprocessing technology to a country which has not adhered to the non-proliferation architecture? How would the other country disobey if it has been decided like that in the G-8 countries? What will happen to our R&D in regard to nuclear technology? We will be deprived of that and we will not be able to reach the third phase, that is the thorium-phase in nuclear technology.

The Prime Minister stated in his intervention that we have developed our indigenous technology, why did we agree to sign the nuclear cooperation agreement? What was the need and necessity if we will not get ENR technology? Why should our country be deprived even after our Prime Minister said that we have got clean waiver?

The second question is on end use monitoring agreement. The Prime Minister said that this end use monitoring was in existence since 1990. Whatever equipment we have purchased from the USA, all of them are subject to end use monitoring by the USA. But it was on an *ad hoc* basis.

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI BASU DEB ACHARIA: There was no agreement with the USA; that has been stated by the Prime Minister, while intervening yesterday. When the agreement has been signed by India and the USA, what will happen?

MR. CHAIRMAN: Mr. Acharia, please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA: This is very important, but that question has not been addressed by the Prime Minister yesterday.

The US will have the right to check whether India is using any purchased weapon for the purpose for which it was intended. This could mean a weapon system bought by India to bolster defence; say, for instance, against China or if India wants to use it against Pakistan, they will not be able to use it against Pakistan. EUMA restricts what purchasing country like India can do with US-origin defence equipment, even within its own border; you will not be able to do anything with the equipment which we purchase from the USA.

MR. CHAIRMAN: Okay, please conclude. There are 13 more hon. Members waiting to speak; please allow others to make their speeches. The hon. Minister may reply at 3 o'clock.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Please give me 2-3 minutes.

MR. CHAIRMAN: No. Already you have taken 15 minutes; yesterday also you spoke; so, you have taken 22 minutes; please wind up now.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Under the terms of EUMA, India cannot modify the purchased defence article or system in any form.



And, it also cannot prevent the buyer country from freeing itself from dependency on United States for maintenance. India would not be able to undertake maintenance of any of the equipment purchased from America. This is not so with the other countries. We have purchased a number of Defence equipment from Russia, erstwhile USSR but this end-use monitoring system was not there for the equipment purchased from other countries. This restricts India from getting ordinary US Defence equipment serviced by any other country without prior American permission. The Prime Minister has stated that the inspection will be fixed on mutually agreed date and the inspector from America will inspect the equipment supplied by America. Those inspectors will not be allowed to visit any sensitive establishment in our country. If any equipment is installed in a sensitive establishment in our country, then that equipment has to be brought to other place This is nothing but infringement on our sovereignty, our for inspection. independence. So, by signing the End-Use Monitoring Agreement with the United States of America, we have become different as with no other country this system When there was an ad hoc arrangement, why did India sign the Agreement? Our C&AG and Air Chief has also criticised signing the Agreement with the United States of America in regard to the End-Use Monitoring. We think this is an infringement on our sovereignty. Our independence has been surrendered to the United States of America and we opposed this End-Use Monitoring Agreement which has been signed between the Government of India and the United States of America.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman. I stand here to participate in the discussion, the second day, relating to the issues arising out of the Prime Minister's recent visit to foreign countries. The issues before us are manifold, no doubt, but I will confine myself to four issues;

- India Pakistan Joint Statement
- The End-Use Monitoring Agreement with the United States
- The G8 Resolution on Enrichment Technology
- The Agreement on Climate Change.

I would deduce the discussion today on two counts. One is the delinking of terrorism from composite dialogue process and the inclusion of a reference relating to Balochistan in the joint statement.

Second is, End-Use Monitoring Agreement about which the Government has fought shy of taking this House into confidence.

On July 9th the Foreign Affairs Minister Shri Krishna made a *suo motu* statement in this House on significant developments in our neighbourhood. In Para 4 of that statement the first indication of softening towards Pakistan was indicated and I would quote:

"When the Prime Minister met President Asif Ali Zardari, it was agreed that the Foreign Secretaries of India and Pakistan will discuss what Pakistan is doing and do to prevent terrorism from Pakistan against India and to bring to justice those responsible for those attacks including the horrendous crime of the attacks in Mumbai."

So, the decision to discuss was not a sudden one. After the Pakistan directed massive explosion in the Indian Embassy in Kabul last July, already a year has passed, which was followed not long after by the outrage in Mumbai, this country had suspended the composite bilateral dialogue process with Pakistan.



A condition was officially stipulated and reiterated at every opportunity that the composite dialogue could be resumed only if Pakistan gave concrete proof of moving against its nationals who attacked Mumbai and dismantling the infrastructure of terrorism on Pakistani soil. None of this thing has come to pass. We have received a dossier and the end result is only five persons.

A month ago when hon. Prime Minister, Dr. Singh met President Zardari in Yekaterinburg, he had bluntly told President Zardari that "My mandate is limited to telling you that the territory of Pakistan must not be allowed to be used for terrorism against India." But the developments show that the Prime Minister's warning went unheeded.

On 19th July this month, Indian security forces have captured two well armed Pakistani terrorists of Lashkar-e-Toiba, Mohammad Adnan and Mohammad Shafkat, who hail from Sahiwal district of Pakistani Punjab, and who infiltrated across the line of control. They have revealed that they belonged to a group of 15 militants who had been trained in Pak-occupied Kashmir to attack the Baglihar Dam in Jammu and Kashmir. They also revealed that a secret tunnel was being built near the border town of Sialkot for infiltration into India across the international border.

Three days later, Mr. Richard Barrett, Coordinator of the United Nations Security Council's Al-Qaeda and Taliban Sanctions Committee, has warned that there was a "real risk" that the Lashkar-e-Toiba would target India again. These are two instances which demonstrate that infrastructure of terrorism in Pakistan remains alive and kicking.

Let us not forget that on January 6, 2004, the Prime Minister Vajpayee and President Musharaf had jointly declared that India agreed to resume the composite dialogue process with Pakistan only after a categorical assurance from General Musharaf that the territory under Pakistan's control would not be used for terrorism against India.

There has thus been a clear link between Pakistan dismantling the infrastructure of terrorism on the one hand and India agreeing to continue the composite dialogue on the other.

Despite this, the Joint Declaration after Prime Minister, Dr. Singh and the Prime Minister, Mr. Gilani astonishingly notes – "Both Prime Ministers recognised that dialogue is the only way forward. Action on terrorism should not be linked to a composite dialogue process and these should not be bracketed".

Is this not an assurance that we will continue dialogue irrespective of whether or not the infrastructure of terrorism is dismantled? I raised this last week also when this was being discussed in this House and I reiterate it again. Who is fooling whom? Is this not a dramatic reversal of the Indian position obtaining till now?

I am of the opinion that there is nothing static in the world. I am not a status quoist nor our country should be. We should strive for change and change in foreign policy is required keeping in mind the change that the world is undergoing today. Once we accept this, as a policy, say it. Also say that the discontinuance of composite dialogue paid us no result. Scant attention was given by the powers that be, to pressurize Pakistan to apprehend the culprits of Pakistani nationals who were behind the Mumbai attack. Say it that Jamaat-ud-Dawa Chief Hafiz Saeed is walking free in Pakistan because you were unable to provide evidence and that is why you had to make a course correction and started the dialogue, at least, at the Secretary level. Say it that Islamabad has withstood Washington's pressure because both are fighting a different war together on a different front, so India's case can be ignored.

We are asked to believe on the trial process of Pakistan to convict the perpetrators of terrorist activities in India.



But are we not aware that Pakistan is yet to complete the trial process of Omar Syed Sheikh who was involved in brutally murdering American Journalist Daniel Pearl in 2001? It is an open secret that people like Omar Sheikh, A Q Khan, Hafiz Mohammed Saeed or Zakiar Rahman Lakhri cannot be punished because they will spill the beans.

We should understand the attitude of Pakistan. Sentimentalism has no place in international relations. We are neither equal victims of terrorism, nor we share a common destiny. A democratic, secular India cannot share a "Common Destiny" with a theocratic, feudal and military dominated Pakistan. Why should we be forced to believe that a rising India cannot assert its rightful place in the comity of nations without good neighbourly relations with Pakistan? This attitude undermines our diplomacy.

Pakistan for the last three decades had created, harboured and trained terrorists backed by ISI to make India bleed and seek strategic depth in Afganistan. India has been a victim of terrorism sponsored by Pakistan for the past three decades. Now what do we have? The Government has equated the two countries in Sharm-el Sheikh.

Sir, now I would talk about the reference to Balochistan in the India Pakistan Joint Statement. That is worrisome. If Prime Minister Gilani mentioned that Pakistan has some information on threats in Balochistan and other areas, why does it have to be mentioned in the Joint Statement? What is the relevance of such a formulation? It is a Pakistani perspective. It is for the first time that an India-Pakistan Joint Statement hints at Indian involvement in Balochistan and "other areas".

Sir, I need not delve into other matters as the time is very short. But till now there has been no credible report of any Indian sponsored activity in that province of Pakistan. But I would also like to take the opportunity of speaking in this House that with over one lakh Americans and NATO forces in Afganistan, any action by India that complicates the NATO mission would have invited America's attention.

I have a direct question. Have Americans, by implication, rejected Pakistan's baseless claims of Indian interference? I would like to know this from the hon. Minister. All those who care for this nation, all those who have lost their near and dear ones in the serial terrorist strikes across India till November 26 in Mumbai treats this as a betrayal. I believe in the words of the hon. Prime Minister of India for the interpretation he has given. Many people do in this country. The reference to Balochistan and other areas in the Joint Statement has to be excluded from any bilateral discussion in future as it is totally inapplicable and unacceptable to India.

Sir, let me conclude. I am not dealing with end-use. But I would like to make a short point on climate change. There is pressure from the rich nations on the developing nations and it is going in WTO way. When we are meeting in Copenhagen, I have information in my command that we are taking a different stand which is a consistent one, but my question here is, what is the quantity of Greenhouse emission that our country does? Are we conscious of that? We may have a point of view in different forums but what is the Greenhouse emission that our country does and what steps is the Government taking to minimise it?

13.59 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

Sir, yes, the hon. Prime Minister has struck the right note in this House by clarifying what India expects of Pakistan and has relied heavily on France and wants itself to be engaged with United States. We could not agree with him more and expect him to hold firm on the course he has worked out for the country.

14.00 hrs

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की विदेश यात्रा को लेकर और इस विदेश यात्रा में उन्होंने जो अलग-अलग बयान दिये, पाकिस्तान के साथ में जो एक जोइंट स्टेटमेंट पर उन्होंने हस्ताक्षर किये और एंड यूज़ मोनेटरिंग के बारे में जो एग्रीमेंट किया गया, इस पर देश भर में कई दिनों से काफी चर्चा है। इलैक्ट्रोनिक मीडिया में, प्रिण्ट मीडिया में चर्चा है और कई आशंकाएं प्रधानमंत्री जी के अलग-अलग बयानों को लेकर सारे देश भर में हैं। इन्हीं बातों को कल यशवन्त सिन्हा जी ने नियम 193 के अन्तर्गत इस बहस के माध्यम से सदन के सामने यहां पर रखा। काफी विस्तार से उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी है।

इस चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने यहां पर उस विदेश यात्रा के बारे में निश्चित रूप में अपनी बात भी सदन के सामने रखी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी यहां पर बोलने के लिए खड़े हो गये, तब उन्होंने सदन को इस बात का एहसास दिलाया कि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान के साथ, पड़ोसी के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से तो निश्चित सहमत हूं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान से हमारे अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए, इससे भी मैं सहमत हूं। लेकिन सवाल आज यह है कि क्या पाकिस्तान हमें अपना पड़ोसी मानता है? पाकिस्तान क्या इस बात से सहमत है, इस बात को स्वीकार करता है कि भारत हमारा पड़ोसी है? पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करता है कि क्या भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए?

पिछले 20 साल से पाकिस्तान ने भारत के साथ में जो रवैया अपनाया है, जो व्यवहार हमारे साथ पाकिस्तान पिछले 20 साल से कर रहा है। आज मुझे यहां पर कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान हमें पड़ोसी नहीं मानता, पाकिस्तान हमें अपना शत्रु मानता है कि भारत हमारा दुश्मन है। दुश्मन के नजरिये से भारत की ओर देखा जाता है, न कि पड़ोसी की नजर से। प्रधानमंत्री जी ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से सहमत नहीं है। पाकिस्तान भारत को दुश्मन की नजर से देखता है और जो भी व्यवहार भारत के साथ पाकिस्तान की ओर से किया जाता है, वह एक दुश्मन के खिलाफ सारे जो व्यवहार होने चाहिए, वह पिछले 20 साल से पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ किये जा रहे हैं। इस देश भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए, वह चाहे लालिकले पर का आतंकी हमला हो, संसद पर का आतंकी हमला हो, मुम्बई में जो रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया पर बम विस्फोट हुआ, वह हो या पिछले 26 नवम्बर को जो आतंकी हमला मुम्बई पर हुआ, वह हमला हो, इस सदन में हर बार सरकार की ओर से, चाहे वह किसी भी दल की सरकार हो, चाहे वह सरकार यू.पी.ए. की

हो या एन.डी.ए. की हो, वह सरकार देवेगोड़ा जी की हो या गुजराल जी की हो, हर सरकार के गृह मंत्री ने यह बयान दिया है कि जो भी आतंकी हमले इस देश पर हो रहे हैं, इन सारे आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ है। यह हर गृह मंत्री ने इस सदन में कहा है और पिछले 20 साल से पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक तौर पर छिपा हुआ युद्ध चला रहा है, प्रॉक्सी वार चला रहा है। आज पाकिस्तान इस बात को जानता है, पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि सीधे युद्ध में हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते हैं। पिछले बीस साल से प्राक्सीवार हमारे देश के खिलाफ चल रहा है।

उपाध्यक्ष जी, जो चार युद्ध हमने लड़े और पांचवां कारगिल का युद्ध हुआ, इन पांचों युद्धों में जितने जवान मारे गये, उससे ज्यादा जवान हमारे देश में आतंकी हमलों में मारे गये। उससे भी ज्यादा आम-आदमी, नागिरक, सिविलियन मारे गये हैं, उनकी संख्या 70 हजार से भी ज्यादा है। ... (व्यवधान) मुलायम सिंह जी मुझे जानकारी दे रहे हैं कि यह संख्या एक लाख के आसपास पहुंच गयी है। मैंने 70 हजार की जानकारी दी थी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने इसमें सुधार किया है कि यह संख्या एक लाख के आसपास पहुंच गयी है। एक लाख के आसपास पहुंच गयी है। एक लाख के आसपास हमारे देश के सीविलियन मारे गये, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विद्यार्थी आदि सभी मारे गये। जितने पांच युद्धों में जवान मारे गये थे, उससे ज्यादा जवान आतंकी हमलों में मारे गये।

उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान हमें अपना पड़ोसी नहीं मानता है। पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता है। पाकिस्तान की राजनीति इसी पर चलती है। जो सबसे ज्यादा भारत से दुश्मनी मोल लेगा, जो सबसे ज्यादा भारत के खिलाफ बोलेगा, वही ज्यादा दिन वहां राज करेगा। चाहे प्रेसीडेंट मुशर्रफ हों, चाहें प्रेसीडेंट जरदारी हों, चाहे नवाज शरीफ जी वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हों या आज के प्रधानमंत्री गिलानी जी हों, सरकार में या प्रेसीडेंट वहां जो भी होगा, वह भारत के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा। वह हमारे देश को दुश्मन मानते हैं और हमारे साथ उनका रवैया दुश्मन की तरह का ही है। प्रधानमंत्री जी की इस बात को स्वीकार करते हुए, मैं सदन की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि जब तक पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं होता है, कोई भी वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं होनी चाहिए, हमारी सरकार को कोई वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, 26/11 को मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ तब पूरे देश में क्या हालत थी, पूरे देश की क्या स्थिति थी? पहली बार 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद सारा देश एकजुट हो गया था। जाति, धर्म सबको छोड़कर, भाषा, प्रांत सबको छोड़कर, सारा देश एक हो गया था। कई मुसलिम संगठनों ने मुंबई में रैली निकाली थी और पाकिस्तान का विरोध किया था। मुसलिम संगठनों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि यह आतंक पाकिस्तान की ओर से चलाया जा रहा है। उस समय सारी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ थी।

उपाध्यक्ष जी, जब यह आतंकी हमला हुआ, तब कई पत्रों की चर्चा सदन में हुयी थी, तब इस देश की महिलाओं ने जो चिट्ठियां लिखी थीं, उनका जिक्र मैंने किया था। आज मैं एक चिट्ठी का जिक्र यहां फिर करने जा रहा हूं। हमारे देश में क्या स्थिति थी, क्या मानसिकता थी? महिलाओं ने लाखों चिट्ठियां सांसदों को भेजी थीं, उनमें से चिट्ठी का जिक्र मैं यहां पर करूंगा। वह आज मेरे हाथ में नहीं है, यदि आप कहेंगे, तो निश्चित रूप उसे मैं सदन के सामने पेश कर सकता हूं। मेरे घर पर वह चिट्ठी है, लेकिन यहां अभी मेरे पास वह नहीं है। उस महिला की क्या भावना थी? वह चिट्ठी हिंदी में थी। उन्होंने लिखा था, "एक बार गलती करे, वह इन्सान, दो बार गलती करे, वह नादान, बार-बार गलती करे, वह पाकिस्तान और हर गलती को माफ करे, वह हिन्दुस्तान।" उसमें आगे उस महिला ने अपने क्रोध को जताया था और आखिरी सेंटेन्स था - अटैक पाकिस्तान। एक महिला ने, हमारे देश की एक माता ने यह चिट्ठी लिखी थी। इस प्रकार की लाखों चिट्ठियां उस समय आयी थीं। सारा देश क्रोधित था। कई वर्षों से आतंकी कार्रवाइयां पाकिस्तान की ओर से चलायी जा रही हैं। जब तक आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान सहयोग नहीं करता या आतंकियों को जो प्रशिक्षण उसकी धरती पर दिया जा रहा है, वह उसे पूरी तरह से खत्म नहीं करता, तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): मैं समाप्त करने जा रहा हूं। दूसरे मुद्दों को मैं एक-एक वाक्य में समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष जी, आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर यहां जो चिन्ता जताई गई, उस संव्ह्रीं प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, उस बारे में, मैं सिर्फ एक वाक्य में बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ...(व्यवधान) मुलायम सिंह जी मुझे याद दिला रहे हैं कि हमने दो समय गंवाये — पहला समय तब था, जब हमारी संसद पर हमला किया गया था। उस समय हमारी सरकार को पाकिस्तान पर हमला करना

चाहिए था। दूसरा, जब मुम्बई पर अटैक हुआ, तो सरकार ने यह बयान दिया था कि यह हमला मुम्बई पर नहीं, पूरे देश पर है। उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान यही भाषा समझता है, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं समझता। हम युद्ध करें या न करें, वह बात अलग है, लेकिन हम एक फैसला कर सकते हैं कि जब तक पाकिस्तान इस मामले में हमें सुधार के सबूत नहीं देता, तब तक हम पाकिस्तान से किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। मुम्बई में 1993 में बम विस्फोट हुए। वह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसमें यह तय हुआ कि दाउद इब्राहिम सहित कई मुजरिम हैं, जो फरार घोषित किये गये। वे सब पाकिस्तान में हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने उन्हें हमारे सुपुर्द नहीं किया। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: गीते जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार बार-बार मांग कर रही है। इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई चर्चा भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए।

ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं इतना ही कहूंगा। मुझे डर इस बात का है कि आज हमारा देश विकासशील देश है। हमसे भी कई पिछड़े देश हैं, अविकसित देश हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर बोलते हुए यशवंत सिन्हा जी ने कुछ आंकड़े यहां दिये हैं कि इसके लिए विकसित राष्ट्र जिम्मेदार हैं। आपको अचरज होगा कि आज सीबीएसई के सलेबस में बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ...(व्यवधान) मैं इस बात को सदन के सामने इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि आज इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की है, जो देश जिम्मेदार हैं, उन देशों में ग्लोबल वार्मिंग का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। वह पाठ भारत में पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी कोई गलती नहीं है। यदि हम उनकी बातों को स्वीकार करें, तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम सन् 2020 में डेवलप्ड कंट्रीज की पंक्ति में जाने का जो सपना देख रहे हैं, वह सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तो हम सन् 2020 में विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में नहीं बैठ सकते।

एग्रीमैंट और एंड यूज, मौनीटरिंग की बात भी आयी है। मुलायम सिंह जी ने कल सही कहा कि यदि आपने एग्रीमैंट किया है, तो उसे कचरे की टोकरी में फेंक दो। मैं उसे दोहराता हूं, क्योंकि यह हमारी आजादी और स्वतंत्रता पर अमेरिका का आक्रमण है। यदि सरकार इस आक्रमण को स्वीकार करती है, तो उसके नतीजे इस देश को भुगतने पड़ेंगे।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Respected Deputy-Speaker, Sir, I rise to participate in the discussion on the Statement made by the Prime Minister in this House on 17th July after his visit to Italy, France and Egypt.

Sir, I have carefully gone through that Statement and also his intervention in the House yesterday.

I would like to very briefly remind the House of the contrary positions that the Prime Minister took. To begin with, before leaving for the three-country-visits, the stated position of the Government of India was that Pakistan must act on terror before any meaningful discussion could be started.

India also refused to hold any talks with Pakistan until the perpetrators of 26/11 attacks were brought to book. India had been consistently saying that there has to be transparent action against the culprits, the masterminds of the Mumbai terrorist attacks.

Secondly, after making the Joint Statement, he dropped our demand of action against the attackers and said that dialogue is the only way forward. It is apparent.

Thirdly, while intervening in the debate yesterday, he tried to only justify his action. He mentioned that we should trust and verify Pakistan's actions. He stated that the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee also followed the same path of dialogue despite several setbacks. He further mentioned that a peaceful and a friendly neighbour is in India's interest. But where has this wisdom gone so far? Since the 26/11 Mumbai attacks and till he signed the Joint Statement, India was all along saying that Pakistan must bring the culprits to book before we start the process of dialogue. Why should he take a contrary stand without taking Parliament into confidence and why should he unilaterally change

the position? Of course, we are for friendly relations with all neighbouring countries, but that should not be taken for a ride by any neighbour.

The Prime Minister said yesterday that we should trust Pakistan. I will make only three sentences to show how we cannot trust Pakistan. On July 8th, the Intelligence Bureau made an alert that there is going to be another attack on Mumbai. The Home Minister Shri P. Chidambaram warned that Pakistan based terrorists would launch another sea-borne attack on Mumbai at seven places.

The second is, Beijing issued a White Paper claiming that a large number of Xingjian terrorists have been getting training in camps in Pakistan. The third is that Ms. Hillary Clinton, on her visit to India, said that Pakistan is the home to syndicate of terror.

So, how can we trust Pakistan? Pakistan had not kept up any promise it made on taking action against terrorists. Even the mastermind behind the Mumbai attack is set free in Pakistan. There is also a growing concern since Pakistan is inducting a large amount of sophisticated defence equipment on our Western borders. Will this create mutual trust and confidence?

In the Joint Statement, he allowed Pakistan to make a mention of Balochistan. India has nothing to do with what is happening there. But just two days after this Joint Statement, Pakistan started linking India with the troubles in Balochistan. The Pakistani Army Chief also stated that Pakistan would tackle Lashkar-e-Toiba, if India stops messing around in Balochistan. This cannot be tolerated. So I want to say that they were never serious and trusting Pakistan again might end up in further troubles for India.

Yesterday, NDA Members accused the UPA for the steps taken relating to Pakistan. In the same way, the UPA Members also accused NDA for whatever action taken during their tenure. But I want to accuse both sides on this issue. What happened during the Kargil War? When the Kargil War took place, the NDA members were very much hostile towards Pakistan. After the Kargil War, they got into power and did nothing. In the same way, after the 26/11 attack in Mumbai, the

UPA Members said that they were going to be very serious in taking action against Pakistan for promoting terrorism. They said so many things, but now after the election is over, after assuming power, they also changed their attitude towards Pakistan. But the common people of India and Pakistan are suffering due to terrorism. So, this kind of politics must be avoided on this issue. We have to protect the sovereignty of our country and we must not succumb to any pressure from Pakistan.

Secondly, yesterday when the hon. Prime Minister made a statement, he said that he met the President of Sri Lanka. I would like to know what transpired between the President of Sri Lanka and our Prime Minister. We are very much worried about the pathetic conditions of Sri Lankan Tamil people in Sri Lanka. I would like to know whether any discussion took place between the President of Sri Lanka and our hon. Prime Minister.

bur hon. Amma, Ms. Jayalalitha has requested that a sum of Rs.10,000 crore must be allotted for the rehabilitation of Sri Lankan Tamils in Sri Lanka. But the Budget provided for only Rs.500 crore for them. I am saying this because when we are committed for the rehabilitation of Srilankan Tamils and when our Prime Minister gave a statement, why he has not mentioned about this meeting between the Sri Lankan President and the Prime Minister of India.

I have already stated that we must not succumb to the pressure of United States of America also because we are importing transfer of technology. When we are having such defence equipments, we must see that they must not come and visit our places to supervise wherever we are using the defence equipments. That is also very important as our hon. Members said that our sovereignty must be protected and we must have every right to protect whatever we want. Therefore, when we are importing defence technology, we must not allow the foreign countries to visit and supervise them.

Some hon. Members have also touched upon the issue of climatic conditions. Foreign countries must not exploit the Indian condition and we must

see that they must not take advantage of the situation. We must have our own foreign policy. Pandit Jawaharlal Nehru enunciated a policy of non-alignment. That kind of policy is suitable for us and that has to be adhered to by our country. SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I have no hesitation in saying that the statement made by hon. Prime Minister is a matter of welcome to us. I have no hesitation in saying that. There is no reason why I should not feel that I agree with many of his formulations with regard to our policy on Pakistan.

There is a change in the situation. We cannot just only remember Kargil, we cannot just only remember attack on Parliament. There is, of course, a grim reality. We have also to feel that there is a change in Pakistan and the change for the better. There has to be a voice of sanity in India and not a voice of serenity. The handing over of a dossier by Government of Pakistan confirming the involvement of Pak nationals in the violent attack on Mumbai is a significant development which need not be ignored by us.

The five persons, or maybe more, who have masterminded the attack are on trial and second challan is likely to be submitted by the prosecution. This is the wind of change in Pakistan even in the ruling clique.

We must be aware, Sir, that there is growing awareness among the people of Pakistan. People of India like friendship with Pakistan and people of Pakistan like friendship with India.

We are the two great neighbours in South Asia. Not only we have to live in peace – we cannot indulge in the luxury of fighting each other – but we have to fight against poverty, unemployment, and economic evils. Therefore, the whole intention of Indian political establishment, including India, would be to ensure the consolidation of the forces of peace and friendship in Pakistan. Our voice must reach to the people of Pakistan. Our warning should reach to the terrorist group. There has to be a voice of sanity; there has to be a voice of perseverance. There should not be a voice of senility.

I feel that a fractured Pakistan is more dangerous to India than the terrorist groups that seek to work on the soil of that country to mount attack. I am in agreement with the Prime Minister while he is saying that we want a peaceful, a prosperous, a democratic Pakistan and also growing friendship between us. Our own intention is to strengthen not the forces of militancy but the forces of democracy, the forces of peace, the forces of friendship in Pakistan. They are equally poor like India. They are equally unemployed. There has been lack of development. Therefore, there is a common ground to fight against the common enemies, that is poverty and unemployment

I have a word of caution to my friends in the Opposition also, we should not overplay suspicion to build up Parliamentary offensive in the House. We cannot be led by suspicion. But I must say that Prime Minister's foreign visit was not all in glory. His observation on G-8 countries' Resolution is absolutely ambiguous and it raises suspicion about the success of India's diplomacy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I am just concluding, Sir.

The comment of the Prime Minister on the end-use of military hardware is unacceptable. The inspection of India's defence establishment by foreign personnel is definitely an infringement of the sovereignty of this nation. This is unfortunate. But I must say that the hon. Prime Minister has forgotten something to tell us. How has he forgotten his participation in the Non-Aligned Conference? India is one of the architects of the Non-Alignment Movement. There has been a Conference; there has been a declaration; and there has been a call for united action on vital, fundamental, global issues. There has been a call for a war-free world; there has been a call for the establishment of an independent State of Palestine. There has been a protest vigorously against the attack of Israel. How has he forgotten it? Does it mean to say that the Non-Alignment Movement is a low priority of the foreign policy of the Government of India? It is for him to clarify. But again I say, we would like to live in peace with Pakistan not of course

giving up our fight against terrorism. Terrorism we must fight but friendship we must also have.

We want peace in the sub-continent. We do not want war. I am surprised the way in which one of my previous speakers had even quoted a letter by a person - maybe that person is a lunatic - that why India did not attack Pakistan. This is not the voice of India. The voice of India is the voice of peace and friendship in the sub-continent.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, since yesterday the hon. Members are participating in the discussion arising out of the Statement issued by the Prime Minister. The Prime Minister has already clarified in detail the three major issues which were raised in the course of the discussion – firstly, whether we have diluted our position in respect of our resolve to fight against terrorism and our concept of zero tolerance for terrorism; secondly, whether in any way by using a particular phrase we have indirectly or implicitly involved ourselves in a matter which was not earlier the part of the bilateral discussions; and thirdly, certain other issues raised in connection with the visit which have been amply clarified by the Prime Minister in his observations while responding to the debate yesterday.

My observation is limited to certain basic fundamental issues in respect of our foreign policy.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not mind at all whether I encourage more and more discussions on foreign policy because that is an arena where the Members of Parliament should have interests. It is exclusively within the domain of the Union Government but I am little pained when a visit is being used by the principal Opposition Party even to march to the Rashtrapathi Bhavan and submit a Memorandum where they say: "The Government has altered the fundamental foundations of India's foreign policy and strategic interest." That is the Memorandum which they submitted; it is a part of the concluding paragraph. At the beginning of the Memorandum they suggested that within weeks of returning to power, the UPA Government headed by Dr. Manmohan Singh will completely reverse India's strategic and foreign policy positions much to the detriment of the nation. I have serious objections to these formulations and postulations.

India's foreign policy is not the whims and caprices of individuals or that of even a single Party. India's foreign policy is embedded in the basic fundamentals of our 5,000 years old civilization where we have stated *Vasudeva Kutumbakam* –

'whole universe is my friend' long before Independence; the actual formulation of the foreign policy by Pandit Jawaharlal Nehru through the principles of *Panchsheel*; and the principles of non-violence and truth enunciated by the Father of the nation.

That is the very basic fundamental of India's Foreign Policy and that basic fundamental has been endorsed by the people of this great country. That can never be altered. That is as simple as that.

Now, what has happened with the visit of the Prime Minister? Serious allegations have been raised that we have altered our position in respect of terrorism. Where? How? I have the list; I would not like to reel out the list because many Members have spoken. From 1999 onwards, how many times we have started talks? Talks were disrupted. Dialogue process was disrupted because of events, because of terrorist attacks from 1999 onwards. It has been going on for more than last quarter a century. Who does not know?

Surely, the initiator of the discussion, the former Foreign Minister and the former Finance Minister, Yashwant Sinhaji was well aware of that. It was a part of the Pakistan Policy, after getting successive defeats to inflict 1000 scars so that India dies bleeding. That was propagated by one of the Military Rulers of Pakistan. It is well-known. It has been practised through the cross-border terrorism. But neither we have succumbed to that terrorism, neither we have succumbed to that policy nor did we stop talking. This is the bare fact.

You did it; India did it; UPA did it; and this is the process through which the world diplomacy moves. Everybody knew that -- before the Second World War when Chamberlain entered into the Munich Pact -- it is not going to succeed, it is not going to keep Adolph Hitler happy, but at the same time, it was considered necessary to have that, because they thought that the last effort should be made to save the world from the impending Second World War. As a humble student of history, this is the lesson of diplomacy, which we should not forget.

We cannot erase Pakistan. Pakistan is going to exist; and it is not new that our relationship with Pakistan has not been cordial from the very beginning.

14.39 hrs (Madam Speaker in the Chair)

Many of you may remember that after signing the Nehru-Liyaqat Pact in 1950, in 1951 while participating in a debate on the floor of this very House, Pandit Jawaharlal Nehru reminded through a story that sometimes the condition of Pakistan is like this, that it is like an errand boy, who killed both his parents – father and mother – and thereafter, when he was prosecuted, he was pleading mercy saying: "Me Lord, pardon me because I am an orphan." He himself killed his father and he himself killed his mother, but he pleaded that he was an orphan.

Therefore, that has happened. But that is a reality. That does not mean that we should stop talking. Nowhere. Talking does not mean a full-fledged meaningful dialogue.

Keeping the communication channel open does not mean it is conceding or surrendering on any particular point. Therefore, this aspect is to be kept in view. We shall have to keep that in view.

What is foreign policy? Foreign policy is the extension of the national interest in the context of the external situation and atmosphere. Therefore, I shall have to enhance my national interest. I shall have to advance my national interest in the context of the external atmosphere. The world is changing, and simply we cannot keep our positions straitjacketed, a perception which refuses to acknowledge or admit the elements of change. War-mongerism is no way. Even when I was making the statement as the then Minister of External Affairs, I had expressed my strong resentment. Somebody suggested from the other side, why do you not attack Pakistan? My instant response, standing from here itself, was that that is not the solution to the problem. War is no solution.

Therefore, we shall have to pursue our policies of zero tolerance. I would not like to repeat. Events have clearly established that we are not succumbing to

the pressure of anybody. Madam Speaker, more often than not, myself and Advaniji are two old Members of that House and this House. Of course, he has spent more time in this House compared to me but I have spent more time in that House. Umpteen number of times, I have heard that our sovereignty is compromised. While entering into a broadcasting agreement in the early 60s, known as VoAA, Voice of America Agreement, I heard them saying that our sovereignty had been compromised. While borrowing some money from International Monetary Fund, it was said that our economic sovereignty had been mortgaged. While signing the WTO Agreement in the early mid 90s, they said, "Oh, our sovereignty has collapsed." While entering into Civil Nuclear Cooperation Agreement, they have said we have compromised our national sovereignty.

Questions have been raised. G-8 countries are saying that they are not in favour of supplying ENR technology to those countries which are not signatories to the NPT. Is it for the first time G-8 countries are saying so? Is it not a fact that since the days of formulation of NPT in the 70s, G-8 countries continued to pressurise the entire world? They have their own logic. We have our own logic. We have made it quite clear that we consider that it is a discriminatory treaty. We consider that it creates nuclear haves and have-nots. That is why, we did not sign and we have no intention of signing it.

Yashwant Sinhaji reflected on my observations. What did I say? In the other House, I said, yes, I have noted the observations of the G-8. But G-8 is not the appropriate forum to decide about the Civil Nuclear Technology Agreement. The two appropriate fora are IAEA and NSG. In NSG, we got clean waiver. As many as eight times, this issue has been debated in this House and in that House. It is not once or twice.



I do not remember any foreign policy issue has been so extensively and so exhaustively debated in this House or in that House. ... (*Interruptions*) But, despite that (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, just one minute. ... (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Please, I am not yielding. ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please do not interrupt.

... (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You have your own perceptions. I know your nuclear doctrine which you reflected in the last Elections. ... (*Interruptions*) MADAM SPEAKER: Please keep quiet.

... (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You only remember what you did say that South Asia should be nuclear weapon-free. What is South Asia? It is India and Pakistan. China will have nuclear weapon; USA will have nuclear weapon; France will have nuclear weapon and England will have nuclear weapon. ... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA: I did not say. ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please keep quiet.

... (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : China will have nuclear weapon, but not India. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please keep quiet. Please sit down.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please do not disturb.

... (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is your nuclear doctrine and the people of India have rejected your nuclear doctrine. ... (*Interruptions*) Please remember that. SHRI BASU DEB ACHARIA: I did not take that stand. ... (*Interruptions*) SHRI PRANAB MUKHERJEE: Please remember that. The people of India have rejected that doctrine. Therefore, most respectfully I would like to submit that do not treat the sovereignty of 112 to 115 crore people as so cheap that it can be mortgaged, that it can be bartered in any way. I would not have minded if some casual remarks would have been made. Where is the fundamental change of the foreign policy? I would like to know. Have we deviated from the principles of building up brotherly relationship, close friendship with our neighbours? Is it not our stated policy that we will come to the aid of each and every neighbour? Is it not our stated policy we do not believe in exporting our ideology, we do not believe in exporting our sphere of influence and we do not believe in the interference of the internal matters of any other country? Therefore, this aspect is to be kept in view. Yes, there will be divergence of opinion. But if we point out that basic fundamentals are changed, I am afraid, the basic fundamentals are not

Everybody agrees with me. The hon. Prime Minister has made it quite clear. We have nothing to hide in Baloochistan. Who does not know the problems of Baloochistan? Particularly the hon. Leader of the Opposition knows it very well. It was created from May, 1947 itself when the understanding between Quaid-E-Azam Jinnah and Khan of Kalat of Baloochistan a few days before the creation of Pakistan, perhaps, 11th August, 1947 and subsequently the accession of Baloochistan to Pakistan in 1948.

changed in that simple manner.

From 1950s onwards there are problems. Problems are continuing. It is their internal matter. We have nothing to hide. We have not done anything there. We have no intention of doing anything there. We are the victims of the terrorism. We have no intention of exporting terrorism to any country. It is against our principles.

I am grateful to the NDA Government which has established four Consulates there. It is because we want to help our friends in Afghanistan. They are good people. We have historic and traditional relations. Because of certain developments since the late 1940s, our traditional and historic ties have been snapped. Land route is not available. But that does not mean the centuries old cultural and historical relationship with that country can be snapped. Therefore, we wanted to help them. In order to help them, these Consulates were established there. It was a good decision of yours. We welcome it. But it is not meant for carrying on any subversive activity. If we made this position quite clear to them, I do not think heaven is going to fall on you.

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Will you please yield for a minute? My simple question is this. We know their position and we know our position. Why was this sentiment not reflected in the Joint Statement when the Pakistani Prime Minister raised it? We included this sentence, why did we not include one more sentence to state our position? This is our point.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Shri Yashwant Sinha, you yourself have replied to that question in the National Democratic Alliance's memorandum, which you have submitted to the President, saying that 'this is unilateral'. Your point is that we could have put our viewpoint also, but when you describe the statement as unilateral, you admit that we are not a party to it. You yourself are admitting by using the epithet 'unilateral mentioning' that we are not a party to it. But you could have stated that our position should have been mentioned. That is not the intention. ... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Shri Pranab Mukherjee, you said 'because it is unilateral and he said'.

Our objection is why Balochistan is mentioned here which is a Joint India-Pakistan Statement and for the first time in all these years. They have been making this allegation earlier also, and I am sure that when the Prime Minister talked to Shri Gilani, he must have told him that we have nothing to do with it, which has been said by you today and also by the Prime Minister. But why, when this was mentioned in the India-Pakistan Statement, could we not have added our viewpoint also?

I am not quoting exactly, but I have with me what he mentioned about Balochistan. But this is true that for the first time, Balochistan has been mentioned in a Joint India-Pakistan Statement agreed by the Prime Ministers. Therefore, my colleague was right when he said yesterday that 'I caution you that this Balochistan will be coming again and again whenever we talk about terrorism and this will be their proof against us that we are also indulging in terrorism, which is absurd, which is bunkum and therefore, never before has Balochistan ever occurred in talks with them.' That is our objection.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You may have your objection. You are entitled to have your objection, but what I am trying to point out is that this is a unilateral reference. The perception of Pakistan is not shared by us. You know it very well that umpteen number of times ... (*Interruptions*) I have not disturbed anybody. Please allow me to make my observations.

You are entitled to have your own view. You are not going to change your views by listening to me. So, why are you worried? Let me speak my point of view because after all, everybody is listening to what this sovereign Parliament, their chosen representatives are debating and deliberating upon and I welcome this. As I mentioned that if more and more Foreign Policy, more and more fiscal and financial policy is debated and discussed here, it is better than the local issues or extra-local issues being debated and discussed and taking the time of the

sovereign Parliament. It would be much better if we concentrate on the macro issues like this. Therefore it is a good idea that you have your own views, but let me express my view and share it with you. It does not mean that you shall have to accept it. You are free to reject it, but let me speak. I will not take much of your time. My colleague, Shri Krishna will be replying to the debate.

Madam, the fourth point which I am trying to say is that the intention is quite clear. We are not going to succumb to the pressure and compromise our position in this. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): What is your viewpoint about Balochistan? ... (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Shri Ananth Kumar, please do not intervene.

Time is running out. ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No, Shri Munde. By 3.30 p.m., we shall have to complete because Private Members' Business will start at that time. Today, we have allocated time after 3.30 p.m. to Private Members' Business. Hon. Minister will reply. I will complete in a minute. Please do not disturb me.

The short point which I am trying to point out is that there is no question of compromising our position in respect of terrorism. Our Prime Minister has used it more than often that Pakistan must act credibly, verifiably to dismantle the terror mechanisms which are operating from there. That is their primary responsibility.

It is better for them, and it is better for us. I am saying this because if they dismantle the terror mechanism, then they will be safe from the terrorist attacks and we will be safe from the terrorist attacks. Therefore, it is better for them; it is better for us; it is better for the humanity; and for the people of this country. Thank you, Madam Speaker.

MADAM SPEAKER: The next speaker is Shri Digvijay Singh.

... (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, प्रणब दॉ ने अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखा है। मैं केवल एक प्रश्न...(व्यवधान)

14.56 hrs

At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: I would suggest that you go back to your seats.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You please go back to your seat, and say whatever you have to say from there.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Anything that you say from here will not go on record. Anything said in the well of the House will not go on record. Therefore, please go back to your seats.

... (Interruptions)

14.57 hrs

At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members went back to their seats

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, four persons belonging to the minority community and supporters belonging to our political party, namely, Shri Sheikh Jalan, Shri Maltoor Sheikh, Shri Daulat Gazi and Shri Sharafat Hussain and belonging to South 24 Parganas have been brutally killed in the district of South 24 Parganas under the Bhangore and canning Police Station and 35 have been brutally injured. The list is with us. We have drawn the attention of the hon. Shri Pranab Mukherjee; we are drawing the attention of the hon. Prime Minister; and we have drawn the attention of the Home Minister. We would

request you to see that the interest, and life and properties of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Minorities are protected properly. ... (*Interruptions*) SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, it is a State matter. ... (*Interruptions*) It has happened in the State. ... (*Interruptions*) How can he bring it in this House?

MADAM SPEAKER: Hon. Members, there are four speakers left. I would give two minutes to each speaker.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Yes, please take very little time.

... (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रणब दॉ से एक मिनट में प्रश्न पूछना चाहती हूं। उन्होंने एक बात कही है "foreign policy is an extension of our national interest" आपने बहुत अच्छा कोट दिया कि "foreign policy is an extension of our national interest "। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूं कि जाइंट स्टेटमेंट में ब्लूचिस्तान के उल्लेख से कौन सा नेशनल इंटरैस्ट सर्व होगा? टैरर को कम्पौज़िट डॉयलाग से डिलिंक करके, डिब्रैकट करके कौन सा नेशनल इंटरैस्ट सर्व होगा? सिर्फ इतना ही बता दें तो हम मान जायेंगे कि foreign policy is an extension of our national interest. ... (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I have nothing to add to whatever I have spoken on this issue. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : श्री दिग्विजय सिंह जी।

... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम जानना चाहते हैं कि इससे कौन सा नेशनल इंटरैस्ट सर्व होगा?

MADAM SPEAKER: He has already given his reply. Now, Shri Digvijay Singh.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : वह अपना जवाब दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने जो कहना था, वह कह दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : स्नियं, वह कुछ कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: India's foreign policy is ... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : श्री दिग्विजय सिंह। कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, विदेश मंत्री को जवाब देने दीजिये।

अध्यक्ष महोदया : विदेश मंत्री जी का जवाब होगा। जब समय होगा, वह जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It has been stated, and I am repeating it, namely, that the action against terrorism is independent of any dialogue. A country may have a composite dialogue mechanism and a country may not have a composite dialogue mechanism.

15.00 hrs.

But every country is obliged to take action against terrorism irrespective of the presence of machanism or not. That is the main simple reading of the English language. So far as Balochistan is concerned, mere mentioning, unilaterly does not mean that we have any subordinate role to play in Balochistan, absolutely not.

SHRI ANANTH Komar (BANGALORE SOUTH) : Then, why have you mentioned 'Balochistan' in the Joint Statement?.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः अब आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

.....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय प्रणव मुखर्जी जी की बातों को बहुत ही गंभीरता से सुन रहा था। प्रणव मुखर्जी जी ने अपनी बात की शुरूआत बहुत अच्छे तरीके से की थी। जहां से, पंचशील से आपने पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को

कोट किया, मैं उससे और पीछे जाता हूं। मैं भारत की विदेश नीति के बारे में इतना कह सकता हूं कि जब वर्ष 1927 में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीग अगेंस्ट इंपीरियिलज्म में बोलने के लिए गये थे, तब कांग्रेस पार्टी इस देश की मुख्य पार्टी थी और वे गांधी जी की तरफ से उसमें बोलने गये थे। आज वर्ष 2009 में लीग अगेंस्ट इंपीरियिलज्म के दिये हुए भाषण से भारत की विदेश नीति में कभी कोई परिवर्तन, सरकारें आयीं और चली गयीं, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि हमारी विदेश नीति कंटीविटी में चलती है, कभी-कभी उसमें मामूली परिवर्तन हुए हैं। आज हम जिस परिस्थिति में अपनी बातों को आपके सामने रखने के लिए खड़े हुए हैं, उसमें पिछले साल जो घटना घटी, उसके चलते देश में पहली बार विदेश नीति के ऊपर लोगों के मन में संशय और बंटवारे का भाव देखा गया। इस देश में कभी भी विदेश नीति पर इस तरह की बात नहीं हुई थी, जो हमने इस संसद में पिछले साल देखा था या उसके बाद जो मन में संशय हुआ। भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कहे, उसके बारे में कोई शक हो, यह कभी संभव नहीं हो सकता है। भारत की सीमा के बाहर देश में दो ही प्रतीक हैं। एक भारत का तिरंगा लहराता है, या भारत का प्रधानमंत्री जो जुबान बोलता है, वह देश के 100 करोड़ लोगों की भाषा को परिभाषित करती है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री पर काई शक-सुबहा हो, यह बात न तो में कभी सोच सकता हूं और न ही कभी बोल सकता हूं।

महोदया, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने इतना कहना चाहूंगा कि आखिर कौन सी ऐसी बात हुई, जिसके चलते देश के लोगों के मन में संशय हुआ। वह शंका नहीं है, संशय है और संशय इसलिए है कि 15-20 दिन पहले तक आपकी भाषा अलग थी और 15-20 दिन के बाद वह भाषा बदल गयी। जाहिर है कि भाषा बदलेगी तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि प्रधानमंत्री जी को या तो कोई नया हथियार मिला है, कोई नयी जानकारी मिली है, उनके मन में कोई नया विश्वास पैदा हुआ है। हम यह नहीं कहते हैं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। बातचीत तो इस सदन में, देखिए भाषा बोलने में तो आदमी कुछ भी बोलता है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया, अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इसे अन्यथा न लें। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मेंबर बिजनेस शुरू करना है। अभी मंत्री महोदय को भी उत्तर देना है इसलिए हम यह प्रतिबंध लगा रहे हैं। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मेंबर बिजनेस शुरू नहीं हो पाएगा, जो होना अनिवार्य है।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, जैसी आपकी इजाजत होगी। अगर आप इजाजत देंगी तो मैं बोलूंगा वरना मैं नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आप संक्षेप में बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। इसमें बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : तब तो बहुत अच्छी बात है। आप संक्षेप में बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, प्रधानमंत्री जी जवाब दे चुके हैं, प्रणव मुखर्जी जी जवाब दे चुके हैं। मैं सिर्फ दो-तीन बातों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का, आपका और सरकार के विदेश मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा। यहां पर इस तरह के बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सलमान खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं। देश में कई बार ऐसा मौका आया जब विदेश नीति पर सलमान खुर्शीद जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी मिलकर भारत की वकालत जिनेवा में कर रहे थे। प्रणव मुखर्जी जी स्वयं विदेश मंत्री रहे हैं, हम लोगों का इस्तेमाल कई बार हुआ है, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से किया है। विदेश नीति के ऊपर तो यह बहस कभी होती ही नहीं थी कि देश से हटकर कोई विदेश नीति बनाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि यह सेल्फ इंटरेस्ट में हुई है। मैं आपके सामने दो-तीन प्रमुख बातें रखना चाहता हूं। यह सवाल विदेश नीति का नहीं है, देश में संशय पैदा हो गया। ब्लूचिस्तान के बारे में सब लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी, आपने भी अपने तरीके से सफाई दी।

पहली बार देश के लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हम भी बलूचिस्तान में गड़बड़ करते हैं? यह देश के मानस पटल पर छा रहा है कि आखिर बलूचिस्तान का जिक्र क्यों हुआ? इस मामले में आपसे ज्यादा अनुभवी कौन है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बलूचिस्तान के मामले में हर बार और हमेशा इस तरह की आवाज उठाई जाती रही है। लेकिन हम लोगों ने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी है। आप जब कहते हैं कि स्पट्ट हित की बात है, लेकिन राष्ट्र के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है कि चिस्तान का जिक्र क्यों हुआ? यदि हुआ, तो हमने उसमें क्या कहा, क्योंकि एकपक्षीय बात आयी है। सब लोगों के मन में यही शक है कि आखिर यह एकपक्षीय बात क्यों और किसलिए आयी? किसके दबाव में आयी? क्यों ऐसा कहा गया? क्या ऐसी कोई जानकारी हमें मिली है, जिसे कहना चाहिए था? इस संशय को दूर करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह केवल प्रधानमंत्री जी का और आडवाणी जी का ही काम नहीं है, यह हम सब लोगों का काम है कि हम इसे मानसिक रूप से लोगों के मन से निकालें, क्योंकि दुनिया में भारत की एक ही ताकत है। विदेश नीति का हमारा रिकार्ड है।...(व्यवधान) जब हम लोग ज्यादा गरीब थे, तब भी स्वतन्त्र विदेश नीति को चलाया। आज तो सब कुछ आपके पास है, आपने दुनिया से वायदा किया

था...(व्यवधान) हम दुनिया की प्रजातन्त्र की लड़ाई के साथ-साथ दुनिया में आजादी की लड़ाई में बराबर हिस्सेदार हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री असादूद्दीन ओवेसी।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : समय नहीं है। श्री असादूदीन ओवेसी।

श्री असाद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रियाअदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You have made your point. Please take your seat.

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। यदि आप नहीं बोलने देंगी तो हम नहीं बोलेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, जब कृष्णा साहब जवाब दें तो लोगों को सफाई से बताने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह बोलने और बहस करने से नहीं होगा। यह सदन हिन्दुस्तान के 116 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है और जब यहां आप अपनी बात कहें तो यह बात वहां तक भी जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हआ?

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही गलत परम्परा आपके मंत्रालय में शुरू हुई है कि आपके विभागीय लोग, अफसरान, सांसदों से लेकर मीडिया तक को ब्रीफ कर रहे हैं, जबिक संसद का सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री स्वयं इसमें इन्वाल्व हैं। ज्वाइंट स्टेटमेंट वह किसी विदेश सचिव अथवा किसी पदाधिकारी की जुबान नहीं है, वह भारत के प्रधानमंत्री की जुबान है। वही वक्त आ गया है जो लोग यह कहते हैं कि यह लीगल बाइंडिंग हमारे ऊपर नहीं है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, आपका हो गया है। श्री असादूदीन ओवेसी।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, मैं एक लाइन में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान)

महोदया, मैं इस बात को सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वह कम्यूनिके भारत के प्रधानमंत्री का है। आने वाले इतिहास में वह हमेशा मौजूद रहेगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You have made your point. Do not go on repeating.

श्री दिग्विजय सिंह: हम लोग अभी तक यही समझते रहे कि बिहारियों का इंग्लिश कमजोर होता है, लेकिन यह कौन सी इंग्लिश है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बैड ड्राफ्टिंग है। यह क्यों जा रहा है? यह शब्दावली क्यों कही जा रही है?

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, मैं माननीय कृष्णा साहब से जानना चाहूंगा कि इन दो बातों को साफ करें।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): At that time, he was only putting his argument that you cannot find fault with content, intent and the policy. You can, as an argument, find fault with the draft. That was a point he was putting across.... (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: मोहतरमा स्पीकर साहिबा, इस बहस का आगाज़ बीजेपी के एक मोआज्जि रूक्न ने किया। उन तमाम की तरफ से उस स्टेटमेंट में बलूचिस्तान का जिक्र क्यों आया? बहुत सी बातें हुईं। मैं यह जानना चाहूंगा कि ... *

अध्यक्ष महोदया, दूसरी बात यह है कि वज़ीरेआजम हिन्दुस्तान के ऊपर...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ओवेसी जी की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: अभी तो शुरुआत हुई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता हूं कि वज़ीरेआज़म ने जो बात की।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: डॉ. मनमोहन सिंह जी ने यह नहीं कहा,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: आपके डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं।...(व्यवधान) आप वहां पर बोलिए, मुझे मत बोलिए।...(व्यवधान) मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Madam, I am on a point of order. My point of order is under Rule 354 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok

^{*} Not recorded as ordered by the Chair.

Sabha. Rule 354 says, "No speech made in the Council (that means Council of States, Rajya Sabha) shall be quoted in the House (that means this Lok Sabha) unless it is a definite statement of policy by a Minister". रूल 354 के अंदर बकायदा यह पाबंदी है कि राज्य सभा में कही गई कोई बात लोक सभा में कोट नहीं की जा सकती और माननीय सदस्य ने शुरु करते ही कहा कि दूसरे ऐवान में यह बात कही गई है।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: He was not quoting anything. He was only referring to it. ... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आप इस पर रूलिंग दीजिए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. I have heard you.

On this point of order, under this Rule whatever reference has been made to the other House will not go on record. Shri Owaisi, please continue.

श्री असादुद्दीन ओवेसी: मैडम, इन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया, मेरी एक ही बात पर इतनी गड़बड़ कर दी। चराग़ पा हो गए। बीजेपी की तरफ से लफ्ज़े इस्लामिक का इस्तेमाल क्यों किया गया, पाकिस्तान तालुक से, इस बात का जिक्र बीजेपी के मोआज़्ज़िज़ रूक्न ने किया। पाकिस्तान कोई इस्लाम का टेकेदार नहीं है, हिन्दुस्तान में 15 करोड़ ग़युर हिन्दुस्तानी मुसलमान रहते हैं। इसमें कौन सी आपित है? हां, आपकी आइडियोलोजी, सोच और फिकर इस्लाम के खिलाफ है, मैं इस बात को मानता हूं, मगर आप इस्लाम के उपर इस तरह की बात नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

मोहतरिमा स्पीकर साहिबा, मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please now listen to him.

... (Interruptions)

श्री असाद्दीन ओवेसी: मैडम, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

... (Interruptions)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: मैडम हमें खत्म करने दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: There is no time left. Hon. Member, I have to tell you to conclude.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: There is very little time left. Please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister may please start now.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only what the hon. Minister says will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Please allow the hon. Minister to speak. Please sit down.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): Madam Speaker, I am grateful to all the hon. Members who have actively participated in the discussion on the recent visit of the Prime Minister to the foreign countries.

Certain perceptions have been put forward; certain doubts have been expressed; much of those doubts have been cleared by the effective intervention of the hon. Prime Minister yesterday.

SEVERAL HON, MEMBERS: No.

SHRI S.M. KRISHNA: It was further strengthened by another effective intervention by the former Foreign Minister, Shri Pranab Mukherjee just now.

In the NAM Summit at Sharm El Sheikh 118 countries participated, which was a unique event by itself. References were made which were lost in the heat that was generated in the House with reference to Pakistan; but I would like to take the House back to those days of glory, when Pandit Jawaharlal Nehru who truly could be said as the Father of India's Foreign Policy Evolution. He enunciated India's foreign policy. He was the chief architect of the NAM, along with President Tito and Gamal Abdel Nasser of Egypt. It was in that very land

^{*} Not recorded.

where the non-aligned thoughts, the seeds of non-alignment were sown. In that land again, 118 sovereign nations met. They were not subservient to any other nation; they were independent and they were sovereign. All of them reiterated it in one voice that non-alignment is as relevant as it was during the days of Pandit Nehru.

They also said that they would like to pursue the policy of Non-alignment. Some acquisitions, some insinuations were made that the autonomy of decision making and independence of thought and action had been bartered away. I think the hon. Finance Minister referred to some of the previous incidents. I remember, when the Government of India sought a 5 billion dollars loan from the World Bank it was freely accused that India's sovereignty was being sold and India was becoming subservient to the World Bank which is controlled by the United States of America. What is the situation after 20 years? Have we become subservient to the United States? Is not India pursuing an independent Foreign Policy of its own? That is the question.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.... (Interruptions)

SHRI S.M. KRISHNA: We have.... (Interruptions)

References have been made in the joint statement to a number of issues. In the Presidential Statement, which was accepted by all the 118 nations, a number of issues which are of common concern to countries have been raised and we are subscribers to that document. So, India even today pursues an independent Foreign Policy which is tailored to sub serve our national interest. In fact, our Foreign Policy is an extension of the domestic policy subject to the changes that have come about in our neighbourhood and in the world at large. So, we will have to factor that in, in an emphasis here or an emphasis there, in tailoring our Foreign Policy. That has been done very effectively over a period of time.... (*Interruptions*)

...(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): मंत्री जी, पानी पी लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): आप लोग पानी नहीं पीते हैं क्या?

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let the Minister reply.

SHRI S.M. KRISHNA: All of us need water at some point of time. It may be me today and it will be you tomorrow.

Madam, any Foreign Policy will be strong and effective as the domestic consensus behind it. That is the reason why the Government keeps this hon. House repeatedly involved through the Statements as to the direction in which our Foreign Policy is being directed. When the debate takes place any constructive suggestion that comes from there or here, we own it as our own. We have no hesitation. We do not stand on false prestige. Whenever this august House feels our Foreign Policy needs a course correction, we have never hesitated to go in for that course correction.

Well that is what democracy is all about. We stand very firmly on certain very basic concepts of our policy. But the emphasis might keep shifting here and there.

So, I will not dwell on Pakistan because there have been two very effective and decisive interventions. I would only touch one or two other points which the hon. Members have yaised. One hon. Member talked about Sri Lanka... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: What about Balochistan?

SHRI S.M. KRISHNA: It has been answered... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: It has not been answered. You are going to Sri Lanka but you first answer about Balochistan. Mr. Pranab Mukherjee said that you will answer that. He did not answer about Balochistan.... (*Interruptions*). The question is very specific... (*Interruptions*) मेरा क्वैश्चन बिल्कुल स्पेसिफिक है, बलूचिस्तान के उल्लेख से कौन सा नेशनल इंट्रेस्ट सर्व होगा? ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please allow the Minister to complete his reply.

SHRI S.M. KRISHNA: I have understood the question. I thought the question had been answered. But if you would like to have an answer, I will give an answer... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please address the Chair.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: What is this going on?

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

SHRI S.M. KRISHNA: Madam, I need your protection... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, let him complete his reply.

SHRI S.M. KRISHNA: With reference to Balochistan, I think there was a clarification which was made. When the two Prime Ministers met, the question of Balochistan came and we readily agreed.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Why?

SHRI S.M. KRISHNA: It is because we had nothing to hide... (*Interruptions*) We had nothing to hide... (*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI: Madam Speaker, this is a strange answer. If we had nothing to hide then we should have objected to the inclusion of this word there. For the first time, this has been included. They may have tried earlier also. Furthermore, if it was to be included then we should have said there that India has nothing to do with what is happening in Balochistan. This should also have been said... (*Interruptions*). I am not surprised that even within the Congress Party, there are demands that the Prime Minister clarifies his position on Balochistan and why has he signed it... (*Interruptions*)

अगर कोई आज सुबह का अखबार पढ़ेगा, तो राजनीतिक लोगों को छोड़िए, लेकिन विदेश नीति के, रक्षा नीति के जितने विशेषज्ञ हैं, वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से या प्रणव जी के भाषण से

डीलिंकिंग और बलूचिस्तान इन दोनों का कोई समाधानकारक उत्तर नहीं मिला या अभी के आपके भाषण से भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद आपको कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, इसीलिए जब तक बलूचिस्तान मांगा नहीं गया, आप उस पर बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैं समझता हूं कि इसके बाद इस बहस में भाग लेने का कोई अर्थ नहीं है। हम सभी वाक-आउट करते हैं। ...(व्यवधान)

15.30 hrs

(Shri Lal Krishna Advani and some other hon. Members then left the House)

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, it is 3.30 p.m. If the House agrees then we will take up the Private Members' Business immediately after the reply of the hon. Minister.

SHRI S.M. KRISHNA: Madam Speaker, most of the issues raised have been answered by the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister... (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी बलूचिस्तान के बारे में नहीं बता सकते तो प्रधान मंत्री जी बता दें।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Mulayam Singhji, you may please take your seat.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव: बलूचिस्तान के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। यह क्या बात है?...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया: आप कृपया उन्हें पूरा करने दीजिए। अभी उन्होंने पूरा नहीं किया है। Mr. Minister, please address the Chair and continue with your reply.

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please take your seat. Let the Minister reply.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: इन्होंने सब कुछ कहा था, लेकिन आपने सुना नहीं।...(व्यवधान)

15.32 hrs.

(Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon. Members then left the House)

SHRI S.M. KRISHNA: Madam, most of the points has been covered. Some hon. Members have mentioned about the situation in Sri Lanka at the condition of the internally displaced persons who are lodged in camps in Northern Sri Lanka. As you know, the hon. Prime Minister had a meeting with President Rajapakse on the sidelines of the ... (*Interruptions*) In the meeting that the hon. Prime Minister had with the President of Sri Lanka the question of settlement and rehabilitation of civilians who have become hapless victims of the conflict in Sri Lanka came up and the Prime Minister reiterated India's willingness to make possible early return to normal lives of the Tamil IDPs in Sri Lanka.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please be quiet.

... (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA: The President of Sri Lanka assured us that he shared these goals and his commitment to complete the resettlement process in next 180 days. We have impressed upon the President of Sri Lanka that this is of urgent importance from the Indian point of view and then it is a humanitarian effort which the Sri Lankan Government will have to go through. The Government of India have already announced a sum of Rs. 500 crore and then the hon. Prime Minister has been gracious enough to say that if need be he is willing to give more for the resettlement of the Sri Lankans.

We are also working with the Sri Lankan authorities and the international community to ensure that practical, meaningful devolution of power and other arrangements are taking place which will enable all communities to live at home and live in peace and dignity within the framework of a united Sri Lanka.

As regards climate change, some references have been made. The hon. Prime Minister, yesterday, has spelt out India's basic policy. We are going to



pursue that line even when we will meet in Copenhagen where an International Conference is to take place.

With reference to the end use monitoring, some Members have asked about the arrangements. An impression is sought to be created by some quarters that our Defence installations are going to be open for American inspection and verification. I think nothing could be farther from truth than this statement. The stated position about the end use monitoring system is, when we buy some high end Defence equipment from United States America after arriving at a mutual consent, we decide by mutual consent about the venue where the inspection is going to take place. It is not as if the United State authorities can walk into any Defence installation and then keep a tab on us.

Le me make it very clear that all that we have agreed on the end use monitoring arrangements will be henceforth referred to in letters of acceptance, as the hon. Prime Minister clarified yesterday and there has never been a thought of our sovereignty being compromised. The arrangements that we have agreed are fully in consonance with our sovereignty and dignity.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Acharia, please sit down.

... (Interruptions)

SHRI S.M. KRISHNA: Let me finish, Shri Acharia, and then you may ask (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except the reply of the hon. Minister.

(Interruptions) ...*

^{*} Not recorded.

SHRI S.M. KRISHNA: Madam, with these words, I conclude my reply.... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, as we are not convinced with the hon. Minister's reply, we are walking out.... (*Interruptions*)

15.38 hrs

At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other hon. Members left the House

... (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, सब लोग चले गये हैं। मैं भी वाक-आउट करता हूं।

15.38 hrs.

Shri Lalu Prasad then left the House

15.39 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 5th Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to present the Fifth Report of the Business Advisory Committee.

15.39 3/4 hrs

RESOLUTION RE: STEPS TO ENSURE AVAILABILITY OF DRINKING WATER IN THE COUNTRY – Contd.

MADAM SPEAKER: The House will now take up item No. 16, the Private Members' Business. Shri Satpal Maharaj.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछली बार 10 जुलाई को मैं पेयजल की समस्या पर बोल रहा था। हमारे देश में यह परम्परा रही है कि जब छोटे अपने पुरखों के, बड़ों के पैर छूते हैं, तो उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद प्राप्त होता था।

15.39 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

परन्तु जब पेयजल प्रदूषित होगा, पीने का जल दूषित होगा, तो कैसे वे लंबी आयु से जी सकेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि फ्लोराइड, आर्सेनिक और सिलेनियम जैसे प्रदूषित तत्व पानी का प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। भारत में साढ़े तीन सौ करोड़ आदमी इससे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जब वायुमंडल में प्रदूषण हो जाता है तब आक्सीजन कार्बन डाइआक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप सभी शांत रहिये।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): गाड़ियों का धुंआ जीना दूभर बना देता है जैसे दिल्ली में कुछ साल पहले आंखों में जलन होना शुरू हो जाती थी। परन्तु हमारी दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने सीएनजी को लाकर एक बहुत बड़ा उपकार किया। इससे यहां का प्रदूषण कम हो गया।

इससे दिल्ली वालों को राहत मिली। मैं इस अच्छे कार्य के लिए शीला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वायुमंडल में जो प्रदूषण बढ़ जाता है, प्रकृति फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से उसका शुद्धिकरण कर देती है। हमारे जंगलों में, ग्रीनरी में जो हरा पदार्थ होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, वह क्लोरोफिल कॉर्बन डाई आक्साइड और कॉर्बन मोनो आक्साइड को आक्सीजन में बदल देता है। प्रकृति में शुद्धिकरण के लिए यह रचना है, परन्तु धरती के अन्दर का जो जल केमिकल्स के मिन्से में प्रदूषित हो जाता है, वह फिल्टर नहीं हो पाता है। इससे हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे ऋषि-मुनियों का यह आशीर्वाद रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किश्चद् दुख भागभावेत्। हमारे ऋषियों ने भारत के लिए, विश्व के लिए यह प्रार्थना की कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, लेकिन हम निरोग तभी होंगे जब हमें शुद्ध जल प्राप्त होगा। आज देश के कोने-कोने में शुद्ध

जल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो धनवान लोग हैं, वे 10-15 रूपए की बिसलेरी की बोतल खरीद सकते हैं, लेकिन गांव में रहने वाला किसान, जो अन्नदाता है, धरती को जोतकर अन्न पैदा करता है, जो अपना पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, वह 10-15 रूपए की बिसलेरी की बोतल खरीदकर नहीं पी सकता है। उसे उसी कुएं का पानी पीना पड़ता है जिसमें मेंढक तैरते हैं, जर्म्स तैरते हैं, उसको धरती का मटमैला पानी पीना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है। ऐसे में किस प्रकार से वह अपना जीवन निर्वाह करेगा, यह अपने आप में एक बह्त बड़ी समस्या है। पिछली बार जब मैं सदन में बोलकर गया, तो मुझे गैलरी में एक सज्जन, जो यहां काम करते हैं, ने मुझे मिले उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि में बहादुरगढ़ से आता हूं, वहां इस प्रकार का प्रदूषित पानी है कि वहां पर महिलाओं को गठिया और पेट में किडनी स्टोन की बीमारियां हो रही हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से यह प्रदूषित पानी शुद्ध किया जाए और जनता को शुद्ध पानी पीने का अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार से यूरोपियन देशों में कानून में यह प्रावधान है कि टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर की ही क्वालिटी का होना चाहिए। इसी प्रकार के एक सख्त कानून का निर्माण करके हमें चाहिए कि शुद्ध पानी भारत की जनता को उपलब्ध कराएं जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। इसलिए मैं यही कहूंगा - रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज उस सन्मति की हमें आवश्यकता है जिससे कि देश के लोग हृष्ट पुष्ट, वीर्यवान और आयुष्मान बनें। आज हमारी आयु धीरे-धीरे कम होती जा रही है, इसलिए देश को मजबूत बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए हमें देखना होगा कि ऐसी सुमति आए कि देश के आम आदमी को हम स्वच्छ पानी प्रदान कर सकें।

मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में पेयजल का अत्यंत संकट है और हिमालय से, जहां से निदयों द्वारा देश को पेयजल मिल रहा है, वहां के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे देश में पेयजल का संकट हो जाएगा। एक स्टडी के अनुसार पिछले चालीस वर्षों में हिमालयी ग्लेशयरों में जबरदस्त गिरावट आई है। प्रमुख ग्लेशियरों का क्षेत्रफल 16 फीसदी कम हो गया है, हिमालय की निदयों के ग्लेशियारों के सिकुड़ने की रफ्तार ज्यादा है। एक किलोमीटर से छोटे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, चार दशकों में 30 फीसदी ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। हिमालय के ग्लेशियर ही पानी के सबसे बड़े भण्डार हैं। अतः इनके संख्रण की दीर्घकालीन नीति बनाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार को शीघ्र विशेष कदम उठाने चाहिए एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जनता के मूल अधिकारों से जोड़ा जाना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल के अभाव से ग्रस्त गांवों में पेयजल टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया जाना अति कठिन कार्य है क्योंकि यहां के कई गांव अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत

लम्बित एवं अधूरी सड़क योजनाओं तथा पेयजल योजनाओं का विवरण मैं देना चाहता हूं - चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, बीरोंखाल ग्राम समूह पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना, भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, महादेव से बरसुण्ड देवता तक पूर्वी नयार नदी पम्पिंग पेयजल योजना, देवकुण्डई, तल्ली पेयजल योजना।

बवासा, घोड़ियाना, सिंदुड़ी पेयजल योजना हमारे उत्तराखंड की ऐसी कई पेयजल योजनाएं हैं। इन योजनाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है इसलिए मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होगा, तो बहुत बड़ी समस्या होगी।

अंत में मैं आपको धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा,

"Where the is without fear and the head is held high;

Where knowledge is free;

Where the world had not been broken up into fragments by narrow domestic walls;

Where words come out from depth of truth;

Where tireless striving stretches its arms towards perfections;

Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;

Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action;

Into that heaven of freedom, my father, let my country awake."

यह हमारे टैगोर साहब ने कहा था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की आयु आयुष भारत खंड के रूप में परिवर्तित हो, हम जागें, आयुषमान बनें और दीर्घजीवी बनें, यही मैं मंगलकामना करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

I also lay a part of my speech on the Table.

* बडेरो ढैय्या (नागणी) पेयजल योजना

केदारगली पेयजल योजना को बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़ना बड़ेथ पेयजल योजना का क्रियान्वयन एवं गुराड मल्ला के लिए नई पेयजल योजना का निर्माण ।

नानाघाट पेयजल योजना ।

कोट ब्लाक के सब्दरखाल क्षेत्र (55 ग्रामों) के लिए वेलणेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना ।

जिला चमोली में लंबित पेयजल योजनाएं

- 1. गोपेश्वर नगर से अमृत गंगा पेयजल योजना
- 2. विकास खण्ड गैरसैण में बड़ागांव पेयजल योजना

जिला रूद्रप्रयाग में लंबित पेयजल योजनाएं

- 1. तल्लानागपुर पेयजल योजना
- 2. तिलवाड़ा सुमाड़ी पेयजल योजना
- 3. रौठिया-जवाड़ी (पश्चिमी भरदार) पेयजल योजना
- 4. तैला पेयजल योजना
- 5. पिल्लू-जंगही पेयजल योजना
- 6. अगस्त्यमुनि पेयजल योजना
- 7. बसुकेदार-डांगी -सोगना पेयजल योजना

^{*...*} This part of the Speech was laid on the Table.

जिला टिहरी में लंबित पेयजल योजनाएं;

- 1. लक्षमोली-हडीम की धार पम्पिंग पेयजल योजना, पट्टी हिसरियाखाल के लिए।
- मलेथा-कपरोली-अकरी-बारजुला पिम्पंग पेयजल योजना पट्टी कड़ाकोट पिश्चिम भाग एवं पट्टी अकरी बारजुला हेतु
- कोटेश्वर-सिल्काखाल पेयजल पम्पिंग योजना द्वितीय चरण पट्टी चौरस एवं काङाकोट पूर्वी भाग
- 4. मुनेट-सजवान कांडा पेयजल पम्पिंग योजना पट्टी भरपूर हेतु
- 5. देवप्रयाग नगर हेत् पेयजल पम्पिंग योजना
- कोटेश्वर झण्डीधार तथा कोटेश्वर-पालकोट पेयजल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाएं
- 7. क्वीली-पालकोट पेयजल पम्पिंग योजना
- सूरजकुण्ड-रानीताल पेयजल पम्पिंग योजना

जिला नैनीताल में लंबित पेयजल योजनाएं

- 1. ढिकुली में ओवर हैड टैंक का निर्माण एवं वितरण प्रणाली का पुनर्गठन ।
- भवानी खुल्चे, भवानीपुर तिडयाल, मिड्याल में 1 कि. लाइन कार्य
- 3. बांगाझाला पेयजल योजना का स्वच्छ जलाशय निर्माण कार्य रामनगर शहर में ।

माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं;

महोदय, इसके अलावा में आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि दिनांक 19 अक्तूबर 2006 में अपने हरिद्वार आगमन पर मा. प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के लिए पांच पंपिंग योजनाओं के निर्माण की घोषणा की गई थी किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक धन अवमुक्त न किये जाने के कारण इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। इनका शीघ्र निर्माण होना अति आवश्यक है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल

1. डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना

2. मुण्डनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना

जनपद टिहरी

2. घंटाकरण ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना

जनपद अल्मोडा

- 4. दोडम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना
- 5. सरयू वेलम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना ।

पेयजल एक राष्ट्रीय समस्या है, अतएव इसके समाधान हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मोटर मार्ग

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश गांव सड़कविहीन हैं जिसके कारण वहां के निवासियों को अपनी रोजमर्रा की वस्तुएं लेने लिए कोसों पैदल चलना पड़ता है। यदि वहां कोई बीमार हो जाता है तो शहर पहुंचते-पहुंचते कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। पेयजल ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क न होने से पानी के टैंकर नहीं जा सकते हैं, जिससे इन क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलबध नहीं हो पाता। अतः पहाड़ों में सड़कों का शीघ्र निर्माण होना अति आवश्यक है।

अपने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेंने यह अनुभव किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण में राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग विशेष रूचि नहीं ले पा रहा है जिसके फलस्वरूप या तो स्वीकृत मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो पाया है या निर्माण कार्य धीमी गित से किया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता परेशान है। यही नहीं बल्कि जिन मोटरमार्गों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया भी गया है उन अधिकांश मोटरमार्गों पर बस सेवायें संचालित नहीं हो पा रही है और ये मार्ग त्रुटिपूर्ण स्थिति में अधर में लटके हुए हैं।

उदाहरण के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देवप्रयाग-व्यासघाट मोटर मार्ग का निर्माण इसी योजना के अन्तर्गत 30 जून, 2006 को पूर्ण कर दिया गया था किन्तु अभी तक यह मार्ग बस सेवाओं के संचालन हेतु उपलब्ध ही करवाया जा सका हे। ठीक वही स्थिति अन्य मार्गों की भी बनी हुई है।

मेरा सुझाव हे कि बिहार राज्य की भॉति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण का दायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा किसी स्वतंत्र निर्माण ऐजेन्सी को दिया जाए ताकि स्वीकृत सड़कों का निमाण यथा समय पूर्ण हो सके और इन स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु पुनरिक्षित प्राक्कलन कमेटी (Revised Estimate Commmittee) गठित करने की आवश्यकता न पड़े।

गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में लंबित/अधूरी योजनाओं का विवरण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लंबित अथवा अधूरी योजनाएं जिला पौडी गढवाल

- 1. पैठाणी-बडेथ मोटर मार्ग
- 2. वेदीखाल-चोरखिण्डा मोटर मार्ग
- नौडखाल-मालकोट मोटर मार्ग
- 4. ऐसा-चरेख मोटर मार्ग
- 5. मोल्काखाल-टीला मोटर मार्ग
- 6. कण्डलसेरा-कुराली तल्ली मोटर मार्ग
- 7. किल्योखाल-टकोलर मोटर मार्ग
- 8. बूँगी-रिक्साल मोटर मार्ग
- 9. पिनानी से पिनानीधार मोटर मार्ग
- 10. मेलसैण-चोपड़ा (स्टेज-2) मोटर मार्ग
- 11. सौन्दरबैण्ड-ऍडी मोटर मार्ग

- 12. परसुण्डाखाल-काण्डई मल्ली मोटर मार्ग
- 13. पीपलपानी-नौली-धारकोट मोटरमार्ग
- 14. रीठाखाल-पंचवटी नाई मोटर मार्ग
- 15. भरोली-मैठाणा मोटर मार्ग
- 16. चाकीसैण-जाख मोटर मार्ग
- 17. थापला-सासौ मोटर मार्ग
- 18. त्रिपालीसैंण-डुग्री मोटर मार्ग

जिला चमोली में लंबित मोटर मार्ग

- 1. निजमुल्ला पाणा-ईराणी मोटर मार्ग विकास खण्ड दशोली
- 2. घिघराणा-स्यूणबेमरू-डुमक कलकोट-ऊर्गम मोटर मार्ग विकास खण्ड दशोली
- 3. पुरसाडी-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग विकास खण्ड दशोली
- 4. विष्ण्गाड चाई थैंई मोटर विकास खण्ड जोशीमठ
- 5 लंगास् बणसोली मैखुरा मोटर मार्ग विकासखण्ड कर्ण प्रयाग ।
- आदिबद्री सिलपाटा भरराड़ी सैंण मोटर मार्ग विकास खण्ड गैरसैंण ।
- 7. ग्वाड रिखोली नैल मोटर मार्ग विकास खण्ड गैरसैण ।
- 8. नलगांव भटयाणा मोटर मार्ग विकास खण्ड नारायणबगड़ ।
- 9. परखाल जुनेर डुंगरी मोटर मार्ग विकास खण्ड नाराणबगड़ ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिला टिहरी विकासखण्ड कीर्तिनगर में लंबित मोटर मार्ग

- 1. खजरा-गोदी मोटर मार्ग
- 2. वागसैण-कफना मोटर मार्ग
- 3. कमान्द-कपरोली मोटर मार्ग

विकास खण्ड देवप्रयाग

- 1. रानीठौंक से राजवानकोड़ा बमाना मोटर मार्ग
- 2. मुल्यागांव-पेलेठी कोठी मोटर मार्ग

राज्य सैक्टर के अंतर्गत देव प्रयाग क्षेत्र में लंबित मोटर मार्ग

- 1. पौड़ीखाल भारो मोटर मार्ग
- 2. पाड़ीखाल-सादनाकोट मोटर मार्ग
- 3. पाडीखाल-ग्वालनानगर मोटर मार्ग
- 4. स्यूटा-सिगोली मोटर मार्ग
- 5. पौड़ीखाल-कुलंर ककराडा मोटर मार्ग
- 6. माल्डा श्रीकोट पैडुलापाटा मोटर मार्ग
- 7. हिण्डोलाखाल-पलेटठी-बनगढ मोटर मार्ग
- 8. नागचौड-चागी धौडियाधार मोटर मार्ग
- 9. ठुंगी-खिलेथीपंवार पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग
- 10. हिण्डोलाखाल-काण्डी-दुरोगी सिरवा मोटर मार्ग
- 11. हिण्डोलाखाल-भंसाकोट-ललूडीखाल सिरवा मोटर मार्ग
- 12. हिण्डोलाखाल-कोठी पलेड़ी मोटर मार्ग
- 13. ललथ सिवाली-गुजेठा मोटर मार्ग
- 14. बगड़वालधार-कुंड भरपूर मार्ग
- 15. गोल्ठा चक-व्यालनी-टकोली मोटर मार्ग
- 16. बरसोली बैण्ड-गौली-गुरछोली-डांगचौरा मोटर मार्ग
- 17. लक्षमोली तल्याकोट मोटर मार्ग
- 18. बागवान-जावर-हिसरियाखाल मोटर मार्ग
- 19. नौसाबागी-कुनडी मोटर मार्ग
- 20. काण्डीखाल-चन्द्रवदनी मोटर मार्ग

राज्य सैक्टर के अंतर्गत विकासखण्ड कीर्तिनगर में लंबित मोटर मार्ग

- 1. पैड्लाबैण्ड-रोमला सिरोला जखंड मोटर मार्ग
- 2. डागचौरा-गुंडोली मोटर मार्ग
- 3. पावबैण्ड न्यूलीनोटीपाब सेलसैण-माठुडागांव मोटर मार्ग
- 4. खजरा-बैजवाड़ी मोटर मार्ग
- 5. रौडू-जाखीगवाना ग्वाडा बेला मोटर मार्ग
- 6. घंडियालधार पांडवचोनीखाल मोटर मार्ग
- 7. चोनीखाल-नाडा धौलियाना खोंगचा पांडव मोटर मार्ग
- 8. चोनीखाल-कांडीऐराडी मुलाना मोटर मार्ग
- 9. सिल्काखाल-सरसेटसारकेना मोटर मार्ग
- 10. मंजाकोट-बंदारा मोटर मार्ग
- 11. धण्डियालधार बंदारा मोटर मार्ग
- 12. धण्डियालधार होदू मोटर मार्ग
- 13. धनजी-धारकोट सुपारडांडा मोटर मार्ग
- 14. कमेडा बैण्ड मालगड्डी मोटर मार्ग

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत नरेन्द्रनगर विकास खण्ड में लंबित मोटर मार्ग

- 1. शिवपुरी तिमली मोटर मार्ग
- 2. रानी चौरी-भौण मोटर मार्ग
- 3. गूलर-चमेली मोटर मार्ग
- 4. गूलर-नाई मिन्डाय मोटर मार्ग
- 5. नाई-सिलकणी-गठियाली मोटर मार्ग
- 6. कौल-कौड़ारना मोटर मार्ग

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में लंबित मोटर मार्ग

1.रामनगर-हल्द्वानी मार्ग मे बेलगढ़ से क्यारी भारी वाहन मार्ग ।

राज्य सैक्टर के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में लंबित मोटर मार्ग

- 1. चन्द्रनगर जूनियर हाई स्कूल से पीपल पड़ाव मोटर मार्ग
- 2. धारी से राजपुर लिंक मार्ग

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"Having regard to the fact that there is a serious crisis of availability of drinking water in various parts of the country, particularly in Pauri Garhwal, Chamoli, Rudraprayag, Tehri Garhwal and Nainital Districts in the State of Uttarakhand and that the centrall sponsored drinking water schemes like *Swajaldhara* and Accelerated Urban WaterSupply Programme (AUWSP) are not being implemented and monitored properly, this House urges upon the Government to formulate and implement a time bound comprehensive action plan at national level to overcome the problem of drinking water."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल जी ने एक अच्छे विषय को सदन में बहस के लिए रखा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सतपाल महाराज जी धार्मिक व्यक्ति हैं और वह प्रवचन भी किया करते हैं। वह शास्त्रों-पुराणों का अध्ययन भी करते हैं। इन्हें कथा करते हुए हम लोग टीवी पर भी देखते हैं। इनकी अच्छी शिष्य मंडली है, जिन्हें प्रवचन करते हैं और धर्म मार्ग बताते हैं। इसलिए धर्म के दृष्टिकोण से भी और अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी पानी के महत्व पर इन्होंने सदन का और देश का ध्यान आकृष्ट किया है।

रहिमन पानी चाहिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती, मानस, चून।

किव रहीम ने कहा था कि पानी सबके लिए आवश्यक है, अगर पानी नहीं होगा तो बिन पानी के मर्द क्या और बिन पानी के चूना क्या, और बिन पानी के मोती क्या। मोती की सुंदरता तब है, सुंदिरयों के गले में भी मोती की सुंदरता तब निखरती है, जब मोती पर पानी की चमक हो। मर्द में भी मर्दानगी तब है, जब उसमें पानी हो। चूना भी काम के लायक तब है, जब उसमें पानी हो, नहीं तो सूखे चूने का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए किव रहीम ने भी पानी के बारे में इतनी सुंदर बातें कही हैं। दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने 'रामचरितमानस' में लोक भाषा में लिखा, तो उन्होंने भी जो पंच तत्व की बात कही है,

क्षिति जल पावक गगन समीरा । पंचरचित यह अधम शरीरा।

उसमें भी उन्होंने जल को कहा है कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, इन पंचतत्वों की महिमा ऋग्वेद से लेकर सभी भारतीय वांग्मेय में ऋषियों ने इसे गाया है। माननीय सतपाल जी

जल तत्व पर चर्चा कर रहे हैं कि पानी आवश्यक है। केवल पीने के पानी का ही अभाव नहीं है, केवल आदमी के लिए पानी नहीं, सतपाल जी, बिसलरी की बोतल से तो आदमी की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन मैं तो गोपाल हूं, अहीर हूं, हमारी भैंस और गाय कितनी बिसलरी की बोतल पीएंगी। बिसलरी की बोतल से तो हमारी बकरी की प्यास भी नहीं बुझ सकती है, तो बिसलरी की बोतल से भैंस, गाय और बैल की प्यास कहां से बुझा दोगे। जो बड़े लोग हैं, समृद्ध हैं, सम्पन्न हैं, खुशहाल हैं, वे बिसलरी का पानी पीने वाले हैं, जिनकी जेब में पैसे भी बिसलरी वाले आते हैं। कोई गाढ़ी पसीने की कमाई वाले किसान, मजदूर और दिलत अपने पसीने की कमाई से बिसलरी का पानी नहीं पी सकते हैं। आज भी इस दिल्ली शहर में जहां आप जाएं, एक बार होटल में जाते हैं, पंचतारा होटल है, राजा-रानी जाते हैं, एक रात के लिए रहते हैं, हजारों रुपया किराया देते हैं, एक बार शौचालय जाते हैं, पेशाब करते हैं, फ्लश खींचते हैं, 15 लीटर पानी जाता है। दूसरी तरफ इस 15 लीटर पानी के लिए 85,000 गांवों के गरीब पांच किलोमीटर दूर पानी के लिए दौड़ते हैं।

मां गगरी लेकर जाती है, पानी लेकर आती है, जब तक वापिस आती है, तब तक पानी के बिना लाखों बच्चों के प्राण छूट जाते हैं। एक तरफ वह हिंदुस्तान है, जहां पाव भर पानी के लिए लाखों बच्चे मां की गोद में मरते हों और एक तरफ यह इंडिया है, जहां पाव भर पेशाब को धोने के लिए 15 लीटर पानी बहाया जाता है। इन दोनों हिंदुस्तान की तुलना है क्या? पानी की बर्बादी को रोको?

एक शहि संस्कृति में एक आदमी रोज 200 लीटर पानी खर्च करता है, दूसरी तरफ हिरयाणा, पंजाब, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के इलाके में चले जाओ, जहां एक आदमी को 10 लीटर पानी भी नहीं मिल पाता है। एक मां, एक गगरी पानी पांच किलोमीटर से लाती है और उसी पानी को पीकर वह बच्चों को भी पिलाती है और अपना काम चलाती है। हमें सबसे पहले पानी के दुरूपयोग को रोकना चाहिए। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

भगवान कृष्ण ने गीता में कहा "अन्नादभवन्ति भुतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञादभवित पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धभव" अर्थात बादल से ही अन्न की उत्पत्ति है, और अन्न से ही प्राणि मात्र का जीवन है, अन्न बादल से आते हैं मेघ यज्ञ से बनता है, इसलिए सभी को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब केवल हवन यज्ञ नहीं है, यज्ञ माने लोक यज्ञ करना चाहिए।

सतपाल महाराज जी, आपने उस दिन व्याख्यान देते हुए कहा था कि भगीरथ ने तपस्या करके ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी को लाने का काम किया था। लेकिन आप जानते हो कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा अवतिरत हुई तो शंकर जी की जटा में ही उलझकर रह गयी थीं। फिर भगीरथी को तपस्या

करनी पड़ी थी, फिर भगीरथ ने शंकर जी को प्रसन्न किया था, तब जटा की एक लट को उन्होंने निचोड़ा था जिससे वर्तमान गंगा निकली थी। योजनाएं बनती हैं, प्रधान मंत्री आते हैं सरकारें आती हैं, प्रशासन के तंत्र आते हैं, विकास की गंगा आती है लेकिन अफसरशाही की जटाओं में उलझकर रह जाती है। भारत में किसी ऐसे भगीरथ की आवश्यकता है जो इन नौकरशाहों की जटाओं में फंसी गंगा को निकालकर गांव के गरीब तक पहुंचा दे, निर्धन और निर्बल की प्यास बुझा दे। योजना बनाने वालों में किसी भगीरथ की आवश्यकता है, संकल्प करने वाले की आवश्यकता है।

में किसान हूं, कृष्ण की संतान हूं। उन्होंने कहा था कि प्रकृति मेरी माता है, गंगा मेरी माता हैं, गो मेरी माता है, लेकिन अगर हम यहां कहें कि गो मेरी माता है, नदियां मेरी माता हैं तो न जाने साम्प्रदायिकता के नाम पर मेरी बातों को प्रोसिडिंग से निकलवाने के लिए कोई खड़ा न हो जाए। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में वे प्रकृति को केवल पदार्थों का समूह मानते हैं, जिसमें जंगल है, नदी है, स्थूल है, यह भौतिक है, यह पदार्थ है, लेकिन भारत की संस्कृति में प्रकृति को केवल पदार्थ नहीं मानते हैं बल्कि प्रकृति को अपनी माता मानते हैं। प्रकृति मेरी माता है, ईश्वर मेरे पिता हैं, प्रकृति के गर्भ से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मां का गर्भ जितना शुद्ध होगा, संतान उतनी बलिष्ठ होगी। अगर मां रुग्ण होगी तो संतान विकलांग पैदा होगी। इसलिए मां के गर्भ को, मां के पेट को ठीक कर दो, मां के स्वास्थ को ठीक कर दो, मां के स्तन में जितना दूध होगा, बच्चे की छाती उतनी ही चौड़ी होगी। प्रकृति में जितनी शुद्धता, पवित्रता होगी, प्रकृति जितनी स्वस्थ होगी, सबल, सुंदर होगी, उतना ही प्रकृति के गर्भ में पलने वाले प्राणी मात्र भी सबल, सुंदर और स्वस्थ होंगे। इस प्रकृति को विकृत किसने किया है? आज के युग में विज्ञान का नारा देने वाले, जो बड़े-बड़े अनुसंधान में लगे हुए लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज प्रकृति में विकृति किसने पैदा की है? प्रकृति को आपने विकृत कर दिया है। अगर प्रकृति विकृत होगी, क्रोधित होगी, प्रकृति उत्तेजित होगी, प्रकृत्ति आक्रोश में आ जाएगी, जिस दिन प्रकृति उन्माद में नाच उठेगी, उस दिन वैसे नाचेगी, जैसे नाचते-नाचते काली स्वयं अपने अंगों को काट कर अपनी गर्दन भी काट देती है और छिन्न-मस्ता के रूप में प्रगट हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के मार्फत दुनिया के वैज्ञानिकों को चुनौती देना चाहता हूं कि तुम कृष्ण के रास्ते को सीखो। कृष्ण ने कहा था, सतपाल महाराज जी आप तो कथावाचक हैं, उन्होंने कहा था कि गोवर्धन की पूजा करो। श्रीमद् भगवद के प्रसंग के मैं तीन अर्थ निकालता हूं। मेरे जैसे अनपढ़, गंवार, किसान, अहीर, जाट, गूजर, जो गांव में रहने वाले हैं, उनके बीच में कृष्ण गए, तो उन्होंने गोवर्धन का मतलब उनके लिए कहा कि प्राम्ह्याचन। अर्थात् तुम्हारी गाय, भैंस, बैल का गोबर ही तुम्हारे लिए धन है। जिसके दरवाजे जितना गोबर होगा, उसके खेत में उतनी खाद जाएगी। जब खेत में गोबर की खाद जाएगी,

तब उसके खेत में उतनी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जितनी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उतनी अधिक पैदावार बढ़ेगी। जितनी पैदावार बढ़ेगी, उतना घर में अनाज आएगा। जितना घर में अनाज आएगा, उतनी ही घर में सम्पन्नता आएगी। जितनी सम्पन्नता आएगी, उतनी ही उसके चेहरे पर लाली आएगी। उसके घर में उतनी ही खुशहाली आएगी। इसके बाद कुछ पढ़े-लिखे लोग आए, उनके लिए कृष्ण ने कहा - गौ वर्द्धन। ऐसा यज्ञ करो, जिससे गौ वंश की वृद्धि हो, गौ वंश का विकास हो। उसके बाद कुछ लोग ज्यादा पढ़े-लिखे आए, उनके लिए कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए इसका मतलब है गौ संवर्द्धन, अर्थात् ऐसा यज्ञ करो जिससे गौ वंश का विकास हो, जिससे ब्रह्मांड का विकास हो। समग्रता में विकास की धारा को बहाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि गंगा को अपवित्र किसने किया, गंगा के किनारे बड़े-बड़े कारखाने बनाते गए। कारखानों की गंदगी गंगा में डालते गए। मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर गंगा के किनारे जिन लोगों ने बड़े-बड़े उद्योग लगाए, उन उद्योगों की गंदगी को गंगा में गिराया। वे किसान विरोधी लोग थे, वे गांव के लोगों के विरोधी थे, जानवरों के विरोधी थे। गंगा केवल शुद्धता नहीं देती है। गंगा के किनारे बसने वाली हमारी बहन, हमारी बहू हमारी बेटी स्नान करती है। वे गंगा का जल लाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। गंगा में हम अपनी गायों को नहलाते हैं, हमारी गाय वहां पानी पीती है। गंगा इसलिए माता है, क्योंकि उससे हमारे पशु का जीवन है, हमारे खेतों में हिरयाली आती है, पशुओं में ताकत आती है और हमारे चेहरे पर लाली आती है। ऐसी गंगा नदी को अपवित्र करने का अपराध जिन्होंने किया है, वही पेयजल का संकट खड़ा कर रहे हैं। यहां पास में यमुना है। यमुना आज रो रही है कि शायद कृष्ण कहीं से चले आएं, यमुना के किनारे आएंगे, तो शायद रोते-रोते एक नई यमुना बहा देंगे, क्योंकि इस यमुना की दुर्दशा वे अपनी आंखों से देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूंगा कि पानी का संग्रहन करो, पानी का संचयन करो, प्रबंधन करो, वितरण करो, इसके लिए व्यवस्था बनाओ। गांव के अंदर जहां-जहां जलाशय हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, बरसाती निदयां हैं, उन निदयों में चैकडेम बनाओ। पानी वहां रुकेगा, उससे कई काम होंगे। जो जलाशय हैं, उनकी खुदाई कर दीजिए, जिससे वहां पानी रुकेगा और भूमि का जल स्तर ऊंचा होगा। उससे आगे का काम कीजिए कि जो मृत निदयां हैं, बेकार पड़ी हुई हैं, जिन निदयों ने अपनी धारा बदल दी है, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं। जो मृत निदयां सूख गई हैं, उनमें खुदाई कर दो। उन निदयों को चालू कर दीजिए। वहां पानी का प्रवाह बढ़ेगा, पानी रुकेगा और भूमि का

जल स्तर ऊपर आएगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पानी के दुरुपयोग को रोकिए, पानी का संग्रहण किए, पानी का संचयन किए, प्रबंधन किए और वितरण की व्यवस्था किए। अगर समग्रता में भारत सरकार योजना बनाए, तो कृषि का विकास होगा, पशु स्वस्थ होंगे, जीव स्वस्थ होंगे, मानव स्वस्थ होगा, निदयों को सुरक्षित कीजिए। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, अगर केवल मैं कहूंगा तो कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। मैं केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया का संसद में दिया गया भाषण याद करो।

<u>16.00 hrs.</u>

उस भाषण में डा. लोहिया ने कहा था कि नदियों को साफ करो, धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाओं क्योंकि वे सांस्कृतिक केन्द्र और कड़ी हैं।

इसलिए अंत में प्रार्थना करते हुए विश्व के सभी वैज्ञानिकों से प्रार्थना करूंगा और बताना चाहूंगा कि जब मैं कृषि मंत्रालय में था, आईसीएआर के वैज्ञानिकों को कहा था कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है?...(व्यवधान) तुम प्रकृति का शोषण मत करो। प्रकृति का दोहन करो, आदान करो, प्रदान करो। हम गाय को खिलाते हैं, तब दूध निकालते हैं। तुम प्रकृति को दो तब प्रकृति से लो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर आज के वैज्ञानिकों ने जो शब्द कहा है, वे वैज्ञानिक क्रूर हैं, कठोर हैं और मानवता के विरोधी हैं। एक्सप्लॉयटेशन मत करो, प्रकृति से सहयोग करो। प्रकृति की माता के समान पूजा करो। हम प्रकृति को पूजेंगे, निदयों को पूजेंगे, जंगल को पूजेंगे, यहीं से हमारी सभी समस्याओं का निदान होगा। इन सब के लिए पानी चाहिए। पानी का प्रबन्ध करो, सब मिलकर पानी का प्रबन्ध करो। सरकार भी पानी का प्रबन्ध करे, हम सब मिलकर करें। भारत के गरीब किसानों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने पसीने से, अपने परिश्रम से पानी को रोको, पानी को बचाओ, समुद्र में पानी को जाने से रोको। यही पानी रहेगा तब आपके बच्चों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसी से चेहरे पर लाली आएगी। सत्ता के ऊपर निर्मर मत रहो, भारत की करोड़ों संतानों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने हाथों से देश का निर्माण करो। पानी को रोकने का प्रबन्ध करो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापित महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने मुझे देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय पर माननीय सतपाल जी महाराज द्वारा रखे इस प्राइवेट मैम्बर बिल पर बोलने का मौका दिया।

16.02 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

में इस बिल को सपोर्ट करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। एक तरफ से पूरा प्रवचन आया है और दूसरी तरफ से पूरा जबर्दस्त व्याख्यान आया है। लेकिन न हम प्रवचन देंगे और न हम व्याख्यान दे सकते हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने डा. राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया। आपको बिल्क इधर होना चाहिए। अभी सम्मानित सदस्यों ने बड़े विस्तार से पेयजल के बारे में जो यहां सदन में बातें रखीं, अगर देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि सन् 2050 तक शहर की आबादी 50 प्रतिशत हो जाएगी। यही नहीं, चिंता का विषय है कि 2050 तक चीन देश को पछाड़कर भारत की जनसंख्या 1.6 अरब को पार कर जाएगी और 2025 तक जो भविष्यवाणी हुई है, भारत में अन्न की कमी होगी और पड़ौसी देशों से जल के लिए युद्ध होगा। यह भविष्यवाणी है और यह सोचने योग्य है। आज बड़ी गंभीरता से हमें इस पर सोचना होगा।

आज आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की कई बार यहां चर्चा हुई। ओजोन की पर्त में सूराख है। गर्मी बढ़ रही है। हमारे हिमालय पहाड़ के जो ग्लेशियर हैं, बर्फ है, वे सब पिघल रहे हैं। यहीं नहीं, पूरे एशिया में सात ऐसी बड़ी निदयां हैं जो साल भर लगातार पानी की आपूर्ति करती हैं। अरबों लोगों की प्यास पूरे विश्व में वे बुझाती हैं। जो समूचा दक्षिण और पूर्वी इलाका है, उसकी प्यास बुझाने का काम ये निदयां करती हैं। लेकिन जल पूर्ति परियोजनाओं के करीब 20 अरब डॉलर कर्ज के लिए विश्व बैंक पानी के निजीकरण पर प्रमुख वित्त पोषक बन गया है। यह भी एक बहुत चिंता का विषय है। इस पर भी हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पानी की जो समस्या हमारे पूरे विश्व में है, मैं केवल भारत देश की बात नहीं करता, पूरे विश्व में जो समस्या है, उसका सबसे मुख्य कारण देश की बढ़ती हुई आबादी है।

शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। भू उपयोग में भी परिवर्तन हो रहा है। जमीन के अंदर बढ़ता दोहन चाहे खनन या पानी के रूप में हो, इसका मुख्य कारण है। खास तौर से वनों का उन्मूलन और खनन हो रहा है, पत्थरों की तुड़ाई हो रही है। हिमालय में जल संसाधनों का समूचा तंत्र बदली जलवायु के कारण बदल रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में पेयजल की समस्या हो रही है। जहां तक पानी के दुरुयोग की बात है। अगर हम देश के बड़े नम्हों की तरफ ध्यान दे तो पता चलेगा कि मुम्बई में वाहन धोने के लिए 50 लाख लीटर प्रति दिन पानी खर्च होता है। हम अक्सर ट्रेन से जाते हैं

तो देखते हैं कि पानी बहता रहता है और मुम्बई, दिल्ली, चैन्नई में बड़ी पाइपलाइनों के वाल्व खराब होने से 17-44 प्रतिशत पानी बहकर नालियों में चला जाता है। यह चिंता का विषय है। हमने सदन में सूखे के विषय पर विस्तार से चर्चा की है। अगर हम दूसरे देशों की तरफ देखें, जैसे इजराइल को ही ले लीजिए। वहां केवल 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है लेकिन यह देश अनाज की पैदावार भी करता है और दूसरे देशों को भी निर्यात करता है। यह वहां की स्थिति है। आज हम भारतवर्ष की स्थिति देखें तो यहां जलवायु परिवर्तन के कारण हमेशा चार साल में सूखे की स्थिति आती है। यहां 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के बावजूद भी अनाज की कमी बराबर बनी रहती है। इसी सदन में चावल निर्यात के घोटाले को लेकर चर्चा की गई थी। हमारी खेती पर पानी के कारण बहुत प्रभाव पड़ता है।

महोदय, पिछले 50 वर्षों में पानी को लेकर 37 भीषण हत्याकांड हुए हैं, यह रिकॉर्ड बताता है। आज भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पेयजल की बहुत समस्या है, जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश की भारतीय महिलाएं करीब चार किलोमीटर दूर से घड़ों में पानी भरकर लाती है तब जाकर उनको खाना बनाने और पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है। यहां कई माननीय सदस्य तेलंगाना तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में बता रहे थे। जहां तक पानी के संक्रमण की बात है। मैं पानी के विषय में बताना चाहूंगा कि पानी कितना प्रदूषित हो गया है। आज 22 लाख व्यक्तियों की मृत्यु प्रति वर्ष जल प्रदूषण के कारण हो रही है। पृथ्वी के 70 प्रतिशत भाग में एक अरब 40 घन किलोमीटर पानी है। समुद्र में 97.5 प्रतिशत खारा पानी है। ध्रुव प्रदेशों में बर्फ के रूप में एक परसेंट पानी है। नदियों, सरोवर, कुओं झरनों और झीलों में एक प्रतिशत पानी है जो पीने लायक है। इस तरह से एक प्रतिशत में 60 प्रतिशत पानी की खपत खेती उद्योग और कलकारखानों में होती है। इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत पानी का हिस्सा भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने, सफाई और अन्य कार्यों में खर्च करते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो हम सुबह नित्य क्रिया से विरक्त होते हैं और उसमें ब्रश भी करते हैं। बहुत लोगों की आदत है कि ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं। इस तरह से केवल ब्रश करने में 25-30 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। बाथ टब में नहाने के लिए प्रति व्यक्ति 300-500 लीटर पानी चाहिए और यह खर्च हो रहा है। दुनिया के दो अरब लोग स्वच्छ, स्रक्षित पेयजल से आज भी वंचित हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा। विश्व में प्रति दस व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को भी शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। पेयजल के बारे में इस सदन में चर्चा होती है, हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि जो पानी बेकार जा रहा है, फिजूल जा रहा है इसे कैसे संरक्षित करें क्योंकि ऐसा करने से ही इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। हम प्रति वर्ष छः अरब लीटर बोतल बंद रेल नीर या बिस्लरी पानी पीते हैं। हम प्रतिवर्ष छः अरब लीटर बोतलबंद पानी पीते हैं। आज बोतल का पानी भी महंगा है। रेल नीर और बिसलरी बॉटल दस-बारह रुपये में मिलती है। अन्यथा

पेयजल की ऐसी-ऐसी बोतलें आई हैं, जो साठ रुपये लीटर है। दूध से भी ज्यादा उसके दाम हैं। आज हमारे यहां पानी महंगा है और दूध सस्ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि लोग पानी न पीकर दूध ही पीयें तो हमारा पेयजल का संकट दूर हो सकता है।

दूसरी तरफ अगर फलों को हम संरक्षित करें तो उसमें भी बहुत द्रव्य होता है। आलू, अनानास में 80 प्रतिशत और टमाटर में 95 परसैन्ट पानी होता है। मानव को पीने के लिए प्रतिदिन तीन लीटर पानी चाहिए। पशुओं को पचास लीटर पानी चाहिए। गाय का एक लीटर दूध पाने के लिए हमें आठ सौ लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। एक किलो गेहूं एक हजार लीटर पानी खर्च करने के बाद हम प्राप्त करते हैं। एक किलो अनाज उगाने के लिए हमें चार हजार लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। भारतवर्ष में 83 प्रतिशत पानी खेती और सिंचाई में उपयोग होता है। इस तरह से हमें वर्षा का पानी भी बचाना पड़ेगा। जैसा हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि हमारे देश में तमाम निदयां हैं। पहले निदयां हजारों की संख्या में थी, लेकिन अब सूखते-सूखते बहुत सी निदयों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अब मेरे ख्याल से केवल सैकड़ों की संख्या में छोटी-मोटी निदयां बची हैं। आज भी यिद हम गांवों, मौहल्लों में स्थित तालाबों को देखें तो उनकी संख्या में कमी आई है, समय के साथ ये गायब हुए हैं। जबिक सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि तालाबों पर जो इनक्रोचमैन्ट है, वहां तमाम लोगों ने तालाबों को पाटकर अपने मकान बना लिये हैं, उन्हें डिमॉलिश किया जाए। नरेगा में भी तमाम स्कीमें है। हमेशा सरकार भी कहती है और यहां अपने उद्बोधन में सब लोगों ने भी हमेशा इस बात को कहा है कि गांव-गांव में तालाब होना चाहिए और वर्षा के उसे अपने उपयोग में ला सकते हैं।

जहां तक प्रदूषित पानी का सवाल है, इसकी व्यवस्था के बारे में मैंने आपसे अभी विस्तार से कहा है कि आज पानी एक तरह से बीमारियों का स्रोत बन चुका है। दूषित पेयजल से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे डायरिया, आंत्रशोध, चर्म रोग, पोलिया हैपिटाइटिस और कैन्सर हो, इस तरह की तमाम बीमारियां आज पानी के कारण होती हैं। चूंकि हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में काफी पीछे हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा।

हम भूजल से 80 प्रतिशत पानी का दोहन करते हैं और दो प्रतिशत पानी हम निदयों, झीलों और तालाबों से प्राप्त कर पाते हैं। खेतों में हम जो उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां प्रयोग करते हैं, उनके कारण भी जमीन से दोहन किये गये पानी में मैटल और प्रदूषण होता है और वह पानी खारा भी होता है, जिसके कारण तमाम बीमारियों का जन्म होता है।

यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो विश्व में प्रतिवर्ष चालीस लाख बच्चे जलजनित बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। चाहे वह डायरिया, आंत्रशोथ, टायफाइड, डिसेन्ट्री और पोलियो हो। आज इस तरह के तमाम रोग हमारे बीच में फैले हुए हैं।

सभापित महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमने पानी के विषय में नहीं सोचा और पानी को संरक्षित नहीं किया तो आने वाले समय में विश्व युद्ध केवल पानी के लिए होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं सतपाल महाराज जी द्वारा प्रस्तुत प्राइवेट मैम्बर बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापित महोदय, मुझे इस बात की इंतिहा खुशी है कि हमारे साथी ने इस किस्म का सवाल इस बिल के जिरये पैदा किया है और जो प्राइवेट मैम्बर बिल सदन में लाया गया है, मैं भी चाहता हूं कि इस पर संजीदगी से सबने पहल करनी चाहिए। पानी एक जिंदगी है। चाहे वह जमीन हो या आसमान हो, सूखा आसमान भी बुरा लगता है जब बरसात के दिन आते हैं। जमीन भी देखें तो खाने को पड़ती है।

यहां तो ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है। जब तक पानी रिचार्ज नहीं होगा तो वह खत्म हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं हो सकता है। सब से इम्पार्टेंट बात यह है कि आज हमारी निदयां, नाले सूख रहे हैं। हमने छोटी उम्र में अपने इलाके में देखा कि हमारे देखते-देखते बहुत सी निदयां 10-20-30 साल में सूख गईं। आज उन सूखी जगहों को देखने से मन में आता है कि कभी इनमें पानी चले होने इसका कारण ढूंढना होगा कि जब इनमें पानी नहीं होगा तो हम लोगों को पीने के लिये पानी कहां से मिलेगा?

सभापति जी, सब से ज्यादा इम्पार्टेंट हमारे जंगल हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो बहुत ही सुन्दर है। वह सुन्दरता पहाड़ों से हैं, पेड़ों से हैं, जड़ी-बूटियों से हैं लेकिन आज वे धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। आज बड़े-बूढ़े दरख्त दिखाई देते हैं और अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि छोटे जंगल दिखाई नहीं देते हैं। मैं थोड़े दिन पहले अपने क्षेत्र में गया था। बहुत से लोगों ने पटनी टॉप का नाम सुना होगा। वहां से सनासार 17 किलोमीटर है जहां तक मैं पैदल गया। टोटल पहाड़ नंगा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग पहाड़ों पर बड़े बड़े मैदान पायेंगे। जब पहाड़ों पर मैदान नहीं थे, वहां पहाड़ों पर पेड़ थे, सुन्दर जड़ी-बूटियां थीं। आप सब को मालूम होगा कि हर साल जंगलों में आग लगती है। लेकिन यहां जानबुझकर एक-दो-तीन-चार बार आग लगाई जाती है। लोगों में जागरूकता नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से ठीक प्लानिंग नहीं है। पीने का पानी पहाड़ों से चलकर आता है लेकिन लोग जमीन से पानी निकालना चाहते हैं। जैसे शरीर से उसका खून निकाल लिया जाये तो वह जिन्दगी कितने दिन रहेगी, ऐसी हालत जमीन की हो गई है। जमीन में ड्रिप ड्रिलिंग से पानी निकाल रहे हैं, हैंड पम्प से पानी नहीं निकलता है, दो पाइप और डाल दो, तो पम्पिंग सैट से पानी कैसे निकलेगा? हर साल पानी 20 फीट नीचे जा रहा है। आप देखिये कि अगर उधर पानी है तो इधर कैसे लगाना चाहिये, कैसे रिचार्ज करना है, वापस कैसे लाना है? लोग तो कह रहे हैं कि हम अपने यहां बारिश करवा लेंगे। रास्ते में बादल अपने ऊपर गिरा लेंगे। नेचर को इतना इम्बैलेंस किया जा रहा है, इतना ह्रास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी प्रकृति, भगवान ने जो खूबसूरती बनायी है, उसे हम खुद बरबाद कर देंगे। मेरा सबिमशन है कि हमारा देश

सब से सुन्दर इसिलये है कि यहां छ: ऋतुयें होती हैं। किसी देश में ऐसा नहीं है। कहीं पर दो हैं तो कहीं चार हैं। हमारे यहां वसंत ऋतु है। इस देश को किसने बिढ़या बनाया है? हिमालय ने, पेड़ों ने, मैदानों ने क्योंकि आपसी तालमेल है।

सभापित जी, हमारे देश के दो-तीन डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको इस बात को सख्ती से लेना चाहिये। हम लोग जब मंत्री बनते हैं तो मांगकर डिपार्टमेंट चाहते हैं। हम उस मंत्रालय में जाना चाहते हैं जहां देश का और समाज का काम कम हो, नेचर का कम हो लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जरूर मिलना चाहिये। इन सब में इम्पार्टेंट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट है। पानी एक तरह से सोना-चांदी है। आप उस पानी को ख्वामख्वाह बरबाद कर रहे हैं। जब आप प्लांटेशन नहीं करोगे तो कागज़ों में देखोगे कि इन्होंने इतने प्लांट्स लगाये हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे सिर पर भी चार-चार लग गये हैं, फिर भी वे पेपर्स पूरे नहीं होते हैं।

कागज भरे हुए हैं, पूरे देश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कागज भरकर रखे हुए हैं कि उसने लाखों पेड़ लगाये हैं। हमारी तारीफ में लिखा गया है, गीता, रामायण, ऋग्वेद में लिखा गया है कि हर आदमी को 16 पेड़ लगाने चाहिए। 16 पेड़ लगाने का कुछ मतलब है, पांच तालाब लगाने का कुछ मकसद है। मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी पहाड़ में जाए, कंडी में जाए, मैदानों में जाए, हमारे इलाकों में जाकर देखे, हर बंदे के पास एक हमांत होता है, दरांती होती है, कुल्हाड़ी होती है और हर बंदा डेली कुछ न कुछ काटने के चक्कर में होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पेड़ लगाने के चक्कर में कोई नहीं होता है। मेरी कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने तालाब बनाये, कंडियों में तालाब बनाये, पहाड़ों में तालाब बनाये, मैदानों में तालाब बनाये और तालाब के किनारे उन्होंने जबरदस्त प्लांटेशन की थीं। जैसे-जैसे सूर्य घूमता था, उसकी छाया उसके ऊपर रहती थी। आज क्या हो रहा है? पहले हमने उसके किनारे के प्लांट काटे, फिर तालाब सूखा, पीछे से पानी आता था, उसे रोका, हर जगह इन्क्रोचमेंट हो गया है।

मेरी जनाब से विनती है, हमारे रूरल मंत्रालय को देखने वाले, गांवों को देखने वाले बहुत ही सुन्दर मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मेरी इनसे और वाटर कंजर्वेशन करने वाले दोनों मंत्रियों से सबिमशन है कि एक कांप्रिहैंसिव प्लान बनाइए जिससे देश का कोई तालाब बिना पानी के नहीं रहे। आप प्लान कीजिए कि जो तालाब बर्बाद और तबाह हुए हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए, इस पर गौर किया जाए। जो प्लांटेशन कट गयी है, तबाह हो गयी है, उसे जल्दी लगाया जाए। मैं कहता हूं कि इसका ठेका कोई नहीं उठाता है। मैं इस देश की फ्री सर्विस करने के लिए तैयार हूं। सरकार मेरे कहने पर प्लांट लगाये, मेरे कहने पर अफसर बनाये, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। इस जंगल वाले डिपार्टमेंट को मैं सुधारूंगा, पानी वाले डिपार्टमेंट को मैं सुधारूंगा,

आप ठेका मुझे दे दीजिए, मैं पैसा नहीं लूंगा, विदआउट मनी ठेका मैं लूंगा। मेरी जनाब से विनती है, मैं बहुत दुखी होता हूं, जब ऐसी हालत देखता हूं।

महोदय, आप सभी ने वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में सुना होगा। उदाहरण के लिए चाहे देहली कह लो, अठियालता कह लो, अठूंड कह लो, ढांडुगनू कह लो, कल्फेन्न कह लो, ऊपर कह लो, नीचे कह लो, जब वह बनती है तो उसका नाम वाटर सप्लाई स्कीम रख लिया जाता है। उसके बाद जब वह पानी नहीं देती है तो लिखा जाता है improvement of water supply scheme, फिर लिखा जाता है, upgradation of water supply scheme. इस तरीके से वही वाटर सप्लाई स्कीम चलती रहती हैं और वह लोगों को पीने का पानी नहीं देती हैं।

महोदय, आपसे विनती है कि जब तक आप इन प्रतारकों को सीधा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सारी स्कीमें, सारी कहानियां, सारा सिलसिला, लंबी-चौड़ी कहांनियां, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जमीन पर कुछ नहीं है। मेरी विनती है कि जितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर डिपार्टमेंट को थ्रू-स्कीम जाता है, यह जानकारी आपके पास भी आती होगी, कोई भी एमपी ऐसा नहीं है जो मेरे से कम जानता हो, सब मेरे से ज्यादा जानते हैं। सब जानते हैं, मिनिस्टर जी भी जानते हैं, लेकिन जब स्कीम बन जाती हैं, गुस्सा न करें, वहां परेशानियां कैसे-कैसे बढ़ती हैं, इसका कोई इलाज कीजिए। कोई ऐसी दवाई दीजिए, जिससे नीचे वाला स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। किसी को कोई फिक्र नहीं है।

महोदय, पानी नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं रहेगा। पहले बीजेपी वालों ने पानी पिया, यशवंत सिन्हा जी ने पानी पिया, उधर एक ने और पानी पिया फिर हमारे विदेश मंत्री जी ने पानी पिया, बाहर जाकर मैंने भी पानी पिया और अभी सतपाल महाराज जी भी पानी पीकर आये हैं। मेरी जनाब से विनती है कि सभी को पानी की बहुत जरूरत है। खाना खाने के बारे में आपको बताऊं, मैं यहां आकर एक बजे तक भूखा बैठा रहता हूं, लेकिन पानी के दो-तीन गिलास पी लेता हूं। इसके बाद दोपहर को खाना खाता हूं। जब मुझे बोलना होता है तो मैं टिका रहता हूं, चाहे भूखा रहूं, लेकिन पानी जरूर पी लेता हूं। पानी ही मुझे बचा रहा है, इस पूरी सृष्टि को बचा रहा है, पानी ही सारी चीजों को बचा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पानी को कौन बचा रहा है? पानी को कोई नहीं बचा रहा है। कैसा गरीब पानी है, कैसा शरीफ पानी है। पानी कैसे बचे, जो सबको बचा रहा है, उसे कोई नहीं बचा रहा है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सबिमशन है कि the Government must take serious note about that. अगर आप हम अवाम को पीने के लिए पानी नहीं दे सके, खेत-खिलयान को पानी नहीं दे सके, प्लांटेशन को पानी नहीं दे सके, अवाम को पानी नहीं पिला सके, हमारे यहां पानी तो है, लेकिन पानी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सके तो यह हमारी अक्षमता है। हमारे बुजुर्गों ने बड़े अच्छे प्लान बनाए थे। जगह-जगह बाविलयां और तालाब लगाए थे। हम लोग क्या कर रहे हैं?

मेरी इस सदन के माध्यम से सबसे यही अपील है कि हर आदमी अपने हिस्से के पेड़ लगाएं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से भी लगवाएं। इसके अलावा हमारे जितने मंत्रालय हैं, जो कि पानी को डील करते हैं, जो पानी को सेव कर सकते हैं, वे इस बात का सख्ती से नोटिस लें, चाहे अन्य कोई काम हो या न हो क्योंकि यह बिल्डिंग्स, यह इमारतें, यह मीनारें, इनकी कोई कीम्म्हिं रहेगी यदि इंसान, जानवर, पक्षी और जमीन प्यासी रहेगी। मेरा निवेदन है कि इसका सीरियसली नोट लिया जाए।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। श्री सतपाल महाराज बधाई के पात्र हैं, जो पेयजल समस्या के निदान पर प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाए और हम लोगों को सरकार को कुछ कहने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, कहावत है- जल ही जीवन है। यानी बिना जल के जीवन की कल्पना, सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज पूरे देश में घोर पेयजल संकट है और आने वाले समय में यह संकट और गहराने वाला है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है और यह बतलाया कि आखिर यह पेयजल संकट क्यों हो रहा है? प्रकृति से छेड़छाड़ हमने शुरू की और जलवायु में परिवर्तन शुरू हो गया, जिसकी वजह से मानसून नहीं आया।

महोदय, मैं बिहार राज्य से आता हूं। उसके 17-18 जिलों में आज पेयजल संकट पैदा हो गया है। गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और पटना में पेयजल संकट चरम सीमा पर पहुंच गया है। जलस्तर नीचे गिर गया है। आप और सरकार भी इस बात को जानती है कि जब तक वाटर रिचार्जिंग नहीं होगी, तब तक जो पेयजल हम भू-जल से उत्पन्न करते हैं, उसकी रिचार्जिंग कैपीसिटी धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। जिस समय विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, उस समय हमारे पूर्वजों ने हर गांव में तालाब बनवाए। बिहार में इसे हम लोग आहर कहते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के काल में पाटिलपुत्र के आस-पास में आहरों का निर्माण हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे उनका अतिक्रमण होता जा रहा है। उनके रखरखाव के लिए सरकार बहुत भाषण करती है। वर्ष 2004-05 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम सिंचाई के परम्परागत स्रोतों का जीर्णोद्धार करेंगे।

महोदय, आहर में जल संचरण होता है। उसमें पानी रिचार्ज होकर जमीन के अंदर जाता है और उसका दोहन करके उसे पीने के पानी के रूप में उपयोग लाया जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बिहार में कुछ इलाके ऐसे हैं और उन्हें मैंने अपने चुनाव के समय में झेला है। नक्सलवाद पर चर्चा हो रही थी, नक्सलवाद कैसे रुकेगा, पीने के पानी से उसका भी संबंध है। जहानाबाद के संसदीय क्षेत्र में गया जिला है और यह देश का महत्वपूर्ण जिला है। मेरा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद है। अतरी एक विधानसभा है, चुनाव के समय में वहां नक्सलियों ने मुझे घेरा। मैं जानता नहीं था कि यह पहाड़ों का इलाका है, चुनाव प्रचार के समय मैं वहां गया था। मैं डर गया कि पता नहीं मेरे साथ यहां क्या नेगा। मुझे वहां लोग ले गए और ले जाने के बाद एक ही बात कही कि आप केवल पीने के पानी का प्रबंध कर दें। आप चल कर देखें कि वहां लोग कैसे पीने का पानी पी रहे हैं, वहां कैसा पानी है। वहां कुंआ है, लेकिन उसमें से एक बाल्टी

पानी निकालने में आधे घंटे का समय लगता है। वह पहाड़ी इलाका है, जब सीपेज़ होता है, अंदर से पानी निकलता है तब एक बाल्टी पानी उसमें आता है।

सभापति महोदय, मैंने माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्य मंत्री को आकर यह बात बताई कि मैं चुनाव प्रचार में था और मेरे साथ इस प्रकार से वहां व्यवहार किया गया। एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि आपका जो पेयजल आपूर्ति का प्रौजेक्ट है, वह हाथी के दांत की तरह है। पूरे देश में कहीं एक भी पेयजल आपूर्ति योजना कारगर नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पीने के पानी के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाएं। हमारे जो टैंक्स और तालाब हैं, उनका जीर्णोद्धार करिए। आज जो अतिक्रमण हो रहा है, वहां पक्के मकान बन रहे हैं, उसे उससे मुक्त कराएं। आप जो एमपी फंड देते हैं, यह मामला उससे जुड़ा हुआ है। हम जब असेम्बली में मेम्बर थे तो एक करोड़ साल में बिहार में मिलता था। यहां दो करोड़ मिलते हैं, इतने रुपए में हारने के लिए 33 परसैंट दुश्मन खोजने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, फंड ही दुश्मन है। पीने का पानी जहां रिग मशीन से आए, केवल पीने के पानी के लिए एमपीज़ को भारत सरकार स्पेशल एलोकेशन करे और स्पेशल अनुशंसा पर वह रुपया एमपी को नहीं मिले। वह पहाड़ी इलाका है, मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं दोबारा उस इलाके में जाऊंगा और पीने के पानी का इंतजाम नहीं करूंगा तो एक एमपी का हश्र क्या होगा, इसकी आप कल्पना करिए। जहां कमांडर लोग बैठे हुए हैं, मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, यह घटना मेरे सामने घटी है। मेरे साथ किस तरह से उन लोगों ने व्यवहार किया। उन्होंने मुझ से एक ही बात कही कि जब आप एमपी बन जाएं तो पीने के पानी का इंतजाम करके आना। अगर पीने के पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो आप नक्सलवाद और दूसरी चीजों को नहीं रोक सकते। सृष्टि को नहीं बचा सकते।

सभापित महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि एमपीज़ को, उनके इलाके में पीने के पानी के लिए स्पेशल फंड मुहैया कराएं ताकि लोग पानी पीकर आगे अपनी तरक्की और उन्नित की भविष्य में कल्पना कर सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सतपाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, पेयजल के संकट को देखते हुए पूरे देश में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

सभापित महोदय, पेयजल संकट सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में विश्व में पेयजल के लिए युद्ध होंगे। आज हमारे देश में भी यही हालत है - सूखा, बाढ़ और कहीं न कहीं पूरे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में, जिस राजधानी दिल्ली में हम रहते हैं, हर जगह पेयजल का संकट बना हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उत्तराखंड के अंदर, गंगा, यमुना उसी क्षेत्र से निकलती है, जहां से निदयां निकलती हैं और वहां के लोग और खेत प्यासे हैं।

सभापित महोदय, इस संदर्भ में एक नयी राष्ट्रीय नीति के दृष्टिकोण की जरूरत है। पेयजल का जो सवाल है, हम हर साल देख रहे हैं, इसके लिए राष्ट्रीय प्रबंध की जरूरत है। हम ग्राउंड वाटर का पानी निकाल रहे हैं, धीरे-धीरे जमीन के पानी का स्तर, जैसे हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हर बार सौ-सौ मीटर पाइप नीचे जा रहा है। मैं हिमालय क्षेत्र से आया हूं, गंगा और यमुना का मूल स्रोत वही है। हर साल 10-15 मीटर हमारा ग्लेशियर पीछे सरक रहा है।

सभापित महोदय, पूरे हिमालय क्षेत्र के अन्दर, जम्मू-कश्मीर से देखें, तो पूरी हिमालयन बैल्ट में दिन प्रति दिन ग्लेशियर्स खिसक रहे हैं। लोगों के पीने के पानी का सवाल हो या कृषि हेतु पानी का सवाल हो, हिमालय इस देश के पेय जल का सबसे बड़ा स्रोत है। हिमालय से निकलने वाली सभी निदयों के लिए, फिर वे चाहे हमारे देश की हों या नेपाल की हों, उनके लिए एक दीर्घगामी स्कीम जब तक नहीं बनाई जाएगी, तब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो

महोदय, वनों का पूरे हिमालय क्षेत्र में धीरे-धीर हिमालय क्षेत्र में सिर्फ मोनोकल्चर है। वहां चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों और मिक्स पेड़ों को लगाने की जरूरत है। इसलिए हमें दो-तीन सवाल देखने होंगे। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए हमें जल प्रबन्धन करना होगा। वाटर कंजर्वेशन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक छोटी सी नदी कोसी है। वहां के वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया, तो पता चला कि हर साल बरसात का जो पानी जमीन में जाता है वह प्रति वर्ष घटता जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति का स्रोत कुमाऊं को माना जाता है। वहां के वैज्ञानिकों ने पिछले दो-तीन सालों में अध्ययन किया, तो पता चला कि हर वर्ष पानी बरसता है, वह कम से

कम 33 प्रतिशत जमीन के अंदर जाना चाहिए था, जो जमीन के अंदर जाकर रीचार्ज होकर पेयजल का स्रोत बनता है। आज उसकी मात्रा केवल 13 प्रतिशत रह गई है और कहीं-कहीं तो केवलमात्र 5 परसेंट ही पानी जमीन के अंदर जाता है। उस कोसी नदी पर उस क्षेत्र के संपूर्ण इलाके में रहने वाले लोग निर्भर हैं। अलमोड़ा शहर उस पर निर्भर करता है। उसी पर बगल में बसा रानीखेत निर्भर करता है। पिथौरागढ़ में जो सरयू नदी है, वह शहर उसके पानी पर निर्भर करता है। नदियों में जो पानी आ रहा है, उसकी हर साल मात्रा कम होती जा रही है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि हम बरसात के पानी को कैसे जमीन के अंदर ले जाएं। जितना ज्यादा पानी जमीन के अंदर जाएगा, उतना ही पानी हमें रीचार्ज होकर नदियों में मिलेगा।

महोदय, मैं प्रश्नोत्तर काल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर सुन रहा था, जिसमें बताया गया कि देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए देश की विभिन्न निदयों को आपस में जोड़ा जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जब निदयों में पानी ही नहीं होगा, तो निदयों को आपस में जोड़ने का क्या लाभ होगा। जब निदयों में पानी होगा, तभी तो उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। अब सवाल है कि निदयों में पानी कहां है? प्राकृतिक धारा को आप रोकना चाहते हैं, यह कैसे सम्भव होगा। इसिलए मूल प्रश्न यह है कि जो बरसात का पानी है, उसे सागर में जाने से कैसे रोका जाए। जो हमारा पानी का प्रबंध-तंत्र है, वह इस बात को देखे कि जो पानी देश में बरसता है, वह जमीन के अंदर कैसे भेजा जाए।

महोदय, पानी की व्यवस्था करने के लिए वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट है, पेयजल का विभाग है और सिंचाई का विभाग है। पीने के पानी और सिंचाई के लिए लाखों और करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं, लेकिन इन सब विभागों के पास पानी के कंजर्वेशन की कोई योजना नहीं है। फॉरेस्ट विभाग पानी के कंजर्वेशन के लिए काम करेगा और पानी के उपयोग के लिए पेयजल और सिंचाई विभाग काम करेंगे। जब तक इन तीनों विभागों में कोआर्डीनेशन नहीं होगा, तब तक पानी का ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

महोदय, बड़े-बड़े शहरों में पेयजल की समस्या है। मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित रेणुका झील पर डैम बनाकर पानी दिल्ली पहुंचाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बांध बनेगा, तो हजारों लोगों को वहां से इधर-उधर हटाया जाएगा और वे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, तब एक शहर की प्यास बुझेगी। यह कौन सा तंत्र है, जहां हजारों-लाखों लोगों को उजाड़कर, जो प्रभावशाली शहर है, जहां प्रभावशाली लोग बसते हैं, उनकी पेयजल की समस्या को दूर किया जाए?

महोदय, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। टिहरी में बहुत बडा डैम बना। हमने जिस शहर में अपना प्रारम्भिक जीवन जिया, आज वह शहर टिहरी डैम में डूब रहा है। हमें आज भी यह विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा शहर डैम में डूब रहा है। वह शहर डैम में डूब रहा है और दिल्ली की प्यास बुझा रहा है, लेकिन वहां के लोग आज भी प्यासे हैं। टिहरी की बहुत बड़ी परियोजना को सब लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग उस परियोजना के कारण उजड़े हैं, उन उजड़े हुए लोगों की दास्तान को देखने वाला हमारे यहां कोई नहीं है। वहां से जो लोग उजड़े उनमें से कुछ ऋषिकेश और कुछ हरिद्वार में बस गए, लेकिन आज भी उनके संकट को कोई देखने वाला नहीं है।

महोदय, इस शहर में बड़े-बड़े बिल्डर, लाखों और करोड़ों की लागत से बड़े-बड़े भवन बना रहे हैं। सरकारें अपने-अपने भवन निर्माण कर रही हैं। सब लोग कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। मेरी सब्मीशन है कि दिल्ली या अन्य शहरों में बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अनिवार्य नियम बना देना चाहिए। इस देश में चाहे सरकारी भवन हों, चाहे प्राइवेट भवन हों या कोई भी भवन हों, चाहे राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के भवन हों, जिनके लिए आप म्युनिसिपेलिटी के कानून बनाते हैं, उनके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नियम अनिवार्य कर दिया जाए।

आज राज्य की सरकार पेयजल के लिए लाखों-करोड़ रुपया हर साल देती है। लेकिन वहां पर यही होगा कि पेयजल के जो नल लगेंगे, उनमें हर साल करोड़ों रुपये का इन्वैस्टमेंट होगा, जिसमें नौकरशाहों का, इंजीनियर्स का, ठेकेदारों का और हम जैसे राजनेताओं का हो सकता है कि घर भर जाये, लेकिन लोगों की हालत नहीं सुधरने वाली है। हम लोग यहां भी अभी मांग कर रहे हैं कि जमीन के पानी को निकालने के लिए हैण्डसैट लगाये जायें। इसमें भी निकालने चाहिए कि जमीन से नीचे के पानी को, ग्राउंड वाटर को कितने नीचे तक निकालने की परमीशन दी जाये।

आज इस देश के अन्दर पीने के पानी में तीन तरह के लोग हैं। एक-मिनरल वाटर नीर से लेकर हिमालयन वाटर की बोतल पीने वाले लोग हैं। इनका परसेंटेज मेरे ख्याल से पांच या दस होगा। उसके अलावा दूसरे जो टैप वाटर से पानी पीते हैं और तीसरे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जानवर जिस पानी को पीते हैं, लोग भी उसी पानी को पीते हैं। आज सबसे बड़ा संकट यह है कि जो इस देश के करोड़ों लोग हैं, जो इस देश के आम आदमी हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके पेयजल के संकट को दूर करने के लिए जब तक एक लाँग टर्म योजना नहीं बनाई जायेगी, तब तक मैं नहीं समझता कि इस पेयजल के संकट का कोई स्थाई समाधान हो पाएगा। उसके लिए स्थाई समाधान यही है कि बरसात का जो पानी हर साल आ रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साल भर में बरसात का जो पानी आता है, उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ। पिछले 50 सालों से जो साल भर पानी गिरता है, उस पानी में कोई अन्तर नहीं आया, लेकिन ऋतु चक्र

बदल गया है। आज उसी पानी के संरक्षण की जरूरत है। आज गांवों के अन्दर और फोरैस्ट में चौड़ी पत्ती के वृक्षों को लगाने की जरूरत है, छोटे-छोटे ट्रेंच बनाने की जरूरत है, पानी के कंजर्वेशन की जरूरत है। हमारे देश में परम्परागत ज्ञान भी था, हमारे पास ट्रेडीशनल ज्ञान था, नोलिज थी, कहीं छोटे-छोटे गांवों के अन्दर पानी के तालाब थे, आज नरेगा की स्कीम के माध्यम से उन सब के रिवाइवल की जरूरत है, उन सब के संरक्षण की जरूरत है। हमारे पास जो परम्परागत ज्ञान था, उस ज्ञान को और जो आधुनिक विज्ञान है, दोनों के बीच में समन्वय की जरूरत है। बरसात के पानी के लिए, रेन वाटर के लिए चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, प्राइवेट क्षेत्र में, चाहे शहरी क्षेत्र में अर्बनाइजेशन में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, इसके लिए रूल्स और रैगुलेशंस बनने चाहिए कि तब तक नक्शा पास न किया जाये, जब तक हर मकान, हर बिल्डिंग में वे अपनी रेनवाटर हारवेस्टिंग की स्कीम न बनायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Resolution that has been moved by Shri Satpal Maharaj refers to three basic components, as far as I understand. First, he recognizes a serious crisis of availability of drinking water in various parts of the country. Second, the Centrally sponsored drinking water schemes like *Swajaldhara* and Accelerated Rural Water Supply Programmes are not being implemented and monitored properly. And the third is the suggestion that he wants to make, that this House urges upon the Government to formulate and implement a time bound comprehensive action plan at the national level to overcome the problem of drinking water. These are the three basic points which he has dealt upon and I will try to minimize my speech only to these three points.

As we are aware, historically, drinking water supply in rural areas in India has been outside the Government's purview or Government's sphere of influence. We had community managed open wells, private wells, ponds and small-scale irrigation reservoirs which have often been the main traditional source of rural drinking water. The first attempt -- the Government installed rural water supply schemes were implemented – was made in 1950s as a part of the Government policy to provide basic drinking water supply facilities to the rural population. Since then the involvement of the Government has increased with corresponding decrease in the role of communities in the rural water supply sector.

The Government of India's role in rural drinking water supply sector started in 1972-73 with the launch of the Accelerated Rural Water Supply Programme to assist different States in providing potable water to the rural population. This was the first stage and it happened from 1972 to 1986. The second generation programme started with the launching of Technology Mission. That was during Rajiv Gandhi's tenure in 1986 and later on during P.V. Narasimha Rao's tenure. It was called the National Drinking Water Mission. That was in 1991-92. These programmes from 1986 to 1996 made very little progress. The third generation programme - which started in 1999 through sector reform projects - involved the community in planning, implementation and management.

It was later on called Swajaldhara in 2002. There was a change in policy there, change in the planning structure, change in the implementing sector, change in the sustainability of the programme.

I do not know which Minister is going to reply to this but we would have been happy if the Minister of Rural Development as well as the Minister of Urban Development would have been involved and would have participated in this discussion.

Already a huge investment of about Rs.72,600 crore has been made in rural water supply sector both by the Centre and the States since the beginning of the era of planned development in '50s up to 2009. A survey reveals that at any point of time there is a considerable gap between the assets that have been created and services that are available in rural population.

The major issue in the rural water system sector is the lack of sustainability of drinking water sources and systems. I will delve into that a little later. But the major question that confronts us today is, has the Government learnt from the past experience? Five to six years back, I had the privilege of visiting different sites. Satpal Maharajji hails from Haridwar and another learned Member also mentioned about Rishikesh. As members of the Public Accounts Committee we travelled from Rishikesh to Patna, sometimes by road and sometimes by train. We witnessed how Ganga was being systematically being killed. Killed by whom? By the people who reside on both banks of river Ganga. The two canals that come out to irrigate the fields keep the Ganga dry. Be it in Aligarh, be it in Kanpur, it is stinking. The money that was invested to treat the sewerage of different cities and towns on both sides of Ganga is not visible. It is the State Government's responsibility and that is how the Centre provides the money. Nothing much has happened.

It is only when we reached Allahabad, when river Yamuna touches river Ganga, that we find some water. People of Uttar Pradesh are well aware of this.

The river Ganga does not exist from Aligarh to Allahabad. It is just a sewerage stream. That is all. This is just an instance.

In every State, where a major city comes up or where township is growing or urban areas are growing, river becomes the sewerage line. In our Indian tradition, we pay respect to the river and we worship the river. Where is that tradition today? Where is that tradition today to protect the river water from contamination? Perhaps we have forgotten that tradition, that humility, that water is the panacea of human race. The health or any river is vital to the well-being of the country. Many well-funded river conservation programmes have been set up. So also, for the national rivers as it is declared, some money has been provided. In that, Mahanadhi also is included. But adequate fund needs to be provided. But money for only the first phase has gone; utilization has come for the last three years, but the rest of the money is yet to be provided there.

According to a report, compiled by 24 UN agencies, the world's population has grown to over six billion. Some countries have reached the limits of their resources. The report has estimated that due to climate change, half of world's population will be living in areas of high water stress by 2030, especially in Africa. Water scarcity in some arid and semi-arid places will displace between 24 million and 700 million people. This is very alarming.

There is a strong link between poverty and water resources – with the number of people living in less than 1.25 dollars a day approximately coinciding with the number of those without access to safe drinking water. This situation has a major impact on health, as almost 80 per cent of diseases in developing countries are associated with water, causing some three million early deaths. It is said that some 5000 children die everyday from diarrhoea and 10 per cent of all illnesses worldwide could be avoided by improving water supply, sanitation, hygiene and management of water resources.

It is now realized that the world is running out of fresh water; with every passing day, our demand for fresh water exceeds its availability. The social,

political and economic impacts of water scarcity are rapidly becoming a destabilizing force. Unless we dramatically change our ways between one-half and two-third humanity will be living with severe fresh water shortage within the next 25 years.

Some of us believe that there is an infinite supply of fresh water on the planet. Many of us use water as if it will never run out. But this is not true. The available fresh water is less than one-half of one per cent of all the water that is on this Earth. In our country, the rain water storage is traditionally practised since ancient times; in our rural households, once in our backyard or in the front, it is a common site. The Government of India is propagating rain water harvesting, through different programmes of rural water supply. But are we aware that the ponds in home stead lands are shrinking day by day because of the pressure of population?

I have some suggestions to make, if the Minister can listen to them.

MR. CHAIRMAN: Please make them fast.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I will make them very briefly.

As I had said, the major problem today is not creating the assets, but we have to sustain those assets so that they can provide service to the people. The major issue in the rural water sector is the lack of sustainability of drinking water sources and systems.

As a consequence, availability of drinking water both in terms of adequacy and quality on a sustainable basis has become a major challenge today. Does the Government have any programme other than delegating the responsibility to the State Government and to the Gram Panchayat, that is the ultimate elected body which we have in the villages? But, how do you repair? After this RWSS putting up different pipe water schemes in different villages now, which happened during Shri Ranghuvansh Prasad's tenure, when a major break down occurs who is going to repair it? We do not have a system and there is no expertise available neither in the villages nor in the block Panchayat headquarters. So, I would suggest that you

need to have in place at district level a water security plan which should be hundred per cent grant-in-aid under sustainability programme in a revised guideline. You need to revise the guideline. This can be managed by the District Planning Board. What is happening today is, once the assets are created and handed over to the Gram Panchayats, the RWSS shifts its responsibility, takes its hands off. In this way, the programme will not sustain. The Government of India should develop the institutional mechanism through a regular grant-in-aid which would sustain the programme. But the question remains that we should learn from the experience.

With these words, I would say that this is high time that all of us, the sensible citizens of this country should protect water, use less water and also conserve water. Also, the assets that have been created should be sustained for our future generations.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, at the outset, I must appreciate the hon. Member, Shri Satpal Maharaj as he has taken the great initiative to bring forward this Resolution in this House. More often than not, here in this House we are discussing drought, flood or drinking water crisis on one pretext or the other.

Sir, first of all, we should appreciate that water is an elixir of all life. We should treat water as an asset. We should not treat water as a disposable article. Since the days of our civilization, human beings have been facing two kinds of problems; flood and drinking water. About 6000 years ago the human beings first discovered the hydro-technical installation to deal with the flood situation and also to procure drinking water for their survival. If we go through the history we will find that the oldest known cisterns were discovered in Palestine and Greece. The earliest dams to retain water were created in Java, Jordan about 3000 BC, Wadi Garawi in Egypt in 2600 BC. All the civilizations spanning from Niles to Tigris-Euphrates, Huang to Harappa Mohenjodaro flourished on the bank of rivers. But the fact is that in today's world we are gradually becoming vulnerable in the context of the availability of drinking water.

17.00 hrs.

It is often said that the last two world wars were fought on land but the third world war will be fought on water. We do not believe in the water war. We believe in water with peace. We require energy security for our country. We require internal security and national security for our country. In the same tune, we should also conceive water security for the present and for the coming generations because if we do not do any effective and fruitful measures today then our future generations will not pardon us.

As it is, it appears that we are sitting on the vast resources of water because three/fourth of our planet consists of water. But the grim reality is that 97.5 per cent of the water of this planet contains salty water and out of the remaining 2.5

per cent, 70 per cent is frozen in Antarctic and almost all of the remaining water is in the form of soil humidity and barely one per cent of fresh water is accessible to us.

India is a country which consists of 2.4 per cent of the global land, 16 per cent of the population and only four per cent of water resources.

17.02 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair)

I would draw the attention of this House that in the year 1947 when we attained acquired our freedom, the *per capita* water availability was 6000 cubic metres. In the year 1997, the availability of water got decreased to 2300 cubic metres. The experts say that when the *per capita* water availability goes below 1700 cubic metres, it will be called water stress and when it will go below 1000 cubic metre, it will be termed as water scarcity. At the present juncture, 200 million population of our country is simply living in the water scarcity zone. This is the grim reality of our country.

I do not know whether this Ministry will singularly be able to deal with the water availability situation in our country because this is very much related to water resources also. So, my suggestion is that this Ministry in conjunction with the Planning Commission should formulate a long term action plan in order to ensure the water availability of our country because being a citizen of this country, everybody has the fundamental right to have fresh drinking water.

There are two components to ground water. One is static and the other is dynamic. The static region is an aquifer zone which does not need any replenishment. Water Resources available in this zone are of the order of 10812 billion cubic metres. The dynamic zone requires replenishment and the resources available in this zone are just 432 billion cubic metres. It is paradoxical to note that on one hand, in our country in the northern extreme there is a place called Cherrapunji which receives 14000 cm of rainfall and on the other hand, on another extreme we have a place called Jaisalmer which receives a rainfall of just 100 mm. Now, Cherrapujni is witnessing drought and Jaisalmer is witnessing flood. Such is

the situation. But the fact remains that people of Jaisalmer were never forced to evacuate because of scarcity of water in that place. It is because they still follow the traditional way of conservation of rain water. Therefore, we have to ponder over how to sustain our water resources. We need more water because we are growing economy.

Sir, I would like to refer to three things here. First of all, we will have to educate ourselves on how to make use of water most prudently. It is because 67 per cent of irrigation water that is drawn from underground sources is wasted. Then, 20 per cent of total water is used for industrial purposes is also being wasted. What we need is more yield and less waste. We need to ensure that. We need to have water economy, irrigation economy because we never attach any worth to water either in agriculture or in industry and treat it just as a disposable article. Here I would like to refer to one quote from the famous book 'Arthasashtra' by Chanakya. He said:

"He should build the irrigation system with natural water sources, or with water to be brought in from elsewhere to others who are building these he should render it with lands roads trees and implements and also give it to the building of holy places and parks. If one does not participate in the joint building of an irrigation work his labourers and bullocks should be made to do his share of work and he should share the expenses but will not receive any benefits from it. The ownership of the fish, ducks and green vegetable in the irrigation works should go to the king."

Therefore, I would simply request the hon. Minister to initiate million well recharge programme under NREGA. We can easily put it into action. Water is an elixir of life. We should conserve water for our future generations.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Sir, I thank you for giving me this opportunity for participating in this discussion.

Day before yesterday, this august House discussed elaborately about drought and flood situation prevailing in the country. Today, we are discussing about drinking water problem. We are frequently using the proverb that prevention is better than cure. But we have not taken any precautionary measures to tackle the drinking water problem so far. Sometimes, heavy rain causes flood and havoc, and failure of rain causes drought. Indian agriculture itself is a gamble of monsoon. So, the Government of India has to come forward with a concrete solution to tackle the situation throughout the year. My revered leader, former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, during her regime, successfully implemented rain water harvest scheme with the active participation of people. Because of its implementation, the ground water level in all the areas of Tamil Nadu has risen to about ten to twenty feet. For consecutive three years, we managed the water problem in Tamil Nadu without any difficulty. Why not this scheme be adopted strictly and implemented throughout the country? It will solve the drinking water problem at least to some extent.

I am sorry to say that we lack sufficient knowledge on water management technique. If we adopt the water management technique wisely, we can overcome the problem successfully. As far as Tamil Nadu is concerned, we suffer more on account of drought because of the neighbouring States are not cooperative and unhelpful. We are being crushed in three corners, namely, non-release of water as per agreement by one State, objection to raise water level in the existing dam by another State, and unauthorised constructions across the inter-State river by yet another State. This is the situation now we are facing. I am sorry to say that the Central Government is a silent spectator to the problems of inter-State river water dispute. Even the Government of Tamil Nadu being a partner in the UPA Government does not want to raise this issue.

Taking this opportunity, I urge the Government to settle the Mullai Periyar issue, solve the Palar issue and finalise the Cauvery issue. These problems impede our progress. I hope that the aspirations of the people of Tamil Nadu will be met by the Central Government.

Another point is, since the industrial effluent sewage water is let out in the rivers, most of the rivers get polluted. In future, if this happens, we cannot get protected water even from the bore wells due to contamination. So, this issue has to be carefully dealt with.

It is the bounden duty of the Government, both the Central and the State Governments, to provide protected water to the citizens.

So, at least hereafter both the Central Government and the State Government should come forward to tackle the water problem, as requested by other colleagues also while mentioning the problems prevailing in their States. I hope the Central Government will take necessary steps to solve the water problem in our country.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): महोदय, आपने मुझे माननीय सतपाल महाराज द्वारा देश में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जल ही जीवन है और जल पर ही प्रकृति, मानव और कृषि निर्भर है। जल से ही पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं और पेड़ पौधों की वजह से ही मानसून आता है। मानसून से वर्षा होती है और उसी वर्षा से प्रकृति हरी भरी होती है। पहले पेयजल की उपलब्धता के तीन तरह के स्रोत होते थे पहला-कुएं, दूसरा-तालाब, तीसरा-नदियां। ग्रामीण अंचलों में पहले लोग कुएं खोद कर अपनी प्यास बुझाते थे और पानी की समस्या हल करते थे। आज स्थिति यह है कि ज्यों-ज्यों हम विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, त्यों-त्यों समस्याएं हमें घेरती जा रही हैं। गांव में कुओं का पानी संस्क्षा और सुरक्षा के अभाव में पीने लायक नहीं रह गया है। उनका रखरखाव नहीं रखा जा सका, कीटनाशक दवाएं कुओं में नहीं डाली गईं और धीरे-धीरे उनका पानी पीने लायक नहीं रह गया। हमारी दूसरी व्यवस्था तालाब थी, जिसमें हम वर्षा के जल का संरक्षण करके पानी को सुरक्षित रख कर पीने के लिए उपयोग में लाते थे और कृषि के लिए भी उपयोग करते थे, अन्य समस्याओं का उससे समाधान करते थे, वे तालाब भी सिमटते गए। गांव के गलियारों में कस्बों में जहां तालाब खोदे जाते थे, वहां तालाब पाटने का काम शुरू हुआ। अब नरेगा के माध्यम से तालाब बनाने का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन यह कहने में संकोच नहीं है कि वह केवल कागजों में है, जमीनीं तौर पर कृछ काम नहीं हुआ है।

हमारे जीवन का मूल स्रोत निदयां हुआ करती थीं, उनका मीठा जल, जिसे हम अमृत कहा करते थे, गंगा, यमुना जैसी तमाम निदयां, जो हमारे देश में प्रवाहित होती थीं, पहले वे पवित्र जल से भरी रहती थीं। लोग उनमें नहाते थे, पूजा करते थे और उस पानी से सिंचाई भी करते थे। आज कहने में संकोच नहीं है कि उन निदयों की व्यवस्था इतनी विकृत हो गई है, उनका पानी इतना गंदा हो गया है कि उसे पीना तो दूर, नहाना तो दूर, उस पानी को स्पर्श करने में भी किठनाई होती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जल जो हमारे जीवन का प्रमुख स्रोत है, वही जल आज किस तरह से वर्षा के रूप में बहकर नष्ट होता जा रहा है। उसके लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे, डैम नहीं बनाएंगे, तालाब नहीं बनाएंगे, तो आने वाले दिनों में हम जल की ऐसी समस्या से ग्रिसत होंगे, जिसका कोई निदान नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी ऐसे गांव हैं, परिवार हैं, जो पीने का पानी लेने के लिए मीलों दूर जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या जल की है। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र भदोही में जाता हूं, ग्रामीण अंचलों में जाता हूं, जो पूर्वांचल का एरिया है, वहां कोई सड़क मांगने नहीं आता है, कोई स्कूल कालेज मांगने नहीं आता है, कोई अन्य समस्या लेकर भी नहीं आता है, अगर सौ लोग मिलने के लिए आते हैं तो नब्बे लोग ऐसे होते हैं, जो हैंड

पम्प मांगते हैं, जो पेयजल की समस्या से प्रभावित होते हैं। आज यह स्थिति गांव में है और आने वाले दिनों में यह स्थिति और भी भयंकर होने वाली है। हमारी आबादी बढ़ रही है। हमारी जनसंख्या जयामिति विधि से बढ़ रही है और व्यवस्था को हम गणितीय विधि से बढ़ा रहे हैं। हमारी व्यवस्था एक, दो, तीन, चार की गिनती से चल रही है और हमारी आबादी दो दूनी चार, चार दूनी आठ की वृद्धि से बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पेयजल की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया तो अगर अगला कोई विश्व युद्ध हुआ, तो वह पेयजल के कारण होगा। आज हर व्यक्ति आने वाले भविष्य को देखकर परेशान है। कृषि के लिए किसान परेशान हैं, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के लिए गांव का व्यक्ति परेशान है, क्योंकि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आज की स्थिति में जहां सारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं होते हुए भी हम कहते हैं कि हम ऐसे देश के निवासी हैं, जो धनी है।

लेकिन वहां निर्धन निवास करते हैं। हम धनी देश के लोग हैं, हमारे पास प्राकृतिक सम्पदाएं हैं, हमारे पास सारी सम्पत्तियां हैं, प्रकृति ने हमें दिल खोलकर दिया है लेकिन उसका सही दोहन, उसका उपयोग, उसकी व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जहां हम सारी सम्पत्तियों से परिपूर्ण हैं लेकिन अगर हम उसका उचित दोहन, उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमें घोर संकट का सामना करना पड़ेगा।

जब बरसात आती है, गांवों में हम लोग देखते हैं कि वह पानी स्वयं तो बहकर निदयों में चला जाता है लेकिन कटाव भी उत्पन्न करता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, उसे भी अपने साथ बहाकर ले जाता है। हमारी उर्वरक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। हमारी कृषि भी उससे प्रभावित हो रही है। पानी तो समाप्त हो रहा है, कृषि भूमि भी समाप्त हो रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बरसात के पानी को संचित करने के लिए तालाब बनाए जाएं, डैम बनाए जाएं। उससे पेयजल और खेती की समस्या का समाधान होगा।

हमारे देश में 83 प्रतिशत जल खेती और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। वर्षा का पानी बचाना होगा। देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए तरसते हैं। हमारे क्षेत्र में भूगर्भ जमीन का पानी नीचे जा रहा है और वहां विषाक्त जल मिल रहा है। उसमें ऐसे तत्व मिल रहे हैं जिससे उस जल को पीने वाला व्यक्ति रोग से ग्रसित हो रहा है। गांवों ओर मोहल्लों से तालाब गायब हो रहे हैं। गांवों में बीमारियां केवल प्रदूषित जल को पीने की वजह से हो रही हैं। डायरिया, हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां केवल प्रदूषित जल को पीने की वजह से हो रही हैं। एक व्यक्ति को 3 लीटर पेयजल की जरूरत है और पशु को 50 लीटर पेयजल की जरूरत है लेकिन बोतल बंद पानी से किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि बोतल का जल अमीर पी सकता है। लेकिन गांवों का गरीब

जो झुग्गी में रहता है और जो पानी के लिए मीलों दूर जाता है, उसे बोतल का पानी नसीब नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि देश को बचाना है और खेती को बचाना है, हिरयाली को बचाना है, सम्पन्नता को लाना है, गरीबी को समाप्त करना है तो वर्षा के पानी को संचित करना होगा, तालाब और डैम बनवाने होंगे और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this Resolution is over. There are still ten Members yet to speak. If the House agrees, we can extend the time of the House by one more hour to discuss this Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): We will be sitting in the House up to six o' clock. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes, I am also telling the same thing. Then, if at all, the discussion on this Resolution is not completed today, we can take it up the next time. Today, of course, we will be sitting up to six o' clock.

... (*Interruptions*)

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Sir, what about 'Zero Hour'?

MR. CHAIRMAN: It will be taken up at six o' clock.

... (Interruptions)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरट): सभापति जी, मैं सतपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई है। अभी मेरे पास में बैठे हुए मित्र कह रहे थे कि आप तो मेरठ के रहने वाले हैं, वहां तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। समस्या राजस्थान में है या देश के अन्य हिस्सों में है। मैं यही से यदि अपनी बात शुरु करुं तो गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है, वह मेरठ कहलाता है। वहां भी पेयजल की समस्या बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है। अभी हमारे माननीय सदस्य जी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत बार नलों की मांग होती है। मेरे अपने क्षेत्र की स्थिति यह है कि पानी का स्तर इतना अधिक नीचे चला जा रहा है कि इंडिया मार्क 2 के पम्प उस पानी को खींचने की सामर्थ्य नहीं रखते। निरंतर उनको दुबारा बोरिंग किया जाए, ऐसी मांग होती रहती है। यह समस्या वैसे भी मुझे लगती है कि टुकड़ों के अंदर इसका हल नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि पानी प्रदूषित हो गया है। पानी के अंदर कारखानों का विषैला जल नदियों में छोड़ दिया जाता है जिससे वह प्रदूषित हो जाता है तो क्या हम उद्योग का विरोध करने वाले हैं? हम खेतों में पेस्टीसाइडस का इस्तेमाल करते हैं। वर्षा का पानी इसे बहाकर ले जाता है, जल को प्रदूषित करता है। क्या हम पेस्टीसाइड्स का प्रयोग बंद करने वाले हैं? मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि जब तक समस्या के बारे में समग्रता से नहीं सोचा जाएगा तब तक उसका हल नहीं हो सकता। हमने पुरानी परंपराओं को भुलाया है और हमें उसका फल संभवतः मिला है। हमने जब से गंगा को मां न मानकर नदी मानना शुरू किया तब से हमने गंगा की शुद्धता 🚈 ध्यान रखना बंद कर दिया। मुझे अपने बचपन का रमरण है कि कुआं पूजन के लिए गांव की महिलाएं जाती थी। इसका आशय यही था कि पानी का स्रोत पवित्र रहे और सम्पूर्ण जनता में सम्मान का भाव रहे। इस भाव के समाप्त होने के परिणामस्वरूप भी पानी की समस्या पैदा हुई है। मैं समझता हूं कि पिछले डेढ़-दो घंटे में माननीय सदस्यों ने इस पहलू को रखा है।

महोदय, मैं केवल एक विषय के बारे में चर्चा करके अपने विषय को पूर्ण करूंगा कि आज पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत अंडरग्राउंड वाटर है। निदयों का पानी इस योग्य नहीं रह गया है कि उसे पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मुझे इस बात की चिंता है कि अंडरग्राउंड वाटर को प्रदूषित किए जाने के प्रयास कारखाने या अन्य लोगों के द्वारा हो रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देता हूं, मेरठ जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में कमेले हैं। कमेलों में अनेक प्रकार का वेस्ट होता है जिसमें खून भी होता है। अंडरग्राउंड वाटर की शुद्ध जल से रिचार्जिंग नहीं हो रही है लेकिन उस खून के वेस्ट को सीधे बोर करके जल को प्रदूषित करने का काम निरंतर हो रहा है। मेरे क्षेत्र में तीन ब्लॉक्स हैं, खरखौदा ब्लाक है, रजपुरा ब्लाक है, वहां के जल के नमूनों में खून के हिस्से पाए गए हैं। इस प्रकार से अनेक कारखाने ऐसे

हैं जो पानी को नाली के द्वारा बहाते नहीं हैं बल्कि 200-300 फीट बोर करके सारे पानी को डाल देते हैं जिससे पेयजल प्रदूषित होता जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकार के प्रदूषण को कड़े कानून द्वारा प्रतिबंधित करें। यह बात हाथ से निकलती जा रही है, अगर हाथ से बात निकलने के बाद कुछ किया जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। इसे रोकने के लिए कड़े कानून बनाएं ताकि जो भी लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए कठोर कार्यवाही की जाए। इस प्रकार जल को प्रदूषित करने का प्रयास कहीं नहीं हो सकेगा। सदन में तालाब के बारे में बातें कही गई है, अन्य चीजों के बारे में बातें कही गई हैं। मैं अपने आप को इनके साथ सम्बद्ध करता हूं। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि भूमि के नीचे के जल को प्रदूषित होने से रोका जाए अन्यथा बात हमारे हाथ से निकल सकती है।

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): माननीय सभापति महोदय, मुझे सतपाल महाराज द्वारा उठाए गए मुदे पानी की उपलब्धता और सुविधा के विषय पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इसी बात से शुरूआत करता हूं कि पहले गांव में कुआं होता था और आज भी कहीं-कहीं गांवों में कुएं का इस्तेमाल होता है। पिछड़े इलाके, जहां खास तौर से अनुसूचित जाित और जनजाित के लोग बसे हैं, वहां कुएं का इस्तेमाल होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन इलाकों में जहां खास तौर से कुओं का इस्तेमाल होता है वहां के लिए आज भी स्पेशल व्यवस्था करनी चािहए। लेकिन आज कुओं में क्या हो रहा है? इनसे तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। इनमें मरे हुए जानवर गिर जाते हैं लेकिन इसी पानी को बिना जाने समझे लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे तमाम बीमारियां फैलती जा रही हैं। मैं बहराइच से सांसद चुनकर आया हूं। जहां ज्यादा जंगली इलाके हैं, सूखे जंगल हैं जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी लोग वहां रह रहे हैं। वहां लोग कुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जानवर मर कर कुएं में गिर जाते हैं और लोग उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां फैलती हैं।

इसके साथ ही में जल संसाधन मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि उनके लिए नलकूपों और हैंउपम्पों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उन इलाकों के लिए एक एडीशनल और इम्पॉर्टेन्ट रेगुलेशन लाना चाहिए। अभी वहां सूखा पड़ा था, लेकिन अब उन इलाकों में बाढ़ आ गई। अभी हम लोग बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज तक पानी के लिए मर रहे थे। लेकिन अब वहां चारों तरफ पानी भर गया है। अभी स्मुखे से परेशान थे, लेकिन अब पानी के भरने से परेशान हैं। इसके कारण वहां तीन मौतें हो गई। हमारे बहराइच में 53-54 मकान गिर गए। बहराइच में एक कतरनिया का इलाका है, जहां से पानी प्रवेश करता है। जब नेपाल का फाटक खुल जाता है तो वहां सब तरफ पानी भर जाता है। यह पानी इधर से सिद्धार्थनगर की तरफ चलता है और सिद्धार्थनगर से बहराइच की तरफ आता है और अंत में वह पानी राप्ती, घाघरा और कोसी नदी में मिल जाता है। जिसके कारण वहां बहुत नुकसान हो रहा है। एक तरफ हम सूखे से परेशान थे, अब हम बाढ़ से परेशान हैं। नेपाल ने पानी छोड़ा और पूरा पानी हिंदुस्तान में आ गया। में समझता हूं कि इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार को नेपाल सरकार से बातचीत करनी चाहिए और इसका कोई न कोई विकल्प निकालना चाहिए। यदि इसका कोई विकल्प नहीं निकाला गया तो ये चीजें हमेशा होती रहेंगी। आज जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें हमें पानी इकट्डा करना चाहिए और वह

बिजली पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को मिलेगी। हमारे प्रदेश से लगे इलाके दिल्ली में ज्यादा बिजली मिलती है। यदि वहां बिजली पैदा होती तो उन इलाकों में कोई परेशानी नहीं होती।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो जंगलात का इलाका है, आज वहां भी बरसात कम होनी शुरू हो गई है। पहले क्या होता था, वहां जैसे ही बादल आते थे, बारिश हो जाती थी। लेकिन अब वे भी सूखते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि वहां पानी का स्तर बिल्कुल नीचे जा चुका है। यदि इसी तरह पानी का स्तर नीचे गिरता गया तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में यह बहुत बड़ी परेशानी के रूप में सामने आयेगा। अभी सदन में चर्चा हो रही थी कि पानी की कमी की वजह से अगला विश्व युद्ध होगा।

सभापित महोदय, मैं आपको पानी की उपयोगिता के बारे में बताना चाहता हूं। आज पानी की उपयोगिता बहुत अधिक है। It is very important for this country and also for every country. I worked in the Armed Forces and I have seen all the areas. मैं आपको फोर्स के बारे में बताता हूं, I do not want to go into details. लेकिन हमें वहां तीन लीटर पानी तीन-तीन दिनों तक इस्तेमाल करना पड़ता था। फोर्स में रहने के कारण मुझसे कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा है, जहां में नहीं गया हूं। चाहे सिक्किम की पहाड़ी हो, चाहे असम की पहाड़ी हो, चाहे उत्तरांचल की पहाड़ियां हों, में सभी पहाड़ियों पर घूमा हूं। मैंने फिजीकली इन इलाकों को देखा है। इन सब एरियाज में हर तरह की परेशानी है। खासकर उन इलाकों में, जहां एस.टी. के लोग रहते हैं। यह हो सकता है कि इस सदन के लोग किसी बॉर्डर पर न गये हो, लेकिन ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होगा कि जिस बॉर्डर पर मैंने जाकर काम न किया हो।

महोदय, इन्हीं बातों के साथ अंत में यह कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि देश में शुद्ध जल की उपलब्धता की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं सतपाल महाराज द्वारा प्रस्तुत प्राइवेट मैम्बर बिल का समर्थन करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापित महोदय, श्री सतपाल महाराज जी ने बड़ा ही सामयिक और प्रासंगिक विषय पीने के पानी की समस्या, जो उनके अपने इलाके और देश भर में उत्पन्न हो रही है, इस समस्या पर उन्होंने संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है। इससे सभी माननीय सदस्यों और सदन को फायदा हो रहा है, चूंकि अपनी-अपनी समस्या लोग यहां बता रहे हैं। वैसे देखें तो "क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच रचित अति अधम शरीरा"। सृष्टि की रचना में पांच चीजों में एक पानी है और उस रचना में चार हिस्से में तीन हिस्से पानी है और एक हिस्सा जमीन है। लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा। अब भविष्य में विश्व युद्ध होगा या नहीं, लेकिन मैं सदन में कभी-कभी देखता हूं कि यहां पानी के लिए युद्ध जरूर हो जायेगा। कावेरी का इश्यु आता है तो तिमलनाडु और कर्नाटक के माननीय सदस्य ख़ड़े हो जाते हैं। नर्मदा का इश्यु आता है तो उसमें भी दो राज्यों के माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं। इसलिए पानी की परिस्थिति बहुत किवन है, ऐसा मैं महसूस करता हूं।

देश के विभिन्न राज्यों के बीच में भारी मतभेद और झगड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ट्रिब्यूनल बने हैं। जब मैं सदन मे देखता हूं तो भयभीत हो जाता हूं कि पानी की समस्या के लिये विश्वयुद्ध होने वाला है। इसमें हम लोगों को एक काम करना है। लोगों की मान्यता है कि धरती के अंदर पानी का स्रोत खत्म होने वाला नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। लेकिन यह गलत है क्योंकि पानी घट रहा है। माननीय सदस्य श्री अग्रवाल जी कह रहे थे कि यह पानी दूषित होने की भी संभावना है पहाड़ से ठोस रूप में बर्फ वाला पानी ग्लेशियर्स का आता है, अंटार्कटिका में जमा हुआ है। एक बड़ा वाला पानी और दूसरा सरफेस वाला पानी जो ग्राउंड वाटर कहलाता है। समुद्र का 97 प्रतिशत पानी खारा होता है, वह पीने लायक नहीं है। इसीलिये इतना ही पानी है कि जो ईरिगेशन और उद्योग में जाता है तो पीने के लिये 2 फीसदी पानी बचता है।

सभापित महोदय, मैं देखता हूं कि प्रथम पंचवर्षिय योजना से लेकर आज तक पानी के लिये 62 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो नाममात्र का पैसा खर्च किया गया लेकिन जैसे जैसे योजना का आकार बढ़ता गया और विशेषज्ञों और जानकारों ने जन समस्याओं की तरफ गांवों की ओर ध्यान दिलाया तो पैसा ज्यादा खर्च किया जाने लगा। लेकिन उतरार्द्ध में पीने के पानी की समस्या पर जोर दिया गया है। अभी भी हिन्दुस्तान में तीन तरह के पानी की समस्या है - पानी की उपलब्धता, सस्टेनेब्लिटी ऑफ वाटर और क्वालिटी ऑफ वाटर। तीनों तरह की समस्यायें अभी भी बनी हुई हैं लेकिन माननीय सदस्य ने हिमालय, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी का जिक्र किया है तो वह इलाका बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि वहां क्वालिटी ऑफ वाटर है। यदि उत्तराखंड में पानी की उपलब्धता की समस्या हो

गई तो गुणवत्ता की समस्या आयेगी। वहां पानी की उपलब्धता की समस्या है। फिर सस्टेनेब्लिटी ऑफ वाटर की प्राब्लम है। इसलिये, इस पर भारत सरकार ने जोर दिया है। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत यह राज्य का दायित्व है कि वह पेय जल की समस्या को देखेगी। भारत सरकार ने प्रयास किया है और सहायता दी है। गत चार वर्षों के अंदर एक लाख 74 हजार करोड़ रुपये खर्च करना है, उसमें पानी एक हिस्सा है। बाकी हिस्सा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है, रूरल हाऊसिंग का है, बिजली लगानी है, सिंचाई करनी है लेकिन उसमें पेय जल के लिये भी एक हिस्सा है। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इस मामले में भारत सरकार का जोर है। अगर हम जनता को शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं कराते तो इसे क्रिमीनल नैग्लीजैंस से कम नहीं कहा जा सकता है। आज हम लोगों को जानकारी नहीं है।

सभापित महोदय, जानकार बताते हैं कि आधे से ज्यादा बीमारियां गावों में अशुद्ध जल पीने से गरीब लोगों को होती हैं। इसिलये गांव के सब से ज्यादा लोगों की सहायता यह होगी कि उन्हें पीने का शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये। हिन्दुस्तान में लगभग पांच लाख लोग डायहरिया से मरते हैं क्योंकि उन लोगों को पीने के लिये शुद्ध जल नहीं मिलता है। इसिलये शुद्ध पानी का प्रबंध होना चाहिये। हमारे पास शुद्ध पानी के लिये क्या उपाय हैं? माननीय सदस्यों ने इस पर गम्भीरता से जिक किया है। इसिलये वाटर कंजर्वेशन को टॉप प्रायरिटी दी जानी चाहिये। वर्षा से शुद्ध जल दुनिया में कहीं नहीं है। एच2ओ पानी, हाईड्रोजन का दो हिस्सा, आक्सीजन का एक हिस्सा। लेकिन वर्षा का पानी, शुद्ध पानी है, उसमें कोई दूषित पानी होने की प्राब्लम नहीं है। इसिलये रेनवाटर हारवैस्टिंग, रूफ टाप वाटर हार्वैस्टिंग और फिर उसका रीचार्ज धरती के अंदर जब वर्षा होती थी।

पहले जो वर्षा होती थी वह एक तिहाई पानी धरती के अंदर सोखती थी। जैसे ही सड़कें और मकान बने तो पानी को रूकने की जगह नहीं मिली और सब पानी समुंद्र में बहकर जा रहा है इसलिए ग्राउंड री-चार्ज करने की योजना बननी चाहिए। हालांकि वाटर कंजरवेशन को रोजगार गारंटी कार्यक्रम में टॉप प्रायोरिटी दी गयी है, कि वाटर कंजरवेशन होगा, ताल-तलैया होंगी।

महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने इलाई में पीने के पानी की समस्या पर बातें की हैं, उसमें माननीय सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए। श्री जगदीश शर्मा जी भाषण कर रहे थे कि पानी पीने की समस्या है। आज सात सौ करोड़ रूपए बिहार के खजाने मे पड़े हुए हैं, कई वर्षों से ये खर्च क्यो नहीं हो रहे हैं? माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं-नहीं, केवल जानकारी ही नहीं, उनकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए।

महोदय, पैसे वहां पड़े हुए हैं और यहां हम पीने के पानी की समस्या पर चिंता और बहस करते हैं। सभी लोग गांव में जाते हैं, वहां मुसलमान बहुत कम हैं, उनकी मांग है कि हमें अनुसूचित जाति, पिछड़ी

जाति में शामिल करो। आप उस इलाके में जाइए, जहां गरीब आदमी बसता है। वहां पानी पीने का संकट है, वे दूर से पानी लाते हैं और वहां पीने के पानी के लिए कोई उपाय नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि सारे पैसे खर्च हों...(व्यवधान) हो भी रहे हैं, लेकिन समस्याएं बनी हुई हैं। पांच हजार नौ सौ बीस हैबिटेशंस में 10 लीटर प्रति व्यक्ति से कम पानी है, हुकुम देव नारायण यादव जी भाषण कर रहे थे। शहर में 200 लीटर प्रति व्यक्ति और गांव में 40 लीटर प्रति व्यक्ति ही पानी की उपलब्धता अभी तक नहीं हो पायी है। उसी में नहाना, उसी में खाना और उसी में पशु-पक्षी, इसलिए उस पर माननीय सदस्यों की जानकारी और उनकी भागीदारी कराने की जरूरत है।...(व्यवधान) यह भी जरूरत है कि कैसे उसका खर्च हो। पानी की समस्या को टॉप प्रोयोरिटी में रखना होगा और उसका प्रमुख अंग भारत निर्माण होना चाहिए। माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी और भागीदारी अवश्य होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: You have made your point; it is well taken.

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record further.

(Interruptions) ... *

* Not recorded.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो विषय माननीय सतपाल महाराज जी के द्वारा लाया गया है, उसका हम समर्थन करते हैं। इस विषय पर जिन्हें अपने विचार रखने का मौका मिला, उस विषय से हम अपने आप को जोड़ते हैं और जो विषय छूटा हुआ है उसकी और मैं मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

महोदय, आज का दिन अच्छा भी कहा जाएगा और दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जाएगा क्योंकि आजादी मिले हुए 62 वर्षों के बाद भी आज हम इस लोकसभा, जो सबसे बड़ी पंचायत है में पीने के पानी के संकट के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, आज चिंता इस विषय की होनी चाहिए कि जो हमारी पुरानी योजनाएं हैं, चाहे वे केंद्र सरकार की जिला-पूर्ति योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों, वे योजनाएं पूर्ण रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हम उन्हें कैसे व्यवस्थित करें, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है ताकि वहां की समस्याओं का निदान तत्काल किया जा सके। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, हम झारखंड राज्य से आते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पलामू परिमंडल और पूरे झारखंड प्रदेश में पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था का माध्यम केवल नदियां हैं।

दामोदर नदी, जो कि वहां की जीवन रेखा है, वह आज प्रदूषित हो गई है। यह नदी दुनिया की तीसरी सबसे प्रदूषित नदी है। यह नदी सीधे समुद्र में जाकर मिलती है। उसको कैसे ठीक किया जाए? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि जलापूर्ति की वर्तमान योजनाओं को कार्यान्वित करने में सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि वहां की जो समस्या है, उसका निष्पादन हो सके।

महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोग जिस राज्य से आते वहां वहां 15 दिन पहले महंगाई के नाम पर उग्रवादियों द्वारा झारखण्ड बंद किया गया था। वहां एक दुकान नहीं खुली और एक भी वाहन नहीं चला। इसका मतलब यह हुआ कि पेयजल पर पूरे हिन्दुस्तान में अथवा खासकर झारखण्ड में जहां के 24 में 22 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं, आज यदि घोषणा हो जाए कि झारखण्ड एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा तो हम लोग एक सप्ताह के लिए घरों में बंद रहेंगे। आपसे मेरा निवेदन होगा कि पेयजल का परमानेन्ट सोल्यूशन होना चाहिए ताकि यहां के लोगों को लाभ मिल सके और सिंचाई की भी व्यवस्था हो सके। आज हम इस विषय को रख रहे हैं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Resolution brought forward by Shri Satpal Maharaj.

Water is a must. We have to preserve and conserve water; also we have to use water in a proper way. A lot of rivers are flowing from Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh, and they are coming inside the territory of Tamil Nadu.

Cauvery river is passing through a stretch of 90 kilometres only in Karnataka whereas it is passing through a stretch of 500 and odd kilometres in Tamil Nadu. Tamil Nadu State could not put up a check dam. If we put up a check dam, immediately it is objected to by the Karnataka State people.

For preserving water, a common law should be enacted by the Central Government; or else, all the river waters should be nationalized in the larger interest of the people of India.

Karnataka State has constructed five huge dams, and so, water is not coming to Tamil Nadu. During the rainy season also, our dam is not full. The full level of our dam is 150 feet but we have water up to 90 feet only. So, I would request the Central Government to enact a common law for preserving water. If we nationalize the waterways, then good things will happen.

There is a beer factory – I do not want to mention the name – in the Chennai city. Earlier I was a Member belonging to that Assembly constituency. At that time, one person in my constituency had given me a report, in which he had said that the put the water coming out from the beer inside the well. With the result, those who are residing in the adjoining areas of about five to six kilometres and who are drinking water through pump or well, their eyesight are getting affected. Most of the persons who are below 40 years in that area are wearing spectacles; a minimum of 100 children in that constituency are dying in a year due to diarhoea or some other disease. The teeth of those who consume the contaminated water are becoming yellow. It is because the water in that area has the highest fluoride content.

So, if we do not conserve water and if we do not treat it properly, a lot many disease would be coming.

About the bore-well, previously in my village, within 100 feet, we were getting good water. Then, the water level went to 150 feet. Now, we have to go from 500 feet to 1,000 feet to dig a bore-well. In Madurai, in my Constituency, they are taking water directly from the river and supplying it to the people. It is so hazardous and harmful. Water is coming in yellow colour during rainy time. It is not even treated in a proper way. My suggestion is that before supplying water to the general public, it should be treated properly.

The State of Andhra Pradesh is constructing a dam in Palaru. The Central Government should give suitable instructions to Palaru in this regard. Same is the case in Kusathaliaru and Cauveri rivers. So, we need to put check dams in every two kilometres, at least, to the height of two to three metres. Then only, we would be able to preserve water; and the ground water level would also increase. This way, we can supply good water to the people.

With these few words, I conclude and support this Resolution.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

Now, Shri Bishnu Pada Ray. You may make your points and conclude your speech within three minutes because we are winding up at 6 o' clock and there is still one more Member to speak.

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Mr. Chairman, Sir, I come from Andaman and Nicobar Islands. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और नार्थ-ईस्ट, जहां से कुमारी अगाथा संगमा जी आई हैं, वह हाई रेन फॉल एरिया है, लेकिन वहां पीने के पानी की सभी लोगों को तकलीफ है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी पीने के पानी की तकलीफ है।

सभापित महोदय, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 62 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिला? मैं वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में भी सांसद था। भारत सरकार मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। मैंने पीने के पानी के लिए अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह का प्रश्न किया तो मुझे पार्लियामेंट के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालय से यह जवाब मिला कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सब लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। फिजिकल टारगेट एक चीज है और फाइनेंशियल एचीवमेंट अलग चीज है। यह पीने के पानी के नाम पर बड़ा घोटाला और डकैती है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, यहां मंत्रालय के बड़े सीनियर आफिसर्स गैलेरी में मौजूद हैं। कुछ एनजीओज़ और आफिसर्स भी चिन्ता करते होंगे, जिनके दिमाग में नये-नये विचार आते होंगे। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में पांच हजार वाटर हारवेस्टिंग के टैंक बनाए गए। वहां पूरा वर्षा का पानी गिरता है। वहां पाइप लगाया, टैंक बनाया, पांच हजार पीने के पानी के टैंक सिर्फ मोन्युमेंट बन कर रह गए हैं, उसमें बूंद मात्र पानी नहीं है। वह मच्छर पलने की जगह बन गई है। पांच हजार टैंक के लिए कितना करोड़ रुपया गया? आज 62 साल बाद भी पीने के पानी की चर्चा पार्लियामेंट में होती है। यहां कुमारी अगाथा संगमा जी बैठी हैं, ये जवान हैं, बुद्धिमान हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि पीने के पानी को लेकर पार्लियामेंट में जो मिसलीड किया गया, अंडमान-निकोबार को किया, उसकी छानबीन करें।

सभापित महोदय, मैं पोर्ट ब्लेयर पीने के पानी के बारे में कहना चाहता हूं, बाद में मैं सजेशन दूंगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर में एक ही म्युनिसिपल काउंसिल है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार पोर्ट ब्लेयर में आएं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Still one more speaker is there to speak. He will take another five minutes. I have to give him time also.



श्री विष्णु पद राय: सभापित महोदय, आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीने का पानी नहीं है। इसलिए मैं सुश्री संगमा जी को पानी के बारे में कुछ सजैश्चन देना चाहता हूं। भारत में जो रैपुटेटेड एन.जी.ओज. हैं, उनका एक डेलीगेशन स्टेट में भेजा जाए। वह डैलीगेशन केवल स्टेट हैडक्वार्टर पर ही न जाए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज लैवल पर जाकर जांच करें और रिपोर्ट दें कि पीने के पानी के लिए कितना रुपया दिया गया था, कितना रुपया खर्च किया गया और फिजीकली कितना एचीवमेंट हुआ और आज पानी की तकलीफ कहां-कहां है और पानी का सोर्स कहां-कहां है। नॉर्थ-ईस्ट और अंडमान, जोन-5 में हैं। वहां पहले जो वाटर के लिए टैंक बना, वह अगले सुनामी के समय क्रैक होगा और इस एरिया के लिए खतरा बनेगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि उस एरिया के लिए ऐसा प्लान बनाएं, जिससे पीने का पानी वहां के लोगों को मिल सके। मैं 'नरेगा' के बारे में कहना चाहता हूं कि इस स्कीम में स्किल्ड का कंपोनेंट नहीं आने के कारण वह योजना ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो एम.पीज. पार्लियामेंट्री कमेटी में भाग लेते हैं। उन्हें एक टास्क दिया जाए कि वे कुछ स्टेट्स के कुछ जिलों को चुन ले और वहां पीने के पानी की समस्या का अध्ययन करें। मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट-वाइज वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बनाए जाएं। यहां मिनिस्ट्री के ऑफीसर्स भी बैठें हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाए कि वे इस समस्या के समाधान के लिए दौरा और मीटिंग करें, तब पानी की समस्या दूर होगी, नहीं तो भारत की संसद में इस बारे में परमानेंट रूप से चर्चा होती ही रहेगी।

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, you take five minutes' time. At 6 o' clock, you have to wind up. Then only we can finish.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरेयागंज): सभापित महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विाय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। पानी के महत्व के बारे में माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं उनकी भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं पूरी दुनियां में पानी के बढ़ते हुए संकट की ओर सम्मानित सदन और सरकार का ध्यान आकृट करना चाहता हूं। इस देश में, पहले पानी की कमी राजस्थान में हुआ करती थी। राजस्थान के लोग गर्मियों में दूसरे राज्यों को पलायन करते थे। आज राजस्थान जैसी स्थिति दूसरे राज्यों की हो गई, यहां तक कि हिमालय में और उत्तराखंड में भी पानी के संकट की तरफ माननीय सतपाल महाराज ने ध्यान आकृट किया है और एक संकल्प लेकर आए हैं। जब दुनिया में पानी का संकट बढ़ रहा है और यह कहा गया है कि वी 2025 तक 1.8 अरब लोगों के लिए पानी का संकट हो जाएगा, तो इस पर निश्चित रूप से पूरे सम्मानित सदन को गंभीर चिन्ता करनी होगी।

महोदय, आज दुनिया में पानी की उपलब्धता कितनी है, मैं इस बारे में बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया में 97.5 परसेंट पानी नमकीन यानी साल्टेड है, जो पीने योग्य नहीं है। केवल 2.5 परसेंट पानी पीने योग्य है। अगर आज 25 लीटर पानी में एक बूंद भी तेल गिर जाए, तो वह पानी खराब हो जाता है। आज जो पानी की स्थिति है, वह मैं बताना चाहता हूं कि सामान्य देशों में उपलब्ध कुल पानी का 70 प्रतिशत पानी खेती के लिए उपयोग होता है, 22 प्रतिशत पानी उद्योग के लिए और 8 प्रतिशत पानी केवल डॉमैस्टिक कार्यों के लिए यूज होता है। जो गरीब, लो और मिडल इन्कम वाले देश हैं, उनमें 82 प्रतिशत खेती, 10 प्रतिशत उद्योग और 8 प्रतिशत घरों के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो विकसित देश हैं वहां केवल 30 प्रतिशत पानी खेती, 50 प्रतिशत उद्योग और 11 प्रतिशत घरों के लिए यूज हो रहा है। आज यदि व्यक्ति को खाना न मिले, तो वह एक महीने भी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी न मिले, तो वह 5 या 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है।

महोदय, मैं वर्ल्ड हैत्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं जिसके अनुसार 6000 बच्चे वॉटर रिलेटेड बीमारियों से मर रहे हैं। अगर उन 6000 बच्चों को जीवन मिले, तो वे आई.टी. या विज्ञान के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। आज स्थिति यह है कि हम 5 मिनट के शॉवर में हम 94.52 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। फ्लश के लिए 7,6 लीटर से लेकर 26.5 लीटर पानी खर्च कर देते हैं। हाथ धोने और दांत साफ करने के लिए 7.6 लीटर से 2 गैलन पानी खर्च कर देते हैं, जबिक हमारे देश की रिपोर्ट यह है कि 21 परसेंट लोग वाटर रिलेटेड बीमारियों से परेशान हैं। 1999 की बात मैं कह रहा हूं कि केवल डायरिया से 7 लाख लोग मरे थे। मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूं। मैं केवल उन बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूं जो गम्भीर हैं। 7 लाख लोग मर गए, यानी औसतन 1600

लोग प्रति दिन। इसमें जो पांच साल के बच्चे थे वे बी मर गए। मैं निश्चित रूप से इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उसने राट्रीय जल नीति र्वा 2002 में घोति की।

18.00 hrs.

उस 2002 की राष्ट्रीय जल नीति से मैं तो कहूंगा कि एक कदम आगे यह जल का विषय राज्यों का विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी आज चिन्ता है। जो लोग गंगा की बात करते थे, गौमाता की बात करते थे, उन्हें इसकी चिन्ता नहीं हुई। अगर आज गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर देने का काम किया है तो कांग्रेस-यू.पी.ए. की सरकार ने घोषित करने का क्या किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो जल का भयावह संकट आने वाला है, उस स्थिति को देखते हुए आज 2001 की जनगणना के अनुसार अगर 1027 मिलियन जनसंख्या के आधार पर अगर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता देखी जाये तो 1820 घन मीटर बैठती है ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up in one minute.

श्री जगदिम्बिका पाल: हमारी स्पीच कंटीन्यू रखेंगे या कन्क्लूड करेंगे?

SHRI B. MAHTAB: Mr. Chairman, Sir, I have one suggestion to make. I think this Session is going to be concluded on 7th August.

MR. CHAIRMAN: 7th August, Friday, is there. Let him finish now.

श्री जगदम्बिका पाल: तो आज जो पानी का संकट है, इस पर हमें निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए शुद्ध पेयजल की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति कैसे करें। निश्चित तौर से आज पानी का वाटर स्टेटा नीचे जा रहा है। आज कहीं हैंडपम्प काम नहीं आ रहे हैं। अब तो जो इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प भी गांवों में लग रहे थे, उनका पानी भी गर्मियों में नीचे चला जाता है। एक दिन मैंने कहा था कि हिरयाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जो ट्यूबवैल्स हैं, उनमें पानी नीचे जा रहा है। अभी हमारे राजेन्द्र अग्रवाल जी ने भी कहा कि आज ट्यूबवैल्स भी बेकार हो रहे हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसके अनुपात में पानी का ट्रीटमेंट हमको करना होगा। उस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा और जो 97.5 परसेंट साल्टेड वाटर है, समुद्री जल है, उसको भी रीसाइकिल कर सकते हैं, जिस पानी को पिया नहीं जा सकता है तो निश्चित तौर से जो साल्टेड वाटर या समुद्री पानी है, उसको भी रीसाइकिल किया जा सकता है। वाटर हारवैस्टिंग की बात हमारे बहुत से साथियों ने कही है।

समय की कमी है, इसलिए मैं यह सुझाव देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Thank you. We will now take up the 'Zero hour' matters. Dr. Kirit Premjibhai Solanki to speak for three minutes.

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Mr. Chairman, Sir, at the outset I thank you for providing me with an opportunity to speak on the subject of Diabetes. Sir, Diabetes Mallitus is a serious disease. It is prevailing throughout the world. But it is predominantly existing in India. Diabetes Mallitus is a silent killer. This disease has many aspects. Diabetes is responsible for so many serious and fatal diseases. It is the underlying cause for ischemic heart disease. It can hamper the kidney, it can damage the retina, it can damage the foot and it can lead to gangrene of both the feet. It can reflect on so many systems of the body. It is a metabolic disease.

Mr. Chairman, Sir, through you I want to draw the attention of this august House and the entire country and the Union Government to take serious steps regarding Diabetes. India is having a number of cases of Diabetes. It is the highest in India as compared to the world. India is considered as the capital of the Diabetic world.

Recently, the Diabetes Atlas, 2007 has published a report where the number of Diabetes cases are the highest – 40.9 million in India at present. It is expected that this number will go to 70 million in the year 2025. It is a very serious matter. It is a very alarming matter.

The Diabetes Atlas has conducted a study recently in India and they had concluded that the increase to 70 million patients in 2025, as estimated, would probably be reached in 2015. That is probably we are going to have the same number, 70 million cases, a decade earlier.

It is a very grave situation and the Government, the NGOs and all others are very much concerned to see that the situation is brought under control.

India is expected to have 70 million people suffering from diabetes by the year 2025 while the China is expected to have 59 million people suffering from diabetes by that year. At present, diabetic population in China is 39.8 million and in Pakistan, the figure is 6.9 million.

The hypothesis is that diabetes is a disease of the urban population and the rural population is not prone to it. That is only a hypothesis because the alarming feature is that now-a-days, the trend is reversing and more of the rural population is suffering from diabetes.

MR. CHAIRMAN: You tell what your demand is.

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI: Sir, I want to demand that the Government of India should intervene in this matter and establish National Institute of Endocrinal Science at several places throughout the country. Since the maximum number of diabetics is in Gujarat, I would urge upon the Government to set up a National Institute of Endocrinal Science funded by the Central Government in Gujarat.

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का ध्यान चम्पारण के किसानों की समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं। चम्पारण का इलाका कृषि प्रधान है। गन्ना एवं धान की उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए यह देश भर में मशहूर है। यहां की पूरी आबादी की जीविका कृषि पर आधारित है। किंतु दुर्भाग्य है कि गुलामी के दिनों में भी वहां के किसानों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया और आज जब हम आजाद हैं, तब अपनी ही सरकार की उपेक्षा के हम शिकार हो रहे हैं।

महोदय, इस क्षेत्र के पिपराकोठी स्थान पर आज से 6 वर्ष पहले कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गयी थी। 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां आज सिर्फ एक टीन का शेड बना हुआ है और इक्के-दुक्के कर्मचारी ही नजर आते हैं। अभी तक वहां अधिकारियों की समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है। वहां अधिकारी आवास का निर्माण होना चाहिए। किसानों के लिए ट्रेनिंग हाल के साथ ही प्रशासनिक भवन की भी आवश्यकता है। सेंट्रल नर्सरी एवं बीज उत्पादन की व्यवस्था की भी मैं मांग करता हूं।

महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय एवं आई.सी.ए.आर. से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां की इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करे और इस विशाल परिसर के अंदर पक्की सड़कों का भी निर्माण कराया जाए। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, देश में आज महंगाई की रफ्तार इतनी तेज है कि देश की आर्थिक संवृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, थोक-मूल्य सूचकांक आदि के बौद्धिक आंकड़े फेल हो गए हैं। देश में जब एनडीए का शासनकाल था, वर्ष 1996 से 2004 तक जो प्राइस कंट्रोल हुआ, आज हम लोग उसको तिकया-कलाम के रूप में लेते हैं।

सभापित महोदय, वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में आर्थिक संवृद्धि में 2.1 प्रतिशत तक की गिरावट स्पष्ट रूप से दिखायी दी। अब हालत ऐसे हैं कि गरीब इस महंगाई से सामना करने के बजाय मौत को गले लगाना चाह रहा है।

सभापित महोदय, छठें पे-कमीशन से सरकार कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ अवश्य मिला, लेकिन इससे शेष अन्य 100 करोड़ लोग वंचित हैं। सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन महंगाई की मार से खाली हो रहे हैं।

अतः सरकार से आग्रह है कि झारखंड में पीडीएस के माध्यम से खाद्य तेल, दाल और सब्जी का वितरण प्रत्येक वर्ग के उपभोक्ताओं, खासकर गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच सुनिश्चित कराया जाए, तािक इस भीषण महंगाई से झारखंड की जनता को निजात मिल सके। इसके साथ-साथ गिरीडीह, धनबाद, बोकारों में जो गरीब हैं, उनकों भी इससे जोड़ा जाए। धन्यवाद।

श्री विष्णु पद राय : सभापित महोदय, अंडमान-निकोबार की राजधानी पोर्टब्लेयर के करीब डेढ़ सौ शिक्षक, जो सर्विशिक्षा अभियान के तहत कांट्रेक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, वे 23 जुलाई से लगातार धरने पर बैठे हैं। आज वे हंगर स्ट्राइक में हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वे अनशन पर ही रहेंगे। वे लोग कौन हैं? वे अंडमान-निकोबार के क्वालीफाईड टीचर्स हैं, जिन्होंने बीएससी, बीएड, एमएससी एमएड, एमए बीएड किया हुआ है। उन्हें सर्विशिक्षा अभियान के तहत स्मानिक 103 में नौकरी मिली थी। वहां पर लगातार छः वााँ से काम करते-करते उनकी जाँब की ऐज बार खत्म हो चुकी है। उन्हें छः साल से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया था यानी पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया गया था। लेकिन वे टीचर्स नौंवी से बारहवीं तक की क्लासेज भी लेते हैं। नौंवी से बारहवीं क्लासेज के टीचर्स की रिटायरमैंट या डेथ की वजह से वहां पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है मैं मांग करता हूं कि जब अंडमान-निकोबार एडिमिनिस्ट्रेशन में टीचर्स की भर्ती का मौका आयेगा, तो जो टीचर्स वहां पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें प्रिफरेंस दी जाये और रेगुलर किया जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सर्विशिक्षा अभियान के तहत जो भी टीचर्स चेन्नई आदि राज्यों में काम कर रहे हैं, उन सबको भी रेगुलराइज करने के निर्देश दिये जायें।

श्री पशुपित नाथ सिंह (धनबाद): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि बोकारो स्टील स्टेशन से आद्रा स्टेशन वाया भोजूडीह तक दूरी करीब सौ किलोमीटर है। इस रास्ते से खासकर गरीब लोगों को आने-जाने के लिए एक भी लोकल ट्रेन नहीं है जबिक जगह-जगह स्टेशन तथा हॉल्ट बने हुए हैं। इस रास्ते से एक्सप्रैस ट्रेन चला करती है। यह रास्ता दो

राज्यों -- झारखंड तथा बंगाल के प्रमुख स्थानों को जोड़ता है। जहां बोकारो स्टील प्रमुख स्टेशन है वहीं आद्रा रेल का मंडलीय कार्यालय है तथा बीच में भोजूडीह तथा संथालडीह स्थान है जिसमें कोलवाशरीज भी है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में बोकारो से आद्रा में लोकल ट्रेन चलायी जाये।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. The House stands adjourned to meet tomorrow the 31st July 2009 at 11 am.

18.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 31, 2009 / Sravana 9, 1931 (Saka).